विकलांगों तथा बुज़ुर्गों
के
बाधा रहित वातावरण हेतु दिशा-निर्देश
तथा विस्तार मानक

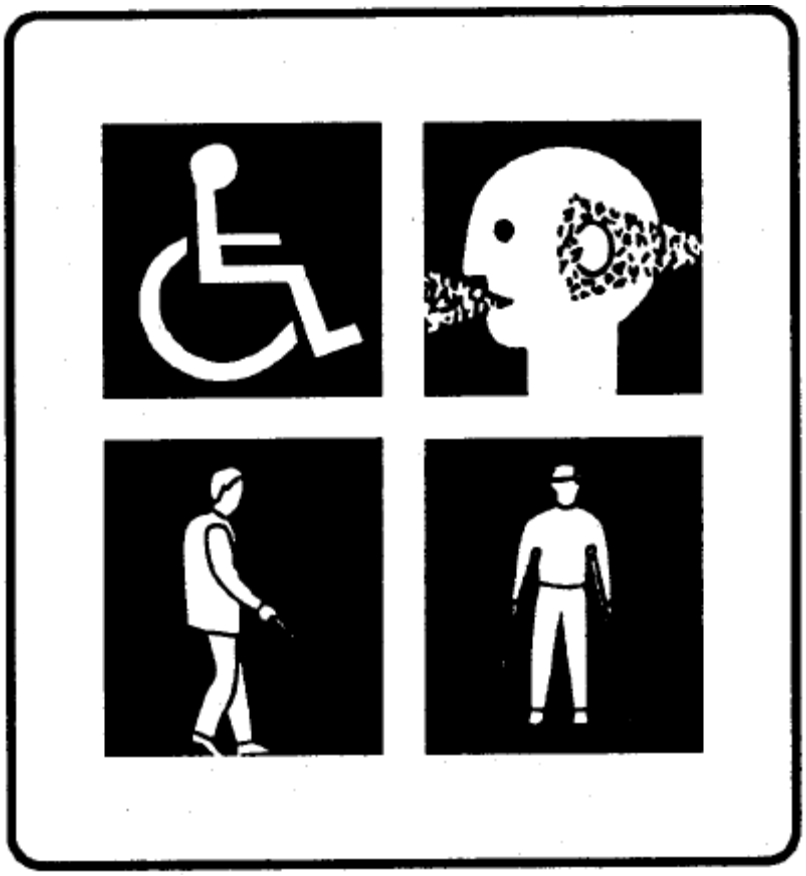

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

शहरी मामले तथा रोज़गार मंत्रालय

भारत

1998

प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 1996 को अधिनियमित 'विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा संपूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1966 का मुख्य उद्देश्य है विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा रहित वातावरण निर्मित करना तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु विशेष प्रावधान तैयार करना।

अधिनियम के अध्याय VII, धारा 44 से 46 सड़कों पर परिवहन तथा इस निर्मित वातावरण में गैर-भेदभाव से संबंधित है। यह सरकार तथा स्थानीय अधिकारियों को आदेश देता है कि अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार दृष्टि बाधित व्यक्तियों की सुविधा के लिए सड़कों पर लालबत्तियों पर श्रवण संकेत लगवाएं, व्हीलचेयर्स का उपयोग करने वालों की सुविधा के लिए फुटपाथों पर वक्र तथा ढलान बनाये जायें, उपयुक्त स्थानों पर विकलांग व्यक्तियों के लिए चेतावनी संकेतक भी समुचित तौर पर चिन्हित किये जायें।

इस संबंध में निर्मित वातावरण में, इस अधिनियम में सार्वजनिक भवनों में सुविधाएं, व्हीलचेयर्स उपयोगकर्ताओं के लिए शौचालय, एलीवेटर्स पर ब्रेल प्रतीक तथा श्रवण संकेत इत्यादि संबंधी प्रावधान बनाये गये हैं।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप भारत सरकार (शहरी मामले तथा रोज़गार मंत्रालय) एक बाधा रहित परिवेश निर्मित करने हेतु, वर्तमान में मौजूदा उपनियमों/उपविधियों में संशोधन/सुधार करने की प्रक्रिया में लगी हुई है, जो जनता द्वारा प्रयुक्त सभी इमारतों तथा सुविधाओं के लिए लागू होगा।

इस प्रयोजन के साथ शारीरिक तौर पर विकलांग व बुजुर्गों सहित हरेक को, यह विश्वास दिलाने के लिए कि शहरी जनजीवन में सबको समान अवसर मिलेंगे, शहरी मामले तथा रोज़गार मंत्रालय ने डीजी (डब्ल्यू), (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग) की अध्यक्षता में विकलांगों तथा बुज़ुर्गों के बाधा रहित परिवेश हेतु दिशानिर्देशों तथा विस्तार मानकों को तैयार करने हेतु एक कमेटी गठित की है।

1. महा निदेशक (निर्माण), केलोनिवि	अध्यक्ष
2. मुख्य वास्तुकार 1, केलोनिवि	संयोजक सदस्य
3. मुख्य योजनाकार, श.रा.यो.सं.	सदस्य
4. मुख्य वास्तुकार, दिविप्रा	सदस्य
5. मुख्य वास्तुकार, दिननि	सदस्य
6. मुख्य वास्तुकार, दिननि	सदस्य

कोड मानकों की पहुंच को ध्यान में रखा गया है। जैसे कि पहुंच विभिन्न विकलांगता समूहों तक होनी चाहिए, विशेषकर अपाहिज, मूक, बधिर तथा दृष्टिविहीन लोगों तथा विभिन्न विकलांग समूहों की सुविधाओं और ज़रूरतों पर बातचीत की गयी और फिर उसी अनुसार सुरक्षात्मक उपाय करने तय किये गये।

विकलांगों तथा बुज़ुर्गों के लिए बाधा रहित वातावरण हेतु दिशा-निर्देश तथा विस्तार मानकों में योजना तथा वास्तुकला विद्यालय (एसपीए) सीबीआरआई, विकलांग कल्याण संघ (ग़ैर सरकारी संगठन) तथा नेशनल फ़ेडरेशन ऑफ़ ब्लाइंड द्वारा भेजी गयी टिप्पणियों पर भी विचार किया गया है।

कई संगठनों में विभिन्न कार्यक्षेत्रों तथा ज़िम्मेदारियों की पहचान की गयी, जिन्हें शामिल किया जायेगा, जैसे -

शैक्षणिक संस्थान

* सभी शिक्षाविदों का यह प्रयास होना चाहिए कि ऐसे युवा वास्तुकार/योजनाकार उत्पन्न हों, जो शारीरिक तौर पर विकलांगों के लिए बाधा रहित वातावरण निर्मित कर सकें।
* सभी वास्तु–विद्यालयों में पाठ्यक्रमों का यह अनिवार्य विषय होना चाहिए।

राज्य सरकार/केंद्र सरकार संस्थाएं

* सरकारी विभागों को सामान्य दिशा–निर्देशों के साथ-साथ विकलांगों हेतु प्रावधानों के संस्तुत मानकों का भी पालन करना चाहिए।

नगर निकाय/निगम

* भवन संहिता के तहत बुनियादी वास्तु प्रावधान निर्दिष्ट किये जाने की आवश्यकता है, ताकि विकलांगों के लिए सुविधाजनक नये भवन बनाये जा सकें।
* भवन संहिता को अद्यतन रखने के लिए सभी स्थानीय अधिकारियों द्वारा समन्वित प्रयास की भी आवश्यकता है।
* नगर निकाय/निगम को भवन निर्माण की स्वीकृति देने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि भवन की हरेक मंज़िल पर बिना सीढ़ियों के पहुंचा जा सके, सभी मंज़िलों पर लिफ़्ट हो, दरवाज़ों की चौड़ाई इतनी हो कि व्हीलचेयर्स भलिभांति प्रवेश कर सकें और रास्ता सुगम और सुविधाजनक हो।

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
1. भूमिका	5
2. विकलांगता के प्रकार	6
3. गतिशील उपकरण	7
4. संचालन	11
5. निर्माण और रखरखाव मानक	13
6. इमारतों का वर्गीकरण	17
7. विभिन्न प्रकार की इमारतों में प्रवेश करने के न्यूनतम प्रावधान	19
8. ईमारत परिसर के भीतर डिज़ाईन के प्रकार	21
9. फ़र्श की सामग्री के लिए निर्देश/चेतावनी	46
10. अन्य सुविधाएं	49
11. ईमारत के बाहर के डिज़ाईन	50
12. आवासीय इमारतें	57
13. ऑडीटोरियम	66
14. उद्यान	68
15. रेस्तरां	70
16. रेलवे स्टेशन	71
मॉडल भवन उपनियम	अनुलग्नक क

भूमिका

विकलांग लोगों के लिए अवरोध-मुक्त वातावरण इसलिए आवश्यक है, ताकि वे आसन्न वातावरण में स्वतंत्र और सुरक्षित ढंग से सुविधाओं का उपयोग कर सकें। बाधा रहित प्रारूपों का उद्देश्य यही है कि उन्हें एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना, जिससे उनकी गतिविधियां सुचारू रूप से गति ले सकें और वे प्रतिदिन के कार्यकलापों तथा गतिविधियों, जैसे वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन, सामुदायिक जीवन, रोज़गार तथा आमोद-प्रमोद इत्यादि गतिविधियों में बिना किसी की सहायता के भाग ले सकें। लोगों की सुरक्षा, सुविधा और प्रयोज्य इत्यादि के लिए बनाये गये मानकों/मानदंडों के विकास में मौलिक सिद्धांतों का पालन किया गया है। बाधा रहित डिज़ाईन के मानक इस तरह से बने होने चाहिए, ताकि उन लोगों को जिन्हें चलने-फिरने और अन्य व्यावहारिक कामकाज को करने में (ग़ैर विकलांग व्यक्ति की तुलना में) असुविधा हो, ऐसे अशक्त लोगों की राह में आने वाली रुकावटों को ध्यान में रखते हुए ही ईमारत का डिज़ाईन तैयार किये जाये, साथ ही साजोसामान व उपकरण तथा बाहरी क्षेत्र की व्यवस्था उन अशक्त लोगों के अनुकूल हो।

इस रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य है पूर्ण-अशक्त (व्हीलचेयर उपयोगकर्ता), अर्द्ध-अशक्त (पैरों से अपाहिज) दृष्टि और श्रवण-विकलांग व्यक्तियों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करें।

यह निर्माण और रखरखाव मानक सभी प्रकार की इमारतों में इस्तेमाल किया जाने चाहिए ताकि शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए उनकी गतिविधियां सुलभ हो सकें। हालांकि ये सुझाव शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए विशेषतौर पर निर्मित किये गये हैं, लेकिन ये साथ ही साथ वृद्धों तथा अन्य लोग जो शारीरिक रोग के शिकार हैं, के लिए भी सुविधाजनक होने चाहिए। अर्थात सभी शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए एक सुरक्षित तथा सुलभ वातावरण तैयार करना। रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य ही है समाज में विकलांग तथा वृद्धों को पूर्ण तौर पर एकीकृत करना। ऐसा माना जाता है कि सभी वृद्धों को विकलांगों के समान और सभी विकलांगों को वृद्धों के समान माना गया है, यानी यह एक ऐसा स्पष्टीकरण है जिससे ज़ाहिर होता है कि दोनों की ज़रूरतें लगभग एकसी होती हैं।

इमारतें चाहे किसी भी प्रकार की हों, जैसे घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक संस्थाएं, सामुदायिक, धार्मिक, कृषि-केंद्र, तथा परिवहन सुविधाएं इत्यादि, सभी में इन सिफ़ारिशों को लागू किया जा सकता है। दिशा-निर्देशों में विभिन्न प्रकार की इमारतों की आवश्यकतानुसार प्रावधानों का भी उल्लेख है।

इन मानकों के अंततः बिल्डर्स, डिज़ाईनर्स, वास्तुशिल्पी ही उपयोगकर्ता हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके द्वारा निर्मित वातावरण सभी श्रेणियों के लोगों के लिए

उपयुक्त हैं। मानक यह भी इंगित करते हैं कि बाधा रहित डिज़ाइन्स के लिए ग्राहकों, बिल्डरों, डिज़ाईनरों तथा वास्तुकारों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ता।

इससे योजना के निर्माण में ढांचा उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी, जिससे बाधा रहित वातावरण तो मिलेगा ही, बल्कि दोनों ही सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में जागरूकता की कमी का भी उन्मूलन होगा और सब तक पहुंच की भी समस्या समाप्त होगी। ये मानक बेहद मूल्यवान दस्तावेज साबित हो सकता है, जिससे विकलांग लोगों, वास्तुशिल्पियों के बीच बातचीत हो सकती है, ऐसे में विकलांग लोग भी विचार विमर्श में सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। इससे अनुसंधान गतिविधियां पैदा की जा सकती हैं, जो आवश्यक ज्ञान का आधार उपलब्ध करा सकती हैं।

विकलांगता के प्रकार

दिशा-निर्देश तैयार करते समय बाधा रहित निर्मित वातावरण के लिए विभिन्न प्रकार की विकलांगता पर ध्यान दिया गया है। इन्हें चार भागों में वर्गीकृत किया गया है -

1. **चलने-फिरने में पूर्णतः अक्षम** -	अंग-क्षति चाहे किसी भी वजह से हुई हो, ऐसा व्यक्ति चलने-फिरने और कोई भी कामकाज करने में पूरी तरह अक्षम होता है, व्यावहारिक तौर पर पूर्णत: व्हीलचेयर तक सीमित हो जाता है।	
2. अर्द्ध-अक्षम विकलांगता -	किसी क्षति के कारण व्यक्ति चलने के लिए बैसाखियों या क्रच इत्यादि का प्रयोग करता है। गठिया रोगी, मंदबुद्धि, फेफड़े संबंधी रोगी, हृदय रोगी इत्यादि भी काफ़ी हद तक चलने-फिरने में अक्षम होते हैं।	
3. दृष्टि-विकलांगता या नेत्रहीन -	यह ऐसी क्षति है, जिसके कारण व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्रों में असुरक्षित और ख़तरा महसूस करता है।	
4. श्रवण-विकलांगता -	बधिर व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्रों में काफ़ी असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि बहरेपन के कारण वे चेतावनी संकेतों को समझ नहीं पाते।	

गतिशील उपकरण

सिफारिशें:

गतिशील उपकरण का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए पर्याप्त जगह हो -

* गतिशील उपकरण, जैसे व्हीलचेयर, बैसाखी, वॉकर इत्यादि का इस्तेमाल करने वाले लोगों तथा उन व्यक्तियों के लिए भी पर्याप्त जगह होनी चाहिए जो किसी अन्य व्यक्ति का सहारा लेकर चलते हों। (चित्र 1.2 तथा 7)
* व्हीलचेयर में व्यक्ति सरलता से बिना किसी बाधा के आगे-पीछे दायें-बायें घूम सके, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। (वित्र 3,4,5,6)
* व्हीलचेयर के आयामों का विशेष ध्या मानक आकार 1050 मिमीx750 मिमी (आइएसआई के अनुसार) माना गया है।

व्हीलचेयर

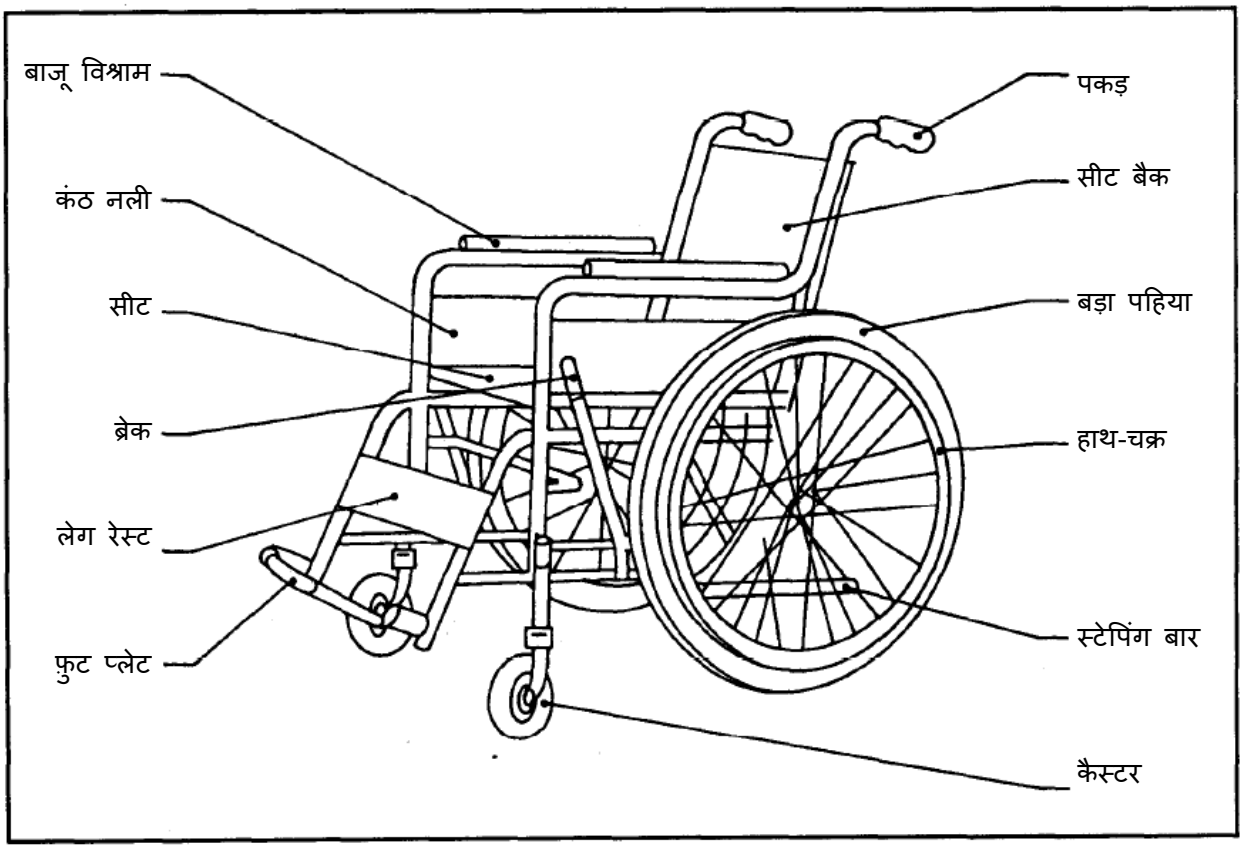

व्हीलचेयर की संरचना तथा प्रत्येक हिस्से का नाम (मानक प्रकार)

संदर्भ चित्र

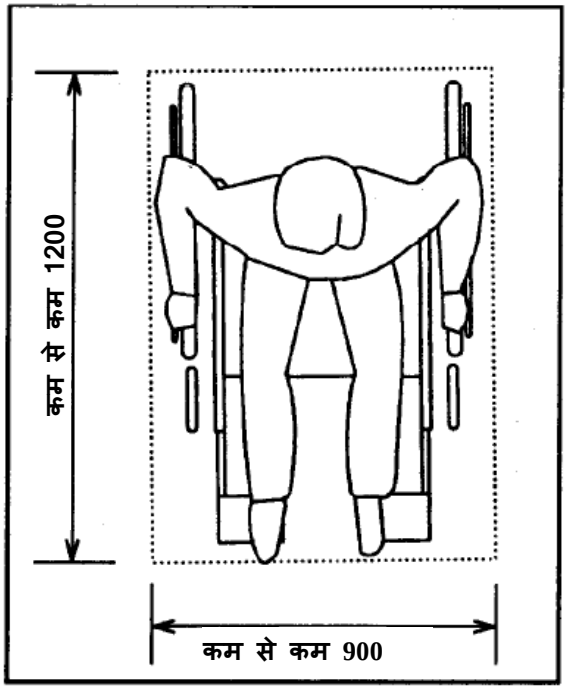

चित्र 1 - खुली जगह की आवश्यकता

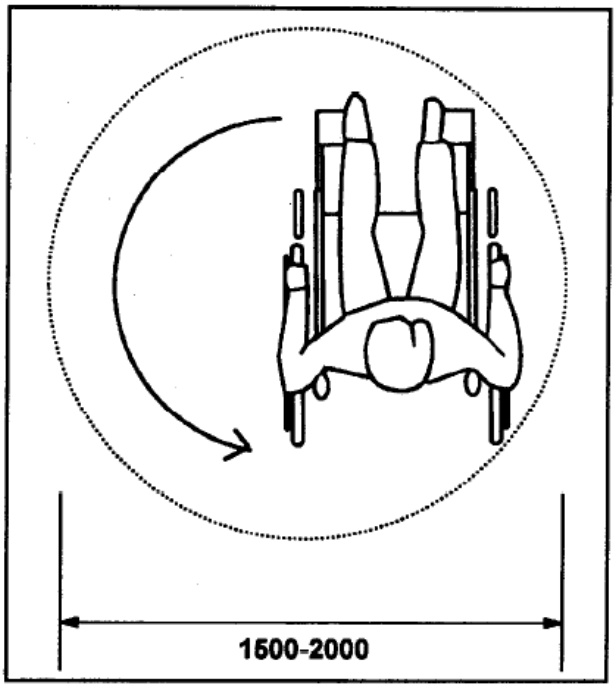

चित्र 2 - खुली जगह की आवश्यकता

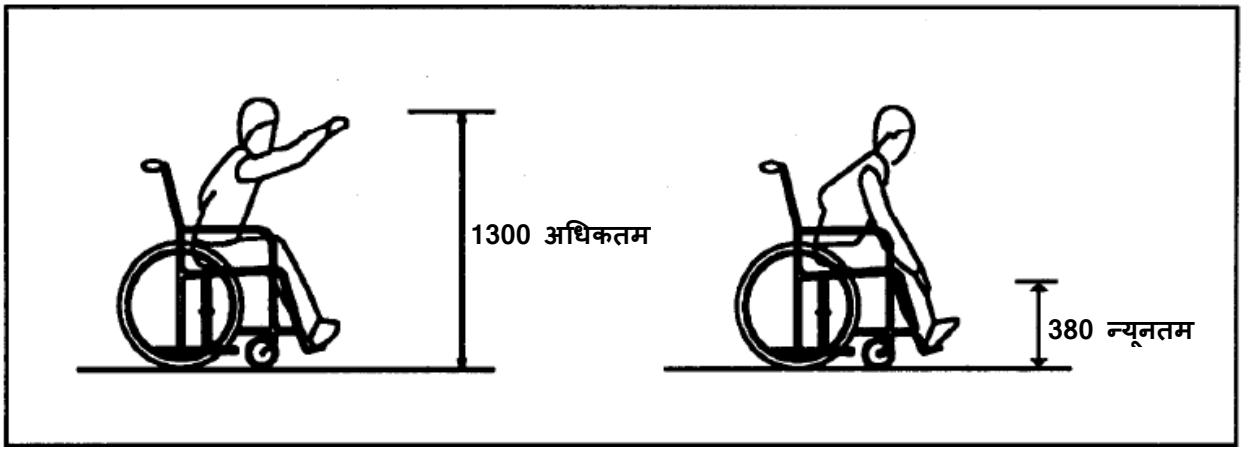

चित्र 3 - आगे की ओर बिना किसी बाधा के बढ़ना

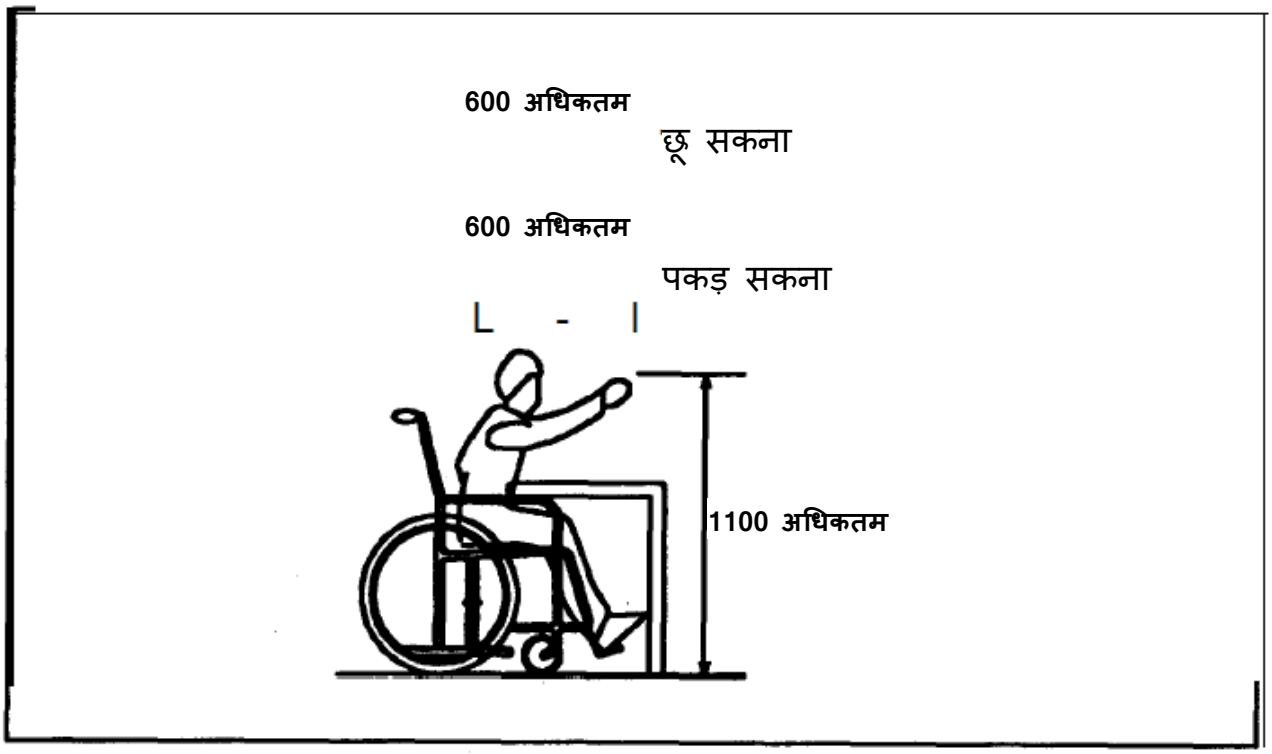

चित्र 4 - बिना किसी बाधा के आगे की ओर पहुंचना

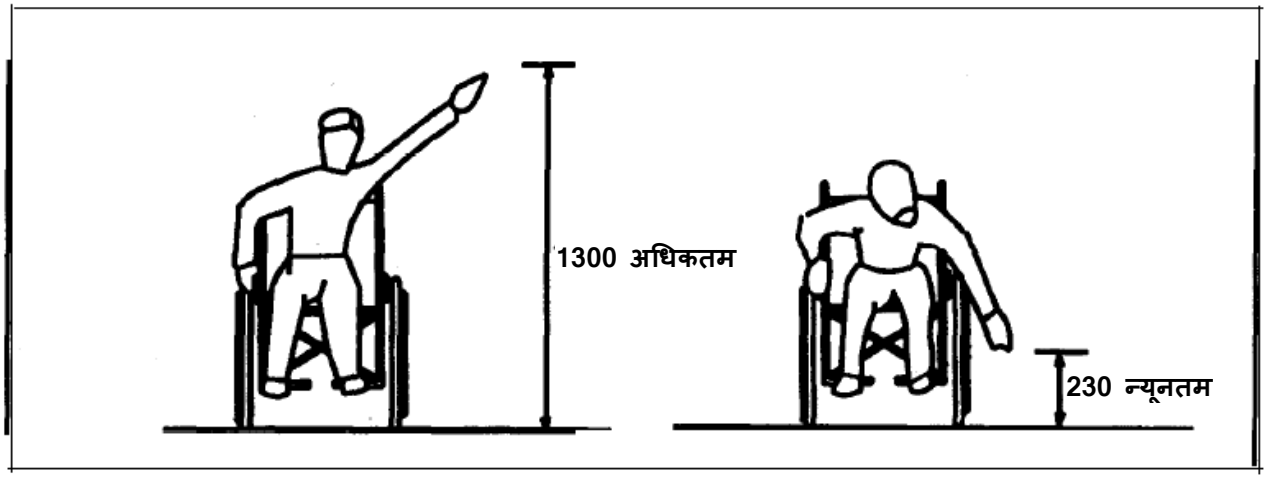

चित्र 5 - बिना किसी बाधा के बगल की ओर बढ़ना

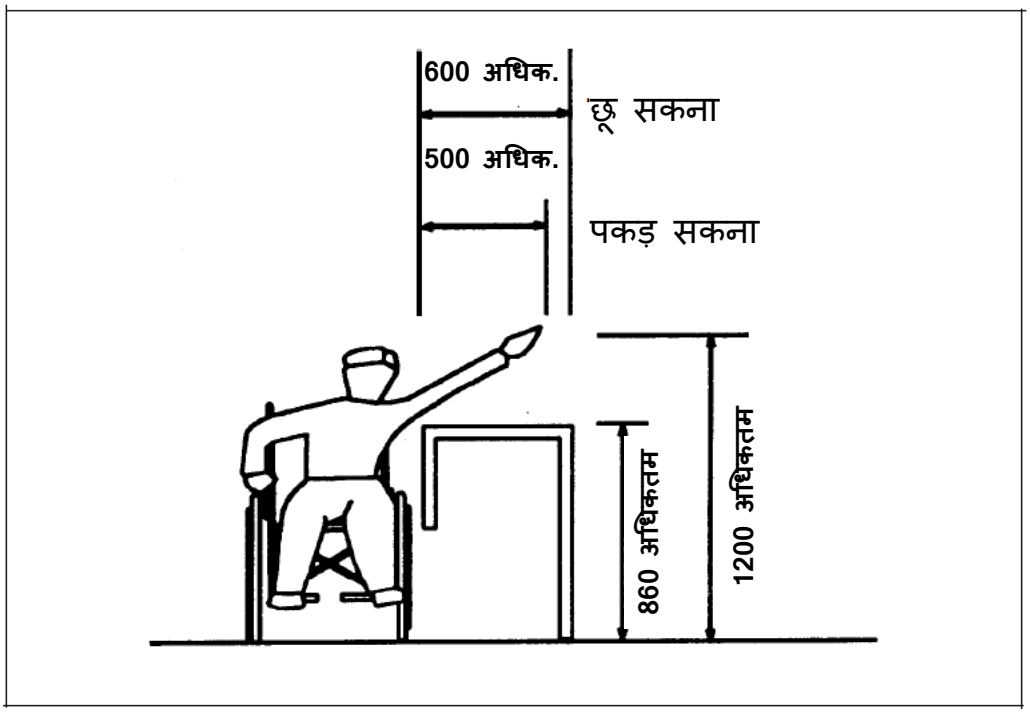

चित्र 6 - बिना किसी बाधा के बगल तक छू सकना

बैसाखी

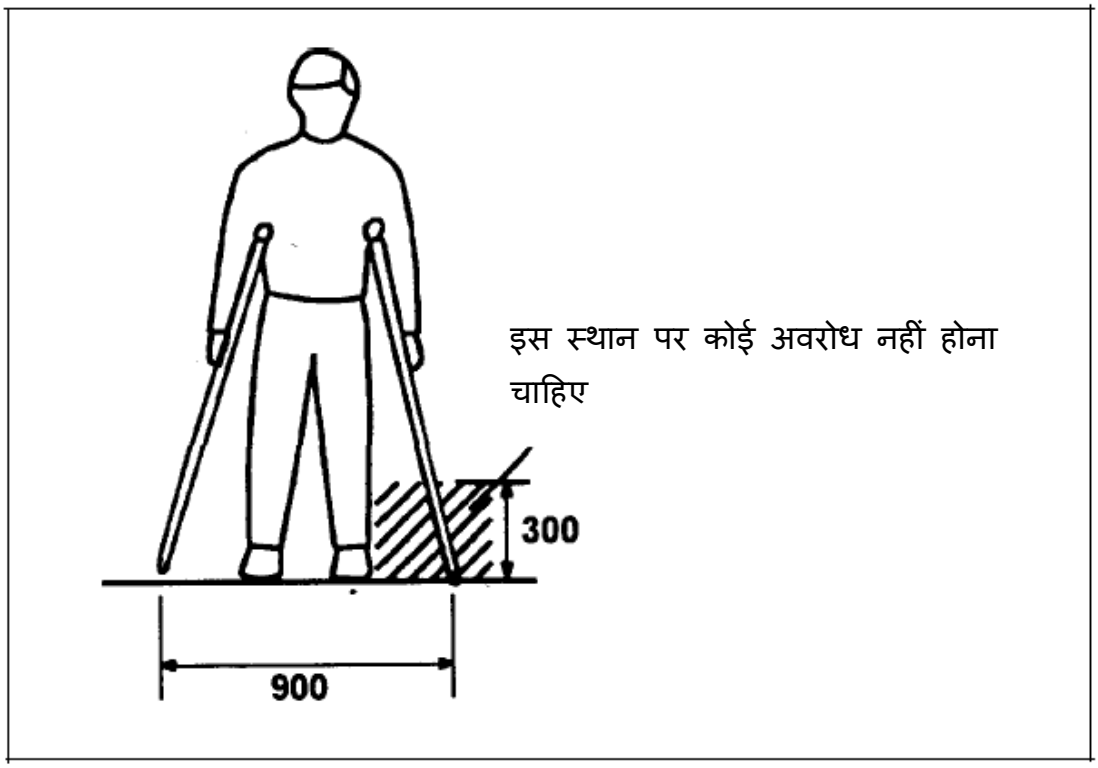

चित्र 7 - खुली जगह रखना

संचालन

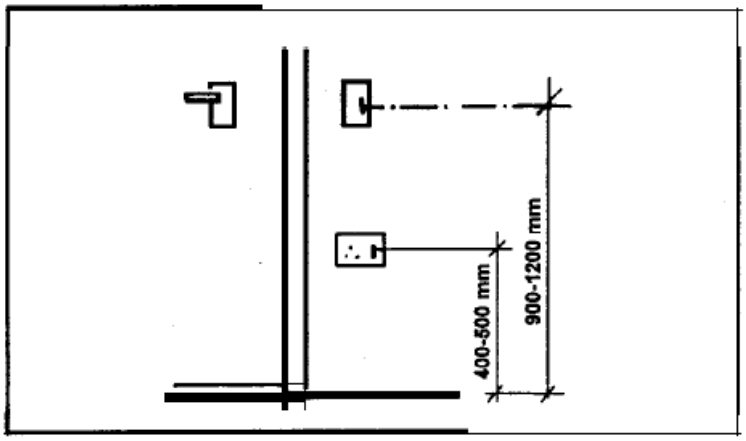

चित्र 8 - स्विच, दरवाज़ों, रेलिंग की ऊंचाई

संचालन

* दरवाज़ों और खिड़कियों को आसानी से बंद किया और खोला जा सके। खिड़की की ऊंचाई ज़मीन से 1400 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसका संचालन एक ही हाथ से किया जा सके।
* बिजली के स्विच इत्यादि और दरवाज़ों के हैंडल तथा अन्य फ़िटिंग्स ज़मीन से 900 मिमी -1200 मिमी के बीच होनी चाहिए।
* सामान्य प्रयोजन के लिए पावर पॉइंट ज़मीन से 400-500 मिमी के बीच लगाये जाने चाहिए।

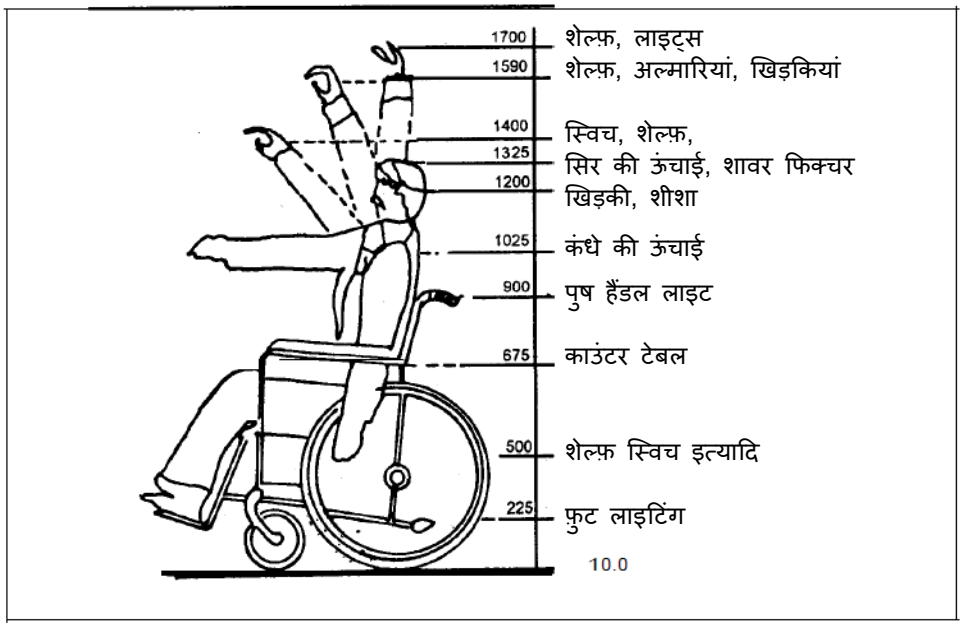

चित्र 9 - आवश्यक उपयोगी वस्तुओं तक आसानी से पहुंचने हेतु आदर्श पैमाने

पहुंच का पैमाना

* व्हीलचेयर उपयोगकर्ता की गति उसके कंधों के ऊपर उठने, उचकने पर ही निर्भर होती है, अतः उसकी पहुंच भी काफ़ी सीमित हो जाती है, एक वयस्क व्यक्ति के लिए अनुमानतः 630 मिमी है।
* जबकि व्हीलचेयर पर बैठे हुए व्यक्ति की आंखों की ऊंचाई ज़मीन से लगभग 1190 मिमी रहती है।

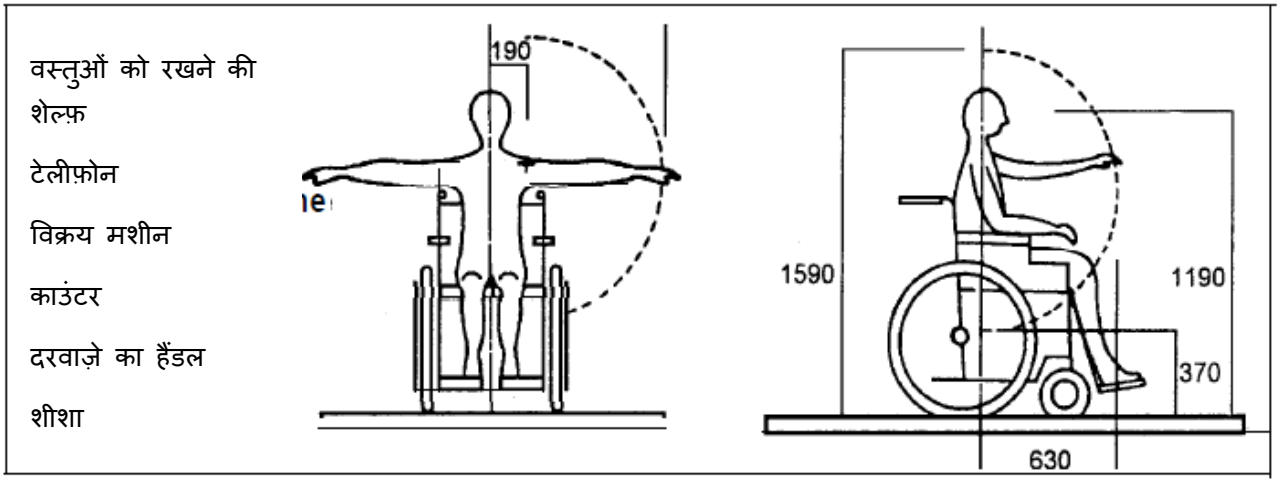

चित्र-10 - पहुंच का पैमाना

* व्हीलचेयर पर एक फुटप्लेट और लेग रेस्ट आगे की सीट के साथ जुड़ा होता है। (फुटप्लेट घुटने के आगे 350 मिमी तक बढ़ा रहता है)। फुटप्लेट व्हीलचेयर उपयोगकर्ता को किसी भी वस्तु के बहुत करीब जाने से रोक सकता है।

क. हाथ से संचालित होने वाले उपकरणों को इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि व्हीलचेयर पर बैठकर ही उसे सरलता से संचालित किया जा सके।

ख. यह सुनिश्चित किया जाये कि विक्रय मशीनों में सिक्का खांचा 1200 मिमी की ऊंचाई से अधिक न हो।

ग. काउंटर स्टैंड में कम से कम 350 मिमी गहरा और ऊपर 700 मिमी का फासला हो।

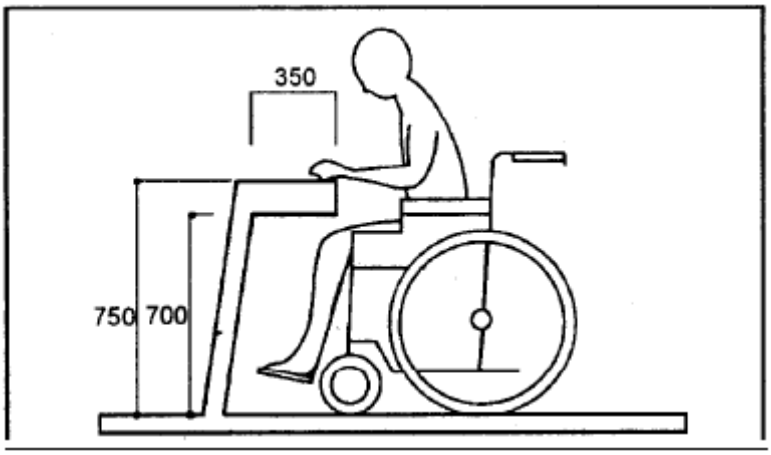

चित्र 11 - व्हीलचेयर फुटप्लेट के लिए आवश्यक समुचित स्थान

संरचना तथा रखरखाव मानक

अक्षम लोगों की विशेष ज़रूरतें

दिशा निर्देशों के अनुसार अक्षम लोगों की ज़रूरतों के अनुसार निम्न प्रकार का वातावरण निर्मित करने की आवश्यकता है -

क. चलने-फिरने में पूर्णतः अक्षम

व्हीलचेयर पर रहने वाला व्यक्ति निर्मित वातावरण के भीतर बिना किसी सहायक के अकेले स्वयं ही सुविधाओं का उपयोग कर सके।

व्हीलचेयर उपयोगकर्ता

व्हीलचेयर व्यक्ति स्वयं भी चला सकता है और उसे सहायक की भी आवश्यकता होती है। हालांकि, व्हीलचेयर का डिज़ाईन ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति बिना सहायक के उसका इस्तेमाल कर सके।

व्हीलचेयर की लंबाई तथा चौड़ाई, उसका नियंत्रण और ढलाई का व्यास निम्न बातों को तय करता है -

* प्रवेश और निकास की चौड़ाई (स्पष्टतः 900 मिमी, देखें प्रवेश/निकास द्वार पृष्ठ संख्या 34)
* बरामदे/गलियारे की चौड़ाई (न्यूनतम 900 मिमी, देखें गलियारा पृष्ठ संख्या 31)
* चढ़ाई के लिए स्लोप (न्यूनतम रैंप स्लोप 1:12, देखें रैंप जानकारी पृष्ठ संख्या 29)
* विभिन्न सतहों तथा खांचों से गुज़रना (संकीर्ण रास्तों तथा सतहों से गुज़रना कम से कम 2 सेमी या उससे भी कम। देखें साईट योजना, पृष्ठ संख्या 22 और 23)
* पहुंचने की श्रेणी (देखें पृष्ठ संख्या 12)
* व्हीलचेयर से उतरना। व्हीलचेयर से उतरकर शौचालय की सीट और बिस्तर पर जाने के लिए समुचित जगह मिलना (देखें शौचालय के बारे में जानकारी तथा मेहमान कक्ष, पृष्ठ संख्या 43 और 65)
* लिफ़्ट का आकार (संदर्भ लिफ़्ट के बारे में जानकारी, पृष्ठ संख्या 39)
* शौचालय का आकार (संदर्भ शौचालय के बारे में जानकारी, पृष्ठ संख्या 43)

ख. अर्द्ध-अक्षम विकलांगता

लंगड़ाकर चलने वाले व्यक्ति

इस श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो बैसाखियों के या छड़ी के सहारे चलते हैं, जिन्हें फेफड़े या हृदय रोग होते हैं। इस श्रेणी में वे लोग भी आते हैं जिनके ऊपरी या नीचे के अंग काम नहीं करते, लेकिन फिर भी वे बिना किसी सहायक के चल पाते हैं।

बनावट के लिए आवश्यकताएं

* बैसाखी इस्तेमाल करने वालों के लिए बरामदे की चौड़ाई (न्यूनतम 900 मिमी)
* फ़र्श बनाने के लिए फिसलन वाली सामग्री का उपयोग न किया जाये।
* मजबूत रेलिंग लगायी जाये, विशेषकर सीढ़ियों, शौचालय, रैंप, बरामदे इत्यादि पर (800-850 मिमी)
* सीढ़ियां, जहां ख़त्म होती हों, उस समतल जगह पर ऊपर तथा नीचे रेलिंग को बढ़ाया जाये। (300 मिमी)
* छड़ी या बैसाखी को सीढ़ियों के किनारों से फिसलने से बचाने के लिए किनारे खाली न छोड़े जायें (खुले किनारों में 20 मिमी की ऊंचाई तक ओट रखी जाये)।

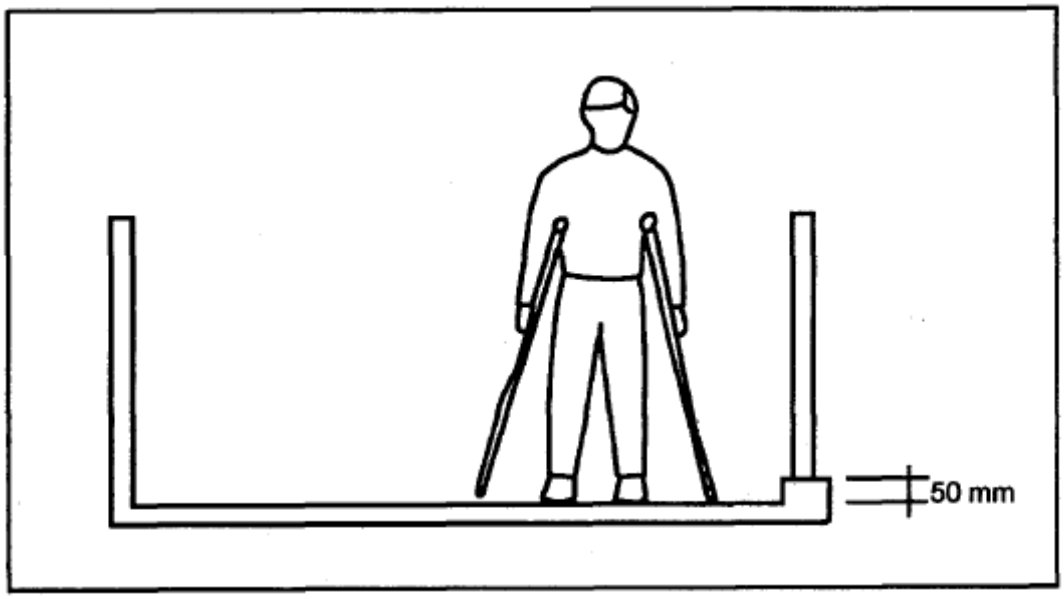

चित्र 12 - बरामदे का आकार

छड़ी या बैसाखी को सीढ़ियों के किनारों से फिसलने से बचाने के लिए किनारे खाली न छोड़े जायें खुले किनारों में 20 मिमी की ऊंचाई तक ओट रखी जाये।

ग. दृष्टि विकलांगता

कमजोर दृष्टि वाले व्यक्ति

इस श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं या वे नेत्रहीन होते हैं या उनकी दृष्टि बेहद कमज़ोर होती है। इस तरह के व्यक्ति अपनी दृष्टि के स्थान पर अपनी अन्य इन्द्रियों को प्रयोग करते हैं, जैसे सुनकर या छूकर वे नेत्र की कमी को पूरा करते हैं। यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे में हाथों, ऊंगलियों या पैरों को छूकर उन्हें सुलभ संदेश दें।

ऐसे विकलांग जो सफ़ेद छड़ी के सहारे चलते हैं, वे भी कई बार इधर-उधर पड़ी वस्तुओं से उलझ सकते हैं या उनका सिर या कंधा बेतरतीब बिखरी हुई वस्तुओं से टकरा सकता है।

बेहद कमज़ोर दृष्टि वाले व्यक्ति भी गहरे और चमकीले शेड्स तथा प्राथमिक रंगों में अंतर पहचान सकते हैं।

डिज़ाईन की आवश्यकताएं

* दृष्टि विकलांग व्यक्तियों को ईमारत के भीतर तथा बाहर प्रदान की गयी सुविधाओं के बारे में निर्देश देने के लिए मार्ग-निर्देशक तालिका का उपयोग किया जाना। (विस्तृत जानकारी के लिए देखें मार्ग-निर्देशक/चेतावनी ब्लॉक्स)।
* ब्रेल लिपी में सूचना पट्ट की स्थापना।
* श्रवण चेतावनी संकेतकों (घोषणाओं) का संस्थापन।
* सुरक्षित पैदल चलने हेतु पर्याप्त जगह और रास्ते से उलझने वाली वस्तुओं को हटाना।
* सीमित दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए विषम रंगों की व्यवस्था।

घ. श्रवण विकलांगता

बहरापन

इस श्रेणी के लोग पूर्णतः बहरे होते हैं या सुनने में कठिनाई होती है। वे सार्वजनिक जगहों पर सूचना पाने के लिए आमतौर पर अपनी आंखों का प्रयोग करते हैं।

डिज़ाईन की आवश्यकताएं

* सूचना पट्ट पर आसानी से समझ आने वाले प्रावधान हों।
* चेतावनी संकेतक और लेआऊट डायग्राम इत्यादि इस तरह से प्रकाशित किये जायें कि व्यक्ति आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सके।

वृद्ध व्यक्ति

वृद्ध व्यक्तियों को कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे चलने-फिरने में, सुनने, देखने या किसी अन्य प्रकार की शारीरिक कठिनाई। इस कारण उनके लिए भवन और उसके बाहर उनके लिए ऐसे दिशा-निर्देश और सुविधाएं हों, जो अन्य शारीरिक तौर पर विकलांग लोगों के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

इमारतों का वर्गीकरण

श्रेणी 1 आवासीय

श्रेणी 2 वाणिज्यिक

श्रेणी 3 उत्पादन-संबंधी

श्रेणी 4 सरकारी और अर्द्ध-सरकारी

श्रेणी 5 मनोरंजनात्मक

श्रेणी 6 यातायात तथा संचार

श्रेणी 7 कृषि तथा पेयजल निकाय

श्रेणी 8 विशिष्ट क्षेत्र

श्रेणी 1 आवासीय

प्राथमिक आवासीय क्षेत्र

मिश्रित आवासीय क्षेत्र

अनियोजित अनौपचारिक आवासीय क्षेत्र

श्रेणी 2 वाणिज्यिक

खुदरा बिक्री क्षेत्र

सामान्य व्यापार व वाणिज्यिक

ज़िला केंद्र

थोक व्यापार, गोदाम, मालगोदाम/विनियमित बाज़ार

श्रेणी 3 उत्पादन-संबंधी

बिजली सेवा संबंधी उद्योग

व्यापक तथा भारी उद्योग

विशेष औद्योगिक क्षेत्र

ख़तरनाक, हानिकारक और रासायनिक

श्रेणी 4 सरकारी-ग़ैर सरकारी

सरकारी/अर्द्ध सरकारी /जन कार्यालय

विशेष औद्योगिक क्षेत्र

ख़तरनाक, हानिकारक और रासायनिक

शिक्षा तथा अनुसंधान, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य

सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक

	सुविधाएं तथा सेवाएं
	श्मशान तथा कब्रिस्तान
श्रेणी 5	मनोरंजन-संबंधी
	खेल का मैदान/स्टेडियम/क्रीड़ा स्थल/उद्यान तथा मैदान
	विशेष मनोरंजक क्षेत्र-प्रतिबंधित खुले मैदान,
	बहुआयामी मैदान
श्रेणी 6	यातायात तथा संचार
	सड़क
	रेलवे
	हवाईअड्डा
	बंदरगाह तथा गोदी
	बस डिपो/ट्रक टर्मिनल तथा माल-भाड़ा केंद्र
	यातायात तथा संचार
श्रेणी 7	कृषि तथा पेयजल निकाय
	कृषि
	वन
	मुर्गीपालन तथा डेयरी फ़ार्मिंग
	ग्रामीण बस्तियां
	ईंट भट्टी तथा खनन क्षेत्र
	जल निकाय
श्रेणी 8	विशिष्ट क्षेत्र
	प्राचीन निर्मित क्षेत्र
	धरोहरें तथा संरक्षित क्षेत्र
	सुंदर और दर्शनीय स्थल
	ग्रामीण बस्तियां
	अन्य उपयोगी बंदोबस्त

विभिन्न प्रकार की इमारतों में प्रवेश हेतु न्यूनतम प्रावधान की आवश्यकता

इमारतों के प्रकार	न्यूनतम प्रावधान
* एकल पृथक, एकल आवासीय इकाईयां	कुल इकाईयों में 2 प्रतिशत बाधा मुक्त सुविधाएं निर्मित हों। (अपनाने योग्य इकाईयां)
* कर्मचारी आवास, बहुआयामी आवास तथा उच्च-स्तरीय आवासीय इकाईयां तथा अन्य	प्रत्येक 25 पर एक यूनिट तथा इसके बाद 100 इकाईयों पर सदन एक अतिरिक्त इकाई। सुलभ प्रवेश व निकासी
* गृह-आवास, पंक्तिबद्ध घर, अपार्टमेंट्स तथा शहरी आवास	150 इकाईयों पर कम से कम एक इकाई तथा इसके बाद 100 इकाईयों पर एक अतिरिक्त इकाई
* डाक घर, बैंक तथा वित्तीय सेवा संस्थान	परिसर में कम से कम एक काउंटर परिसर में कम से कम एक एटीएम मशीन/नकद भुगतान स्थल, वेंडिंग मशीन
* गृह-दुकानें व सिंगल स्टोरी दुकानें	सुलभ बाज़ार क्षेत्र
* पूजा स्थल	पूजा स्थलों में आना-जाना सुलभ हो। मस्जिद - सुलभ प्रक्षालन क्षेत्र चर्च - पाप-स्वीकार पीठिका, कुंड, उपासना-घर में प्रवेश मंदिर - प्रांगण तथा पूजा-स्थल में प्रवेश
* आहार-केंद्र	बिना स्टूल के कम से कम एक मेज़ या प्रत्येक 10 मेजों के लिए सीटें फ़र्श से जुड़ी हुई हों। बिना स्टूल के कम से कम दो मेज हों या पूरे पूरिसर के लिए सीटें फर्श से जुड़ी हुई हों। प्रवेश सुलभ हो।
* सामुदायिक केंद्र, ग्रामीण परिसर,	सुलभ प्रवेश, निकास, गलियारे और मुख्य

ऑडिटोरियम, कॉन्सर्ट हॉल, असेंबली हॉल, सिनेमा, थिएटर, तथा जन सभाओं के लिए स्थान	सामुदायिक या जन सभा क्षेत्र। शौचालय की समीप व्यवस्था विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य प्रवेश द्वार तथा लॉबी में सुलभ प्रवेश व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए उनकी इच्छानुसार बैठने की व्यवस्था प्रत्येक 100 सीटों पर कम से कम दो व्हीलचेयर के लिए जगह। 100 से 400 सीटों की क्षमता वाली जगह पर कम से कम चार व्हीलचेयर के लिए जगह।

ईमारत के परिसर के भीतर के डिज़ाइन्स

(सार्वजनिक भवन)

1. साईट योजना
    * पैदल तथा पहियों के लिए रास्ता
    * संकरे रास्ते तथा नालियां
    * पटरी तथा किनारे
2. पार्किंग
3. तल का आधार
    * रैंप को ध्यान में रखते हुए
    * सीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए
4. प्रवेश करना और उतरना
5. गलियारा
6. प्रवेश/निकास द्वार
7. खिड़कियां
8. सीढ़ियां
9. लिफ़्ट
10. शौचालय
11. चेतावनी संकेतक
12. अन्य सुविधाएं
    * काउंटर
    * पानी के फव्वारे
    * टेलीफ़ोन
    * लेटर बॉक्स
    * वैंडिंग मशीन

साईट योजना

प्रत्येक ईमारत तथा उसकी साईट को विकलांगों तथा वृद्धों के अनुकूल ढालने के लिए डिज़ाईन प्रक्रिया के आरंभ में ही योजना बनानी चाहिए।

पैदल तथा पहियों के लिए रास्ता

* पैदल चलने के लिए रास्ता समतल होना चाहिए, कड़ी सतह पहिए के अनुकूल होती है। असमतल सतह जैसे पत्थर, कंक्रीट, ईंट इत्यादि ऊबड़-खाबड़ सिद्ध होती है।
* पैदल चलने का रास्ता कम से कम 1200 मिमी चौड़ा और जिस पर दोनों ओर से आवागमन हो सके। यह रास्ता 1650 मिमी से 1800 मिमी होना चाहिए।
* लंबवत ढलान 3 से 5 प्रतिशत (1 मीटर में 30 मिमी-50 मिमी) होनी चाहिए।
* प्रत्येक 60 मीटर फासले के बाद ज़रूरी है कि आराम के लिए बैंच लगाये जायें। सुविधा के लिए बैंच 350 मिमी से 425 मिमी ऊंची होनी चाहिए, लेकिन 450 मिमी से ऊंची न हो।
* प्रत्येक सीट को लगाने से पहले मैटीरियल या बनावट को इस तरह डिज़ाईन किया जाये कि नेत्रहीन व्यक्ति को टहलते हुए आभास हो जाये कि आगे बैंच है।
* रास्ते में नालियां और गटर इत्यादि न बनाये जायें। यदि इसकी ज़रूरत पड़ती भी है तो उन्हें ढककर यात्रा पथ को समतल रखा जाना चाहिगाया जाये, और रास्ते में कहीं भी वे खुली न हों और उनकी चौड़ाई 12 मिमी से अधिक न हो।

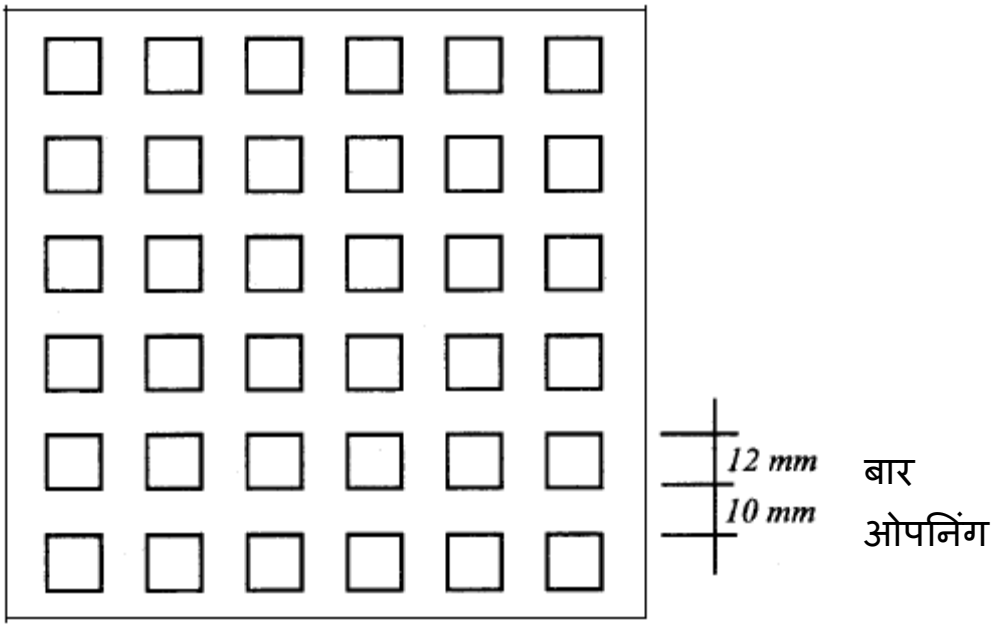

चित्र 13 - जालियों का विवरण

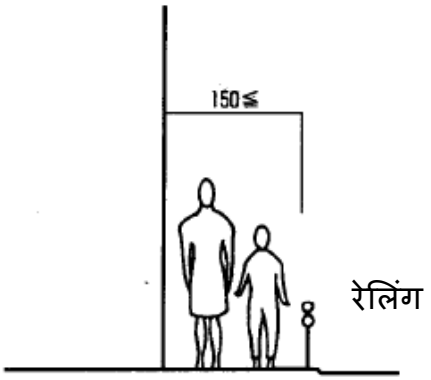

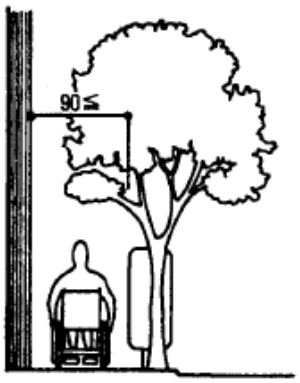

फ़ुटपाथ की चौड़ाई

सतह और नालियां

(भिन्न सतहों तथा नालियों पर)

* एक व्हीलचेयर के कैस्टर का व्यास लगभग 180 मिमी होता है, अतः व्हीलचेयर केवल छोटे स्तर के अंतर को ख़त्म कर सकती है।
* ऐसा तरीका इस्तेमाल करें, जिससे सतह की ऊंचाई का अंतर कम हो, निम्न प्रकार के तरीकों के साथ -

स्तह में अंतर

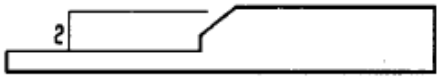

सतह के अंतर का आकार

* यदि कैस्टर नाली में फंस जाता है, तो व्हीलचेयर को आगे बढ़ाना कठिन हो सकता है।

क. यह ज़रूरी है कि सतह में कोई अंतर न हो। (यदि अंतर को दूर नहीं किया जा सकता तो 20 मिमी या उससे कम का अंतर रखना चाहिए)

ख. किनारे नुकीले न हों, वे झुके हुए हों।

ग. व्हीलचेयर को फसने से बचाने के लिए जल निकासी वाली नालियां ढकी होनी ज़रूरी हैं ।

क) नाली को संकरी सलाखों से गति की दिशा के अनुसार ढका जाये।

ख) फ़िसलने वाली सामग्री इस्तेमाल न की जाये।

ग) लिफ़्ट से फ़र्श पर उतरने का फ़ासला कम रखा जाये।

पटरी तथा किनारे

(निजी संपत्ति)

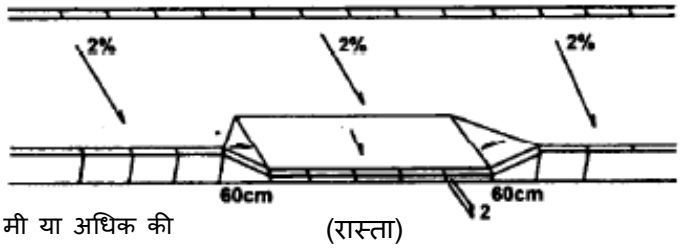

2.5 मी या अधिक की चौड़ाई

(रास्ता)

पैदल रास्ते का विवरण

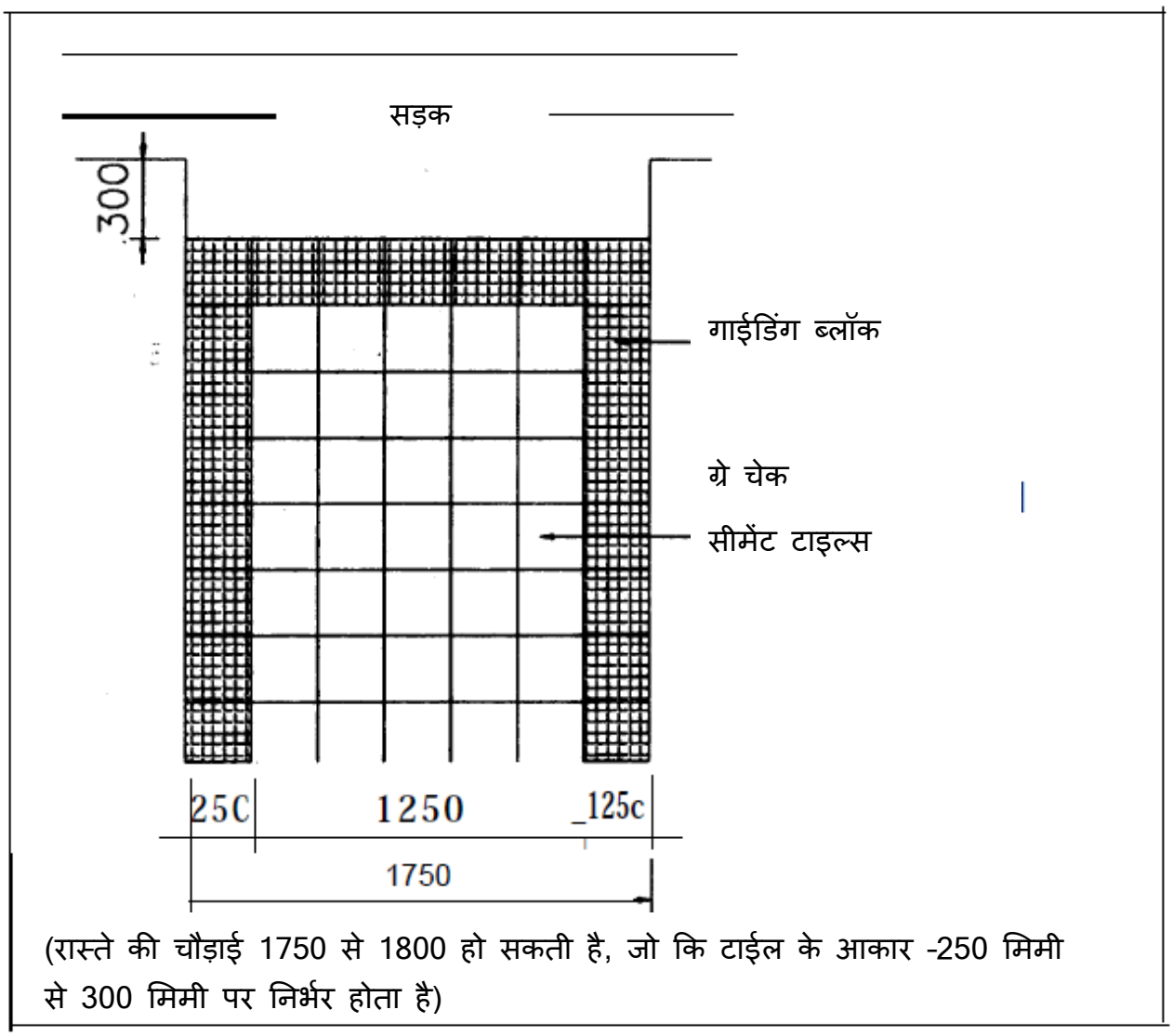

(रास्ते की चौड़ाई 1750 से 1800 हो सकती है, जो कि टाईल के आकार -250 मिमी से 300 मिमी पर निर्भर होता है)

नोट -

* पैदल चलने वाला रास्ता फिसलने वाला नहीं होना चाहिए।
* उस पर से वाहन नहीं गुज़रने चाहिए।
* मेन-होल, पेड़ या अन्य किसी तरह की बाधाएं पैदल चलने वाले रास्ते में नहीं आनी चाहिए।
* रास्ता आरंभ होने और समाप्त होने पर निर्देश ब्लॉक लगे होने चाहिए।
* गाईडिंग ब्लॉक लाल चेक टाइल से निर्मित होना चाहिए और क्षेत्र के बाकी हिस्से की तुलना में इसकी बनावट और इसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री भिन्न होनी चाहिए।

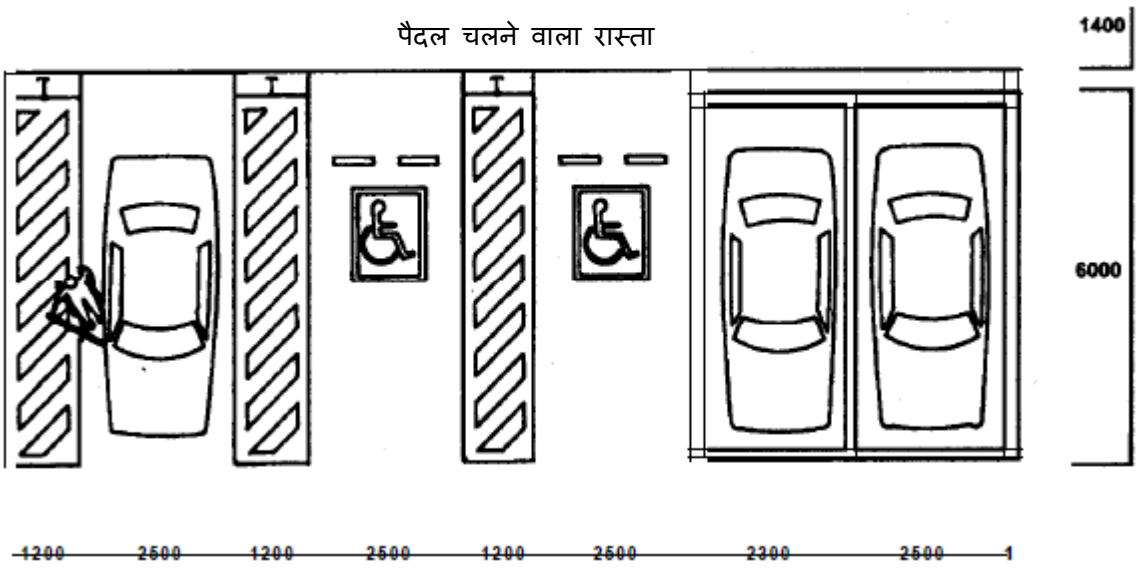

पार्किंग

पार्किंग

पार्किंगः- विकलांग लोगों के वाहनों के लिए निम्न प्रावधान होंगे -

क) विकलांग लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था ईमारत में प्रवेश करने से 30 मी के भीतर की जायेगी।

ख) पार्किंग खंड की चौड़ाई कम से कम 3.60 मीटर होगी।

ग) यह स्पष्ट तौर पर सूचित किया जायेगा कि स्थल व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए आरक्षित है।

घ) गाईडिंग तल सामग्री या वह उपकरण उपलब्ध करवाया जायेगा जिससे नेत्रहीन लोगों को श्रवण संकेत उपलब्ध हो सकें।

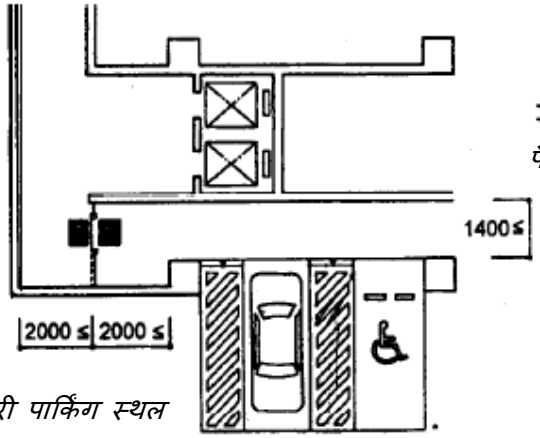

भीतरी पार्किंग स्थल

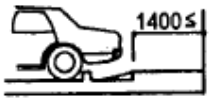

पैदल चलने वाला रास्ता

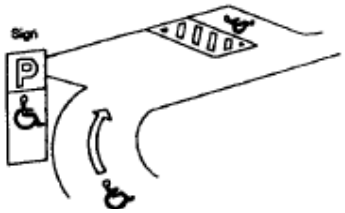

पार्किंग स्थल तक पहुंचना

भूतल की ओर जाने का मार्ग

भूतल की ओर जाने का मार्ग - प्रत्येक ईमारत में कम से कम एक प्रवेश द्वार तो विशेष तौर पर विकलांग व्यक्तियों के लिए होगा और जिस पर समुचित तौर पर चेतावनी संकेतक भी लगे होंगे। इस प्रवेश द्वार पर रैंप से पहुंचा जा सकेगा, जो प्रवेश करने वाली सीढ़ियों के साथ ही बना होगा।

रैंप की ओर का मार्ग - रैंप पर फ़िसलन वाली सामग्री इस्तेमाल नहीं की जायेगी। रैंप की चौड़ाई कम से कम 1800 मिमी होगी और ढलान 1.12 तथा रैंप की लंबाई 9.0 मी से अधिक नहीं हागी व दोनों तरफ़ 800 मिमी और 900 मिमी रेलिंग लगी होगी जो रैंप के परे ऊपर तथा नीचे 300 मिमी तक बढ़ायी जा सकती है। रेलिंग से सटी दीवार के बीच की दूरी 50 मिमी होगी।

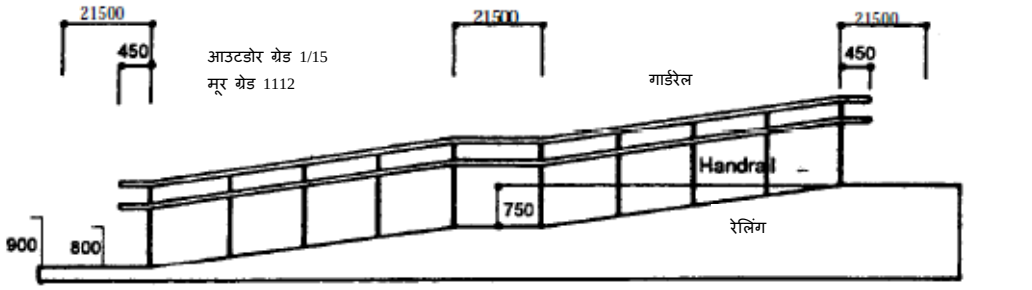

रैंप की ऊंचाई

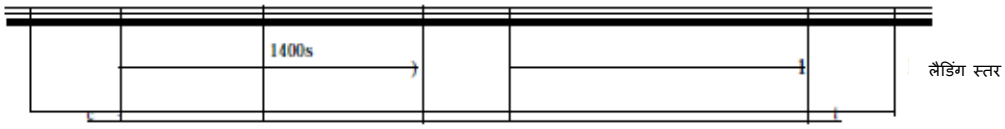

रैंप की योजना

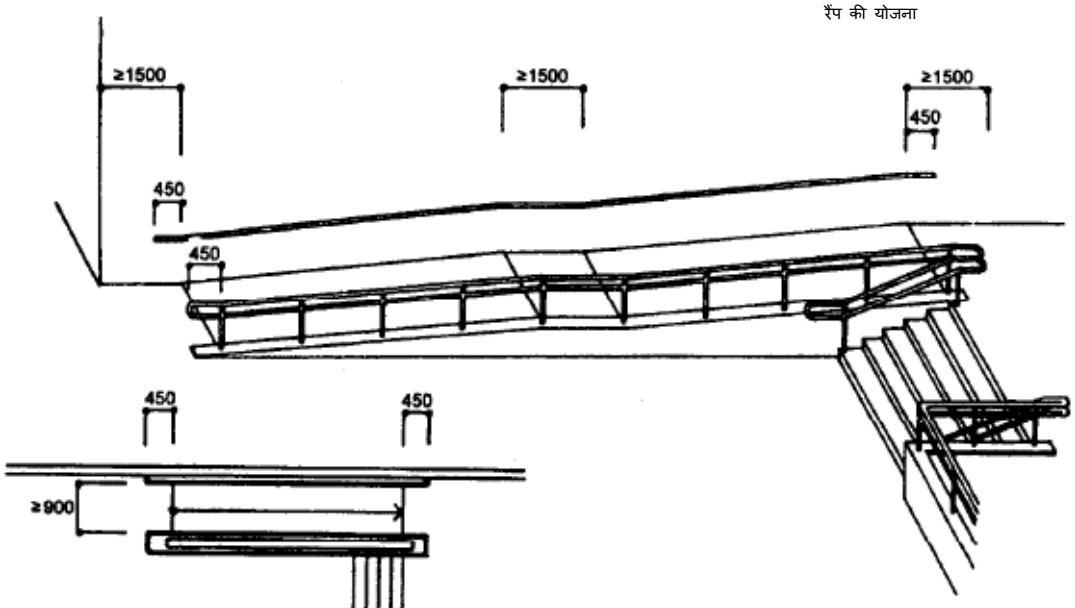

रैंप का दृश्य

सीढ़ी के साथ संयुक्त रैंप

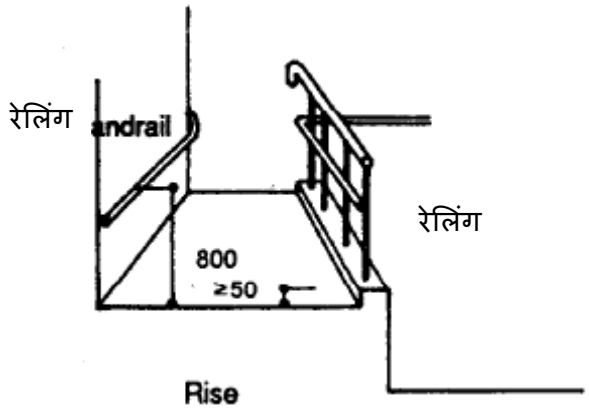

रैंप को पार करना

* व्हीलचेयर से रैंप पर चढ़ते हुए ऊपरी अंग पर भार पड़ता है, उसे आगे की ओर धकेलना होता है।
* रैंप से उतरने पर, विशेषकर सीधी ढाल पर, व्हीलचेयर नियंत्रण से बाहर हो सकती है, उपयोगकर्ता द्वारा उसकी गति को हाथ से नियंत्रित करना चाहिए।
* खड़ी चढ़ाई और खड़ी ढलान से बचना चाहिए।

(क) यह सुनिश्चित करना होगा कि रैंप की ऊंचाई प्रत्येक 20 मिमी की यात्रा पर मध्यम 10 मिमी ऊंचाई हो।

(ख) व्हीलचेयर नियंत्रण से बाहर न हो, उसमें ठहराव आये, इसके लिए रैंप के ऊपर तथा नीचे 15 मिमी लंबाई में सीधी सतह दी जाती है।

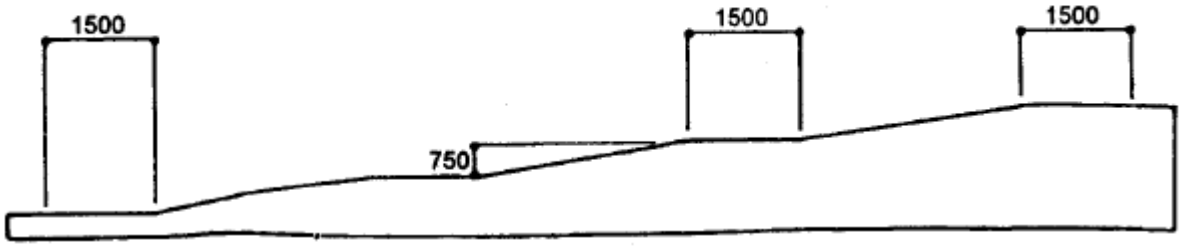

रैंप को पार करना

सीढ़ियों की ओर का मार्गः- सीढ़ियों के ऊपरी भाग का माप 300 मिमी से कम नहीं हो और अधिकतम 150 मिमी उठाया गया हो। सीढ़ियों के दोनों ओर रैंप की ही तरह 900 मिमी ऊंची रेलिंग का प्रावधान हो।

रैंप विवरण

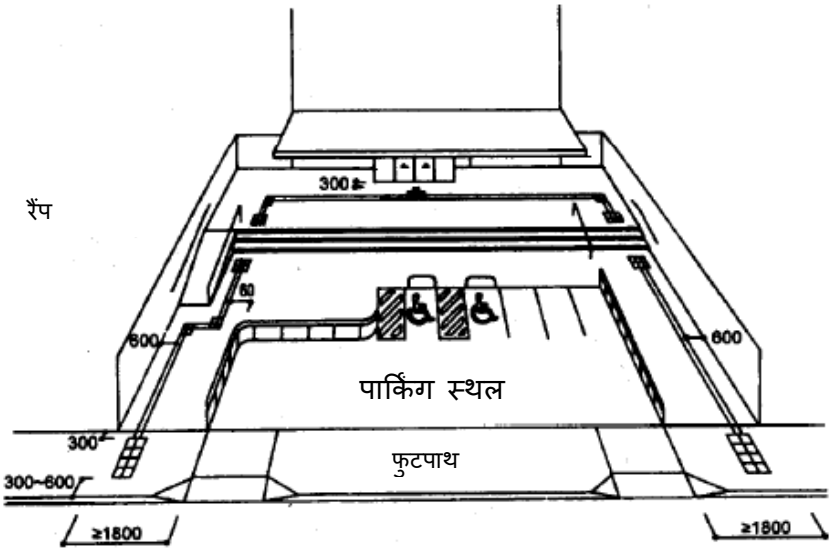

मार्ग का दृश्य

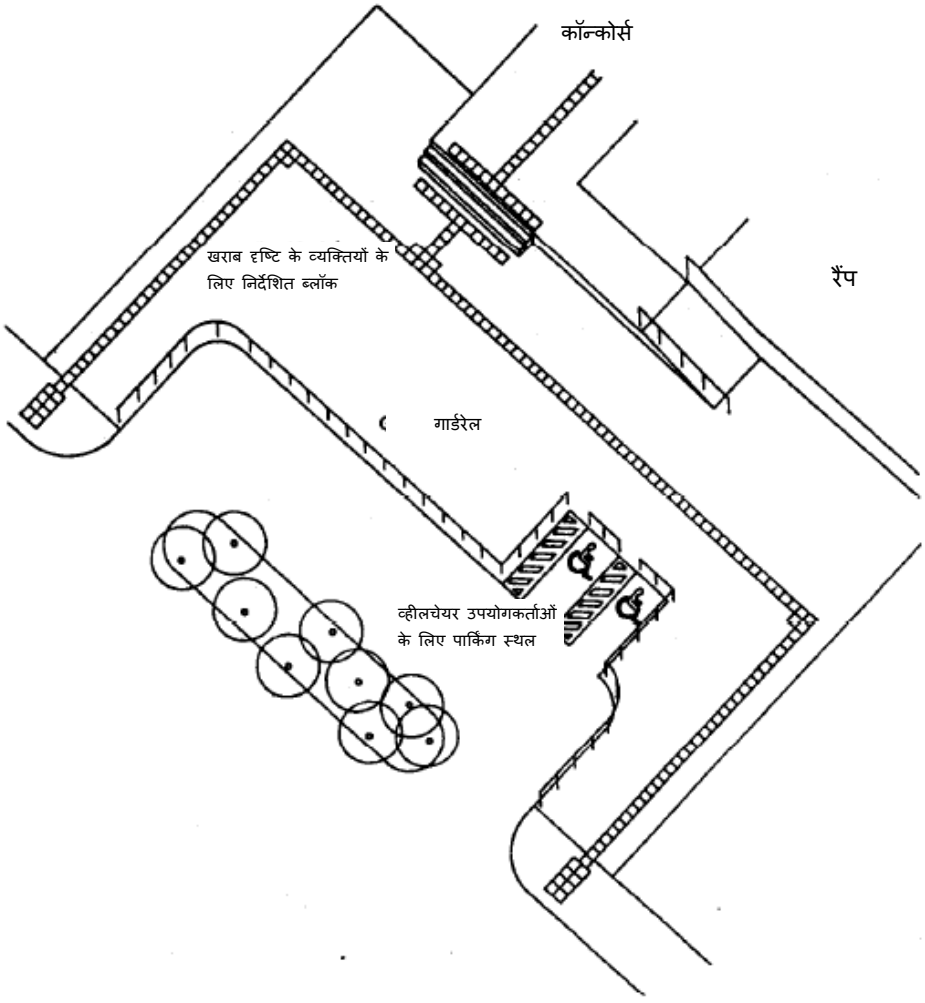

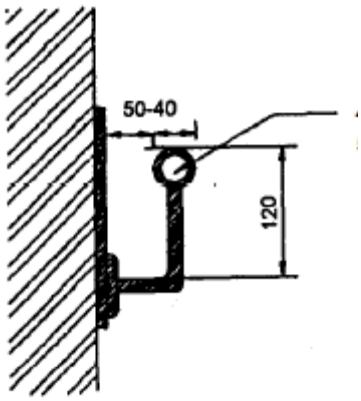

दीवार से 50 मिमी दूर 40
मिमी व्यास की रेलिंग

दीवार पर रेलिंग लगाने का विवरण

रैंप के शुरू और अंत में
300 मिमी दूर गाइडिंग ब्लॉक

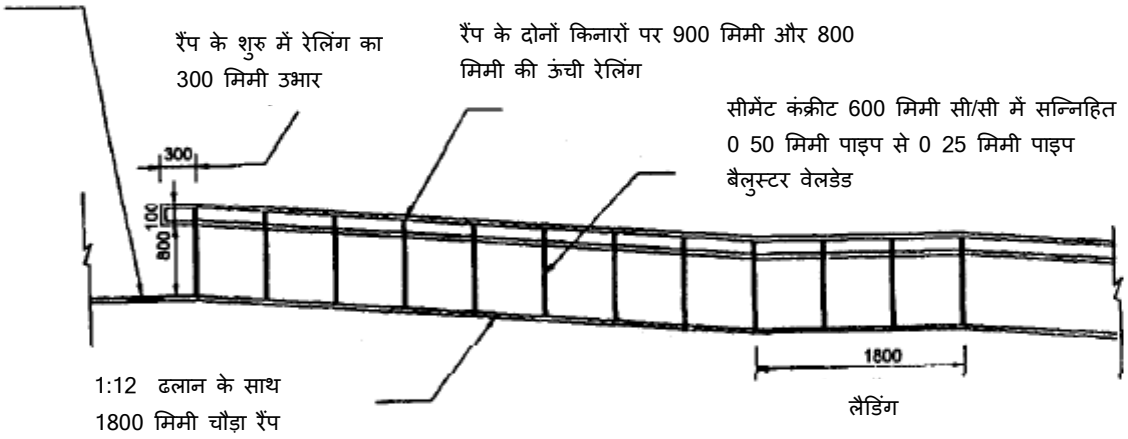

रैंप के शुरु में रेलिंग का
300 मिमी उभार

रैंप के दोनों किनारों पर 900 मिमी और 800
मिमी की ऊंची रेलिंग

सीमेंट कंक्रीट 600 मिमी सी/सी में सन्निहित
0 50 मिमी पाइप से 0 25 मिमी पाइप
बैलुस्टर वेलडेड

1:12 ढलान के साथ
1800 मिमी चौड़ा रैंप

लैडिंग

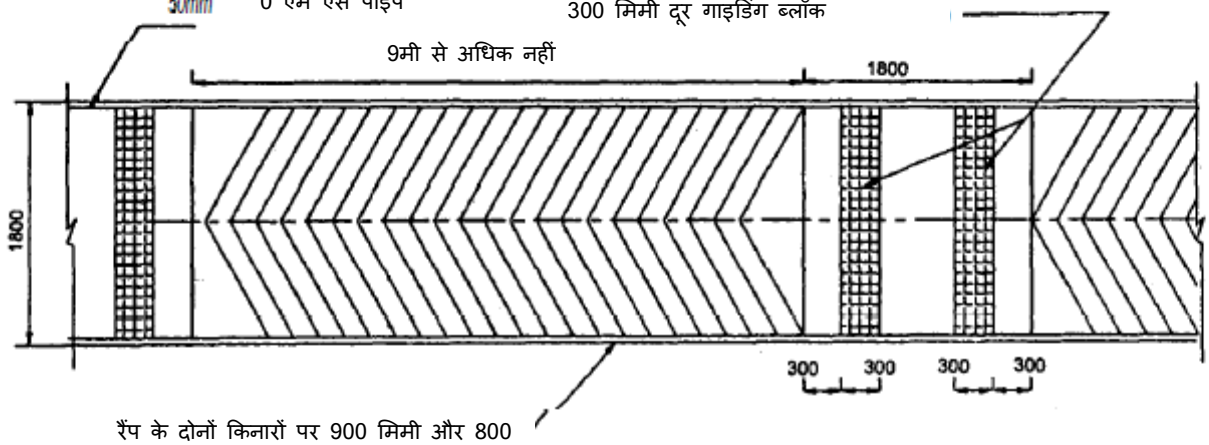

0 एम एस पाइप

रैंप के शुरू और अंत में
300 मिमी दूर गाइडिंग ब्लॉक

रैंप के दोनों किनारों पर 900 मिमी और 800
मिमी की ऊंची रेलिंग

योजना

प्रवेश द्वार

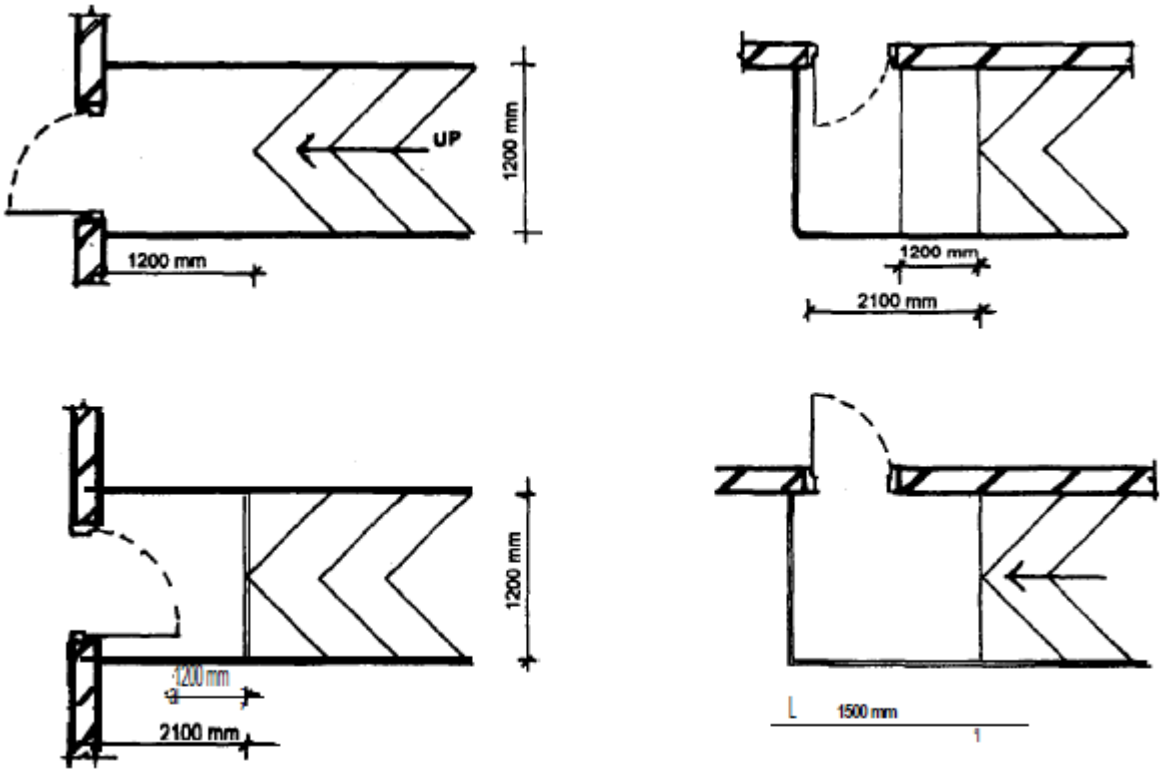

प्रवेश द्वार - प्रवेश द्वार रैंप से जोड़ा जायेगा, जिसका न्यूनतम आयाम 1800X2000 मिमी होगा। स्लोप के अंत में प्रवेश द्वार पर नेत्रहीन लोगों के लिए फर्श पर 'गाईडिंग फ़्लोर मैटीरियल' (अनुलग्नक) के अनुसार विशेष इंतज़ाम किये जाने का प्रावधान है। इसका रंग और इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री आसपास के माहौल से एकदम भिन्न होगी। सतह फ़िसलनभरी नहीं होगी और बनावट तिरछी होगी। पटरी के किनारे का स्तर एक समान रखा जाये।

गलियारा

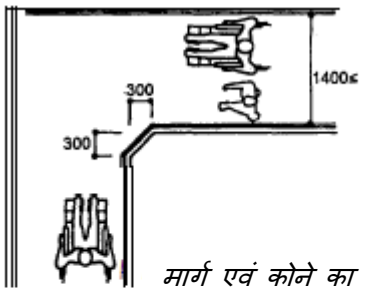

मार्ग एवं कोने का भाग

दीवार सतह से भरा स्थापित एक टायर हायड्रन्ट बॉक्स (पानी का नल) का उदाहरण

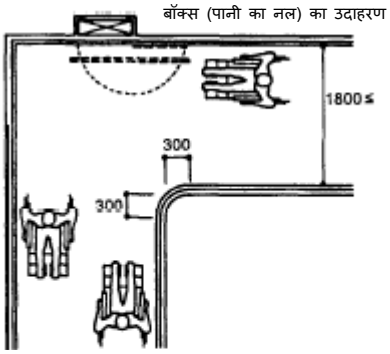

अनेक व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं हेतु आने-जाने की सुविधा के लिए मार्ग

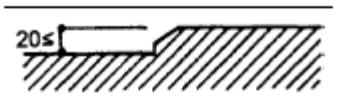

स्तरों में अंतर की सीमा

विकलांग व्यक्तियों के लिए गलियारे को प्रवेश/निकास से जोड़नाः- गलियारा प्रवेश द्वार/निकास द्वार से जुड़ा होगा, जो सीधा बाहर उस क्षेत्र तक जायेगा जहां नेत्रहीन लोगों को पूरी ईमारत के बारे में या तो व्यक्तिगत तौर पर या संकेतों द्वारा जानकारी उपलब्ध करायी जा सकती है।

क. 'गाईडिंग फ़्लोर मैटीरियल' के साथ ही वे उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं, जो आवाज़ के माध्यम से नेत्रहीनों को निर्देश देंगे।

ख. न्यूनतम चौड़ाई 1500 मिमी होगी।

ग. यदि सतहें भिन्न प्रकार की हैं तो, ढलान 1.12 उपलब्ध करायी जायेगी।

घ. ढलान तथा रैंप के रास्तों पर रेलिंग उपलब्ध होगी।

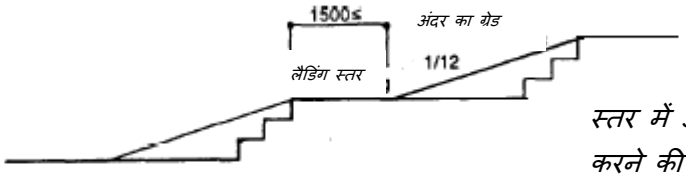

स्तर में अंतर खत्म करने की विधि

1. व्हीलचेयर मार्ग के लिए आवश्यक चौड़ाई

(1) व्हीलचेयर की चौड़ाई लगभग 650 मिमी होती है। व्हीलचेयर को उपयोग में लाने पर हाथ और बाहें बाहर रहती हैं, तो इसके रास्ते की चौड़ाई 900 मिमी या उससे अधिक होनी चाहिए।

(2) प्रवेश तथा निकास द्वार की चौड़ाई 900 मिमी हो सकती है। हालांकि गलियारे इत्यादि की चौड़ाई कम से कम 900 मिमी होनी चाहिए, ताकि व्हीलचेयर आसानी से आगे-पीछे जा सके और पूरा चक्कर लगा या घूम सके।

व्हीलचेयर मार्ग के लिए आवश्यक चौड़ाई

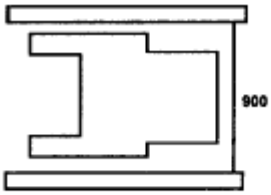

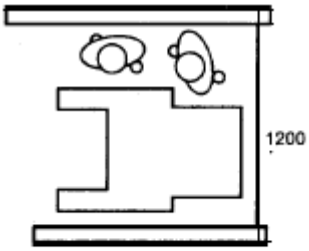

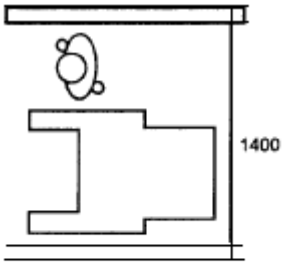

केवल आवास हेतु

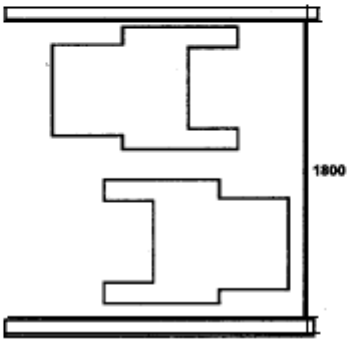

गलियारा, रैंप

क. गलियारा इत्यादि 900 मीटर चौड़ा होना चाहिए। हालांकि इस चौड़ाई में भी अकसर व्हीलचेयर का घूमना कठिन हो जाता है।

---

2. **व्हीलचेयर को घूमाने के लिए आवश्यक चौड़ाई**

दायीं ओर बने रेखाचित्र में दिखाया गया है कि व्हीलचेयर को घूमाने के लिए कितनी जगह की आवश्यकता है।

व्हीलचेयर को घूमाने के लिए आवश्यक चौड़ाई

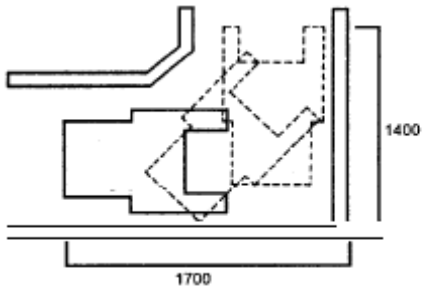

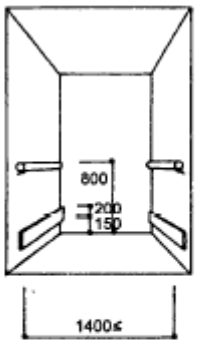

गलियारे का क्रास सेक्शन

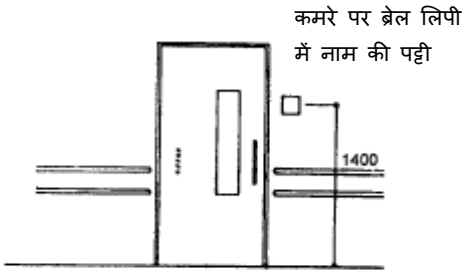

कमरे का प्रवेश/निकास तथा आसपास का माहौल

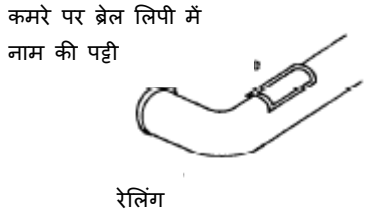

उलझने वाली वस्तुएं जैसे दिशात्मक संदेश, पेड़ की टहनियां, तारें, रस्सियां, सार्वजनिक टेलीफ़ोन बूथ, बैंच तथा सजावटी सामान इत्यादि नेत्रहीन व्यक्ति की छड़ी की पहुंच को ध्यान में रखकर लगानी चाहिए।

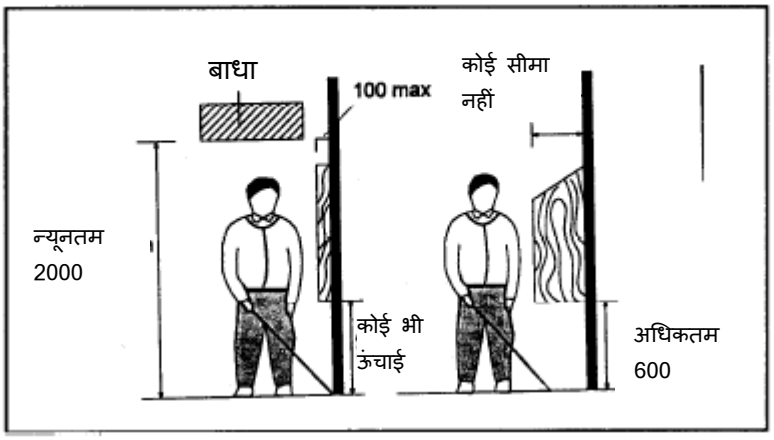

उलझने वाली वस्तुएं

प्रवेश/निकास द्वार

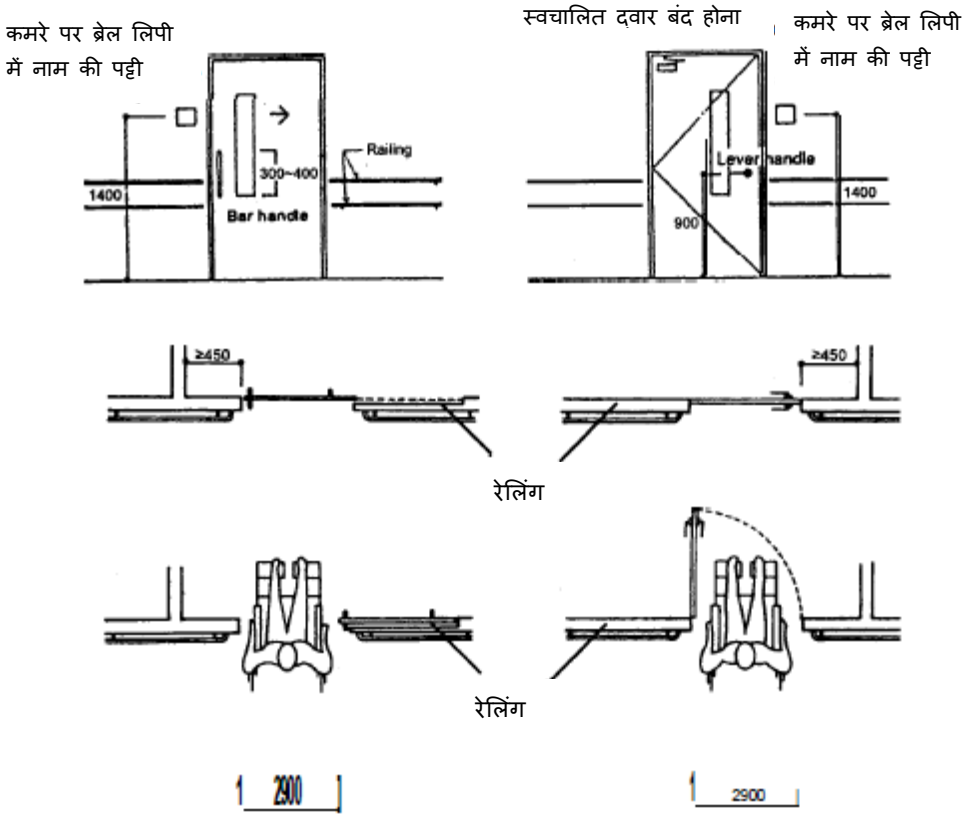

भीतर का दरवाज़ा (स्लाइडिंग) भीतर का दरवाज़ा (कब्ज़ेवाला)

निकास/प्रवेश द्वारः- प्रवेश द्वार कम से कम 900 मिमी तो खुलेगा तथा उसमें कोई सीढ़ीनुमा बाधा नहीं होगी, जो व्हीलचेयर उपयोगकर्ता को मार्ग में बाधा पहुंचाए।

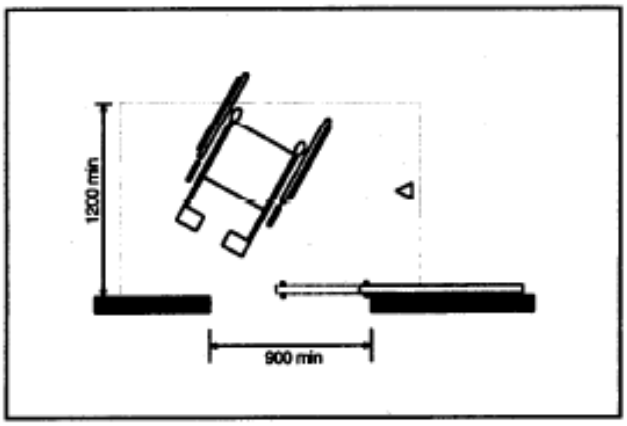

स्लाइडिंग दरवाज़ा

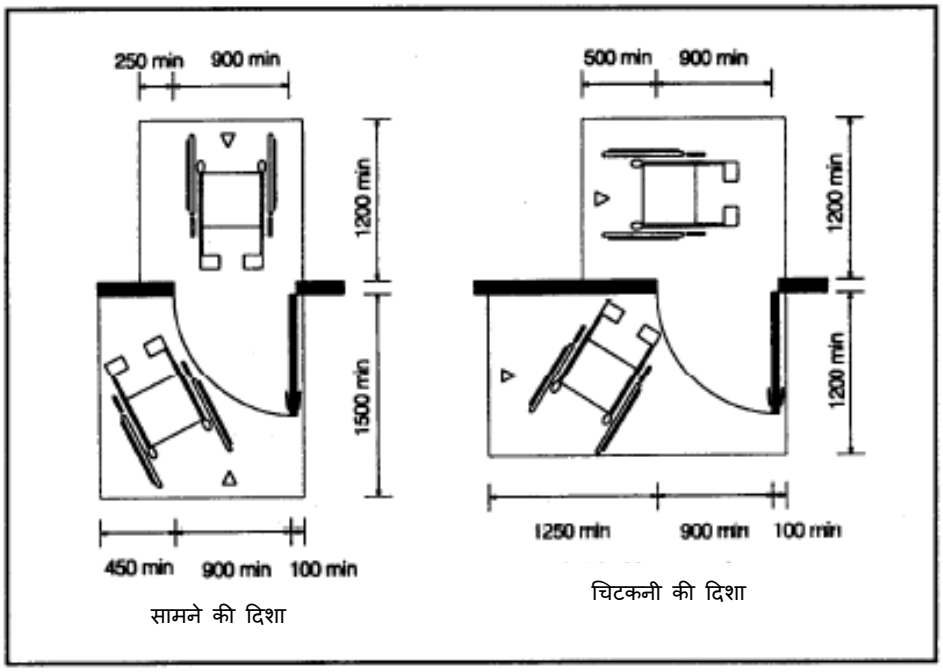

दरवाज़े

खिड़कियां

* खिड़कियों की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि व्हीलचेयर पर बैठे हुए ही व्यक्ति उसका उपयोग कर पाये।
* व्हीलचेयर उपयोगकर्ता खिड़की से बाधारहित बाहर देख सके।
* पर्दे या वेनेटियन ब्लाइंड्स को व्हीलचेयर पर बैठे-बैठे ही नियंत्रित करना सुलभ होना चाहिए।

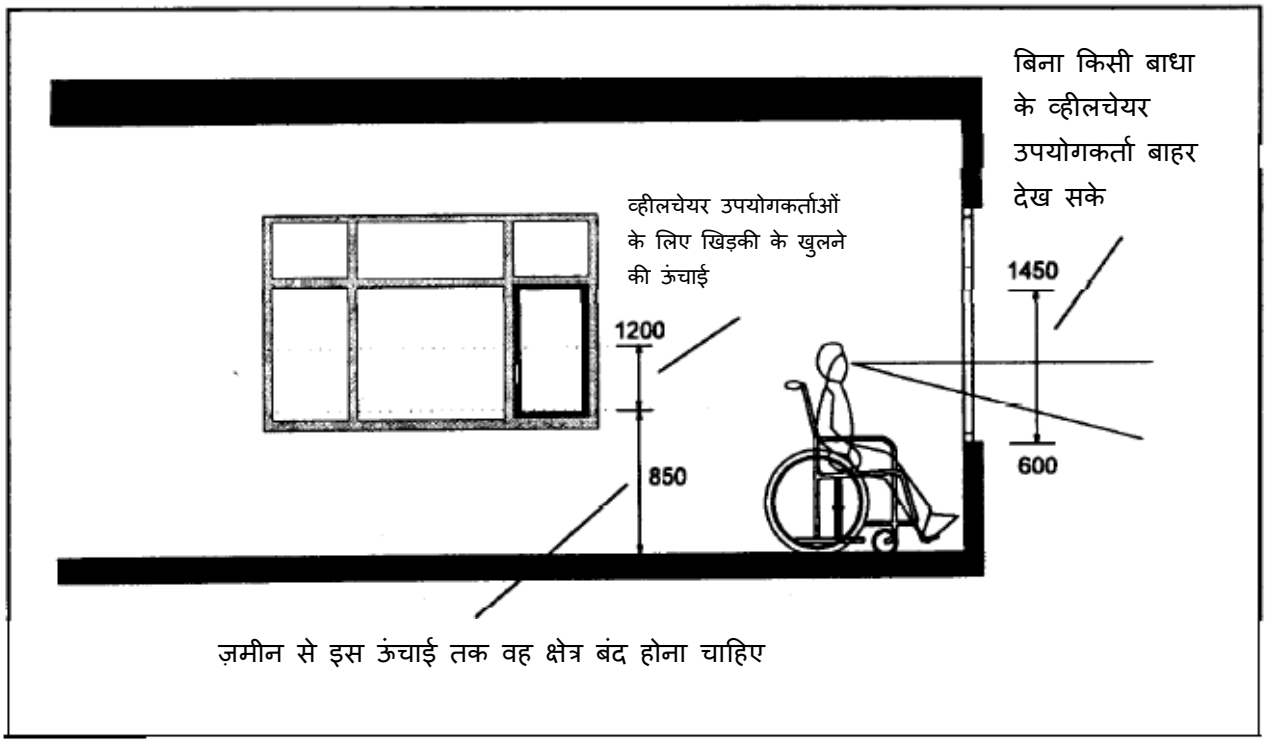

खिड़कियां

कदम तथा सीढ़ियां

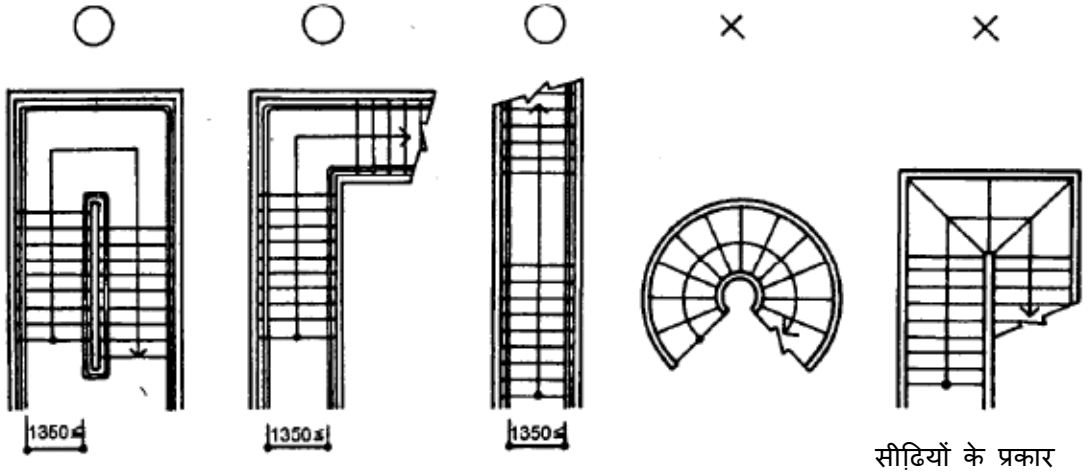

सीढ़ियों के प्रकार

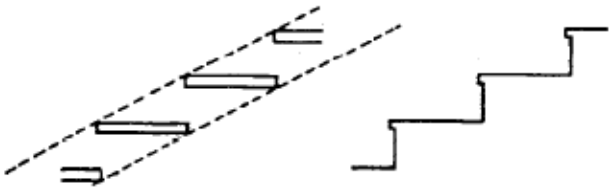

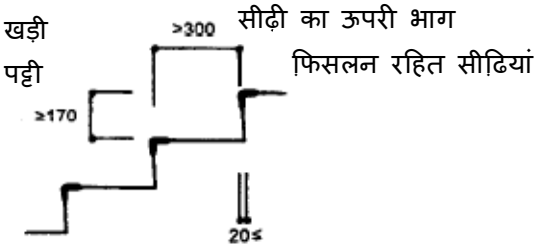

सीढ़ी का ऊपरी भाग

फ़िसलन रहित सीढ़ियां

सीढ़ी के आयाम

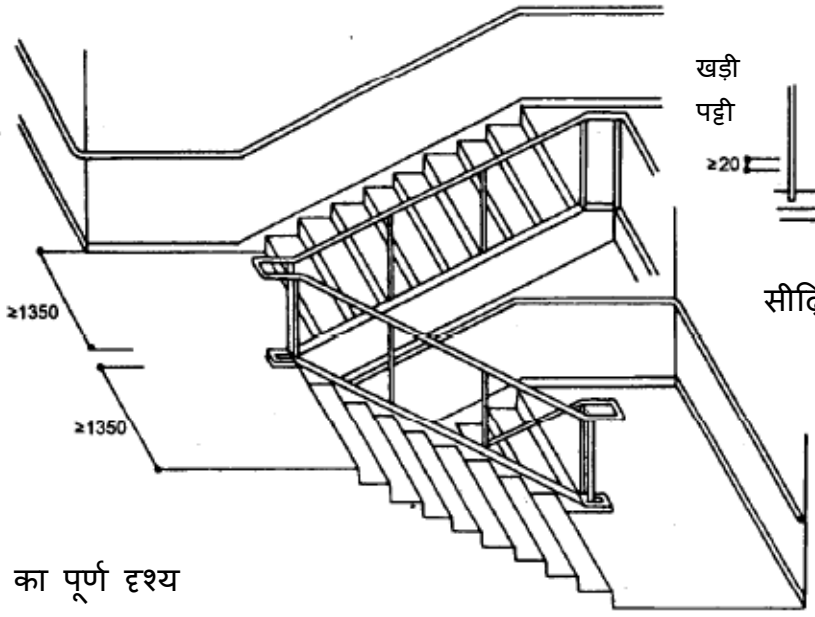

सीढ़ियों का पूर्ण दृश्य

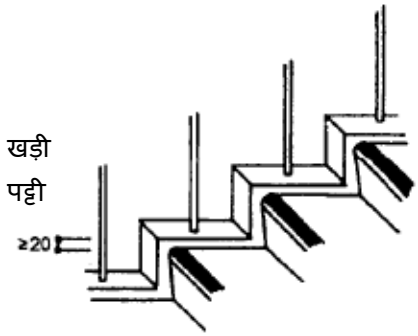

सीढ़ियों का ऊपरी तथा निचला हिस्सा

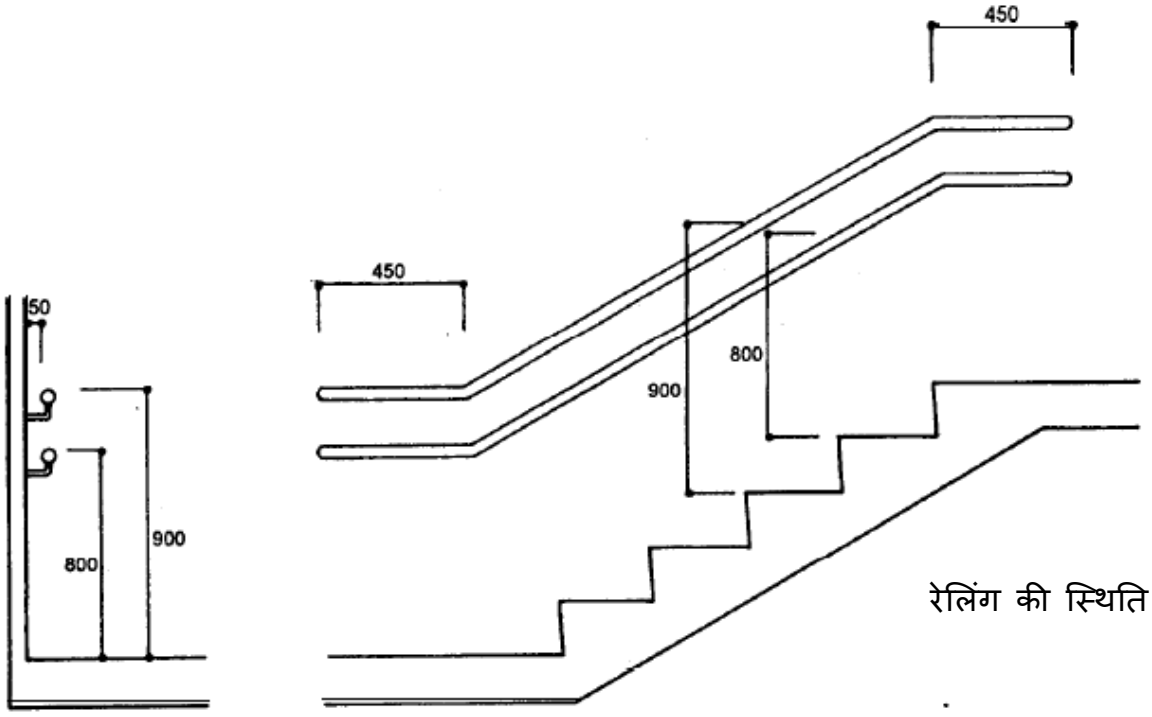

रेलिंग की स्थिति

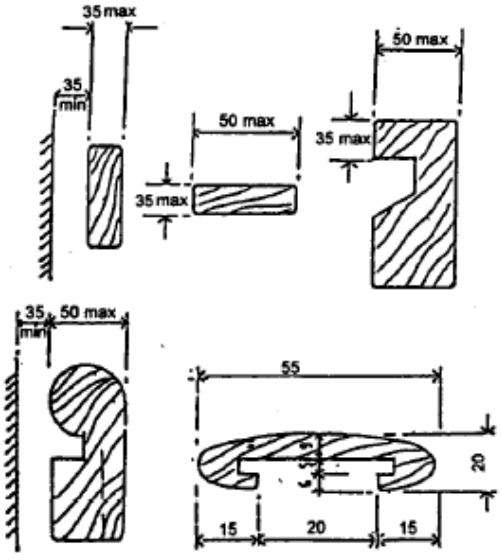

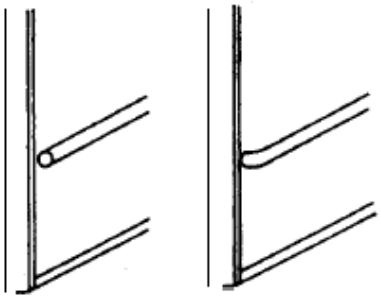

X 0

रेलिंग के किनारे

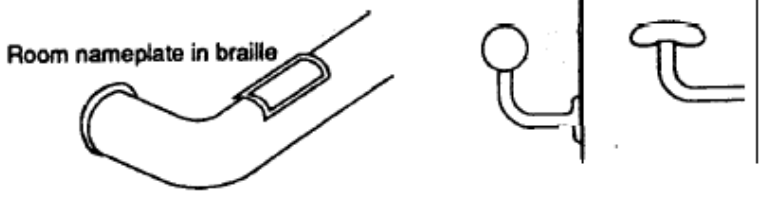

रेलिंग का आकार तथा दीवार से उसकी दूरी

लिफ़्ट

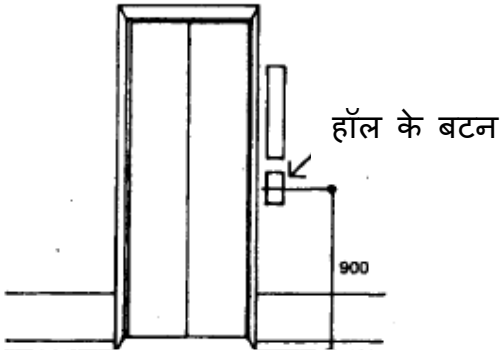

ई लिफ्ट का प्रवेश द्वार

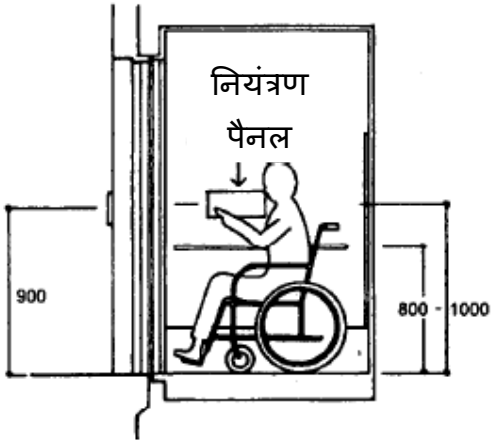

I नियंत्रण पैनल की ऊंचाई तथा मानक आयाम

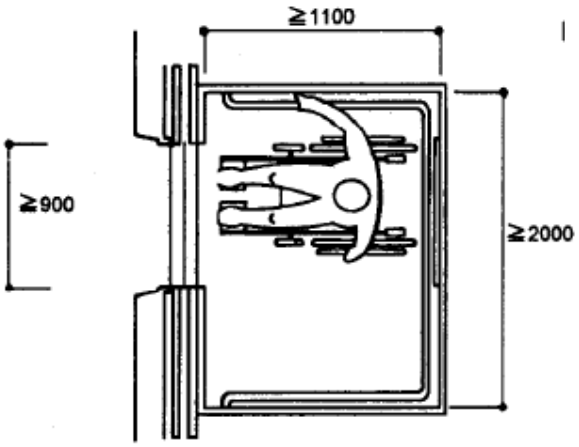

लिफ़्ट के भीतर जगह

लिफ़्टः- उपनियमों के अनुसार जहां आवश्यक हो, व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए एक लिफ़्ट अवश्य लगायी जायेगी साथ में भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार 13 लोगों की क्षमता वाली लिफ़्ट का आयाम इस प्रकार होता है -

भीतर की गहराई	:	1100 मिमी
भीतर की चौड़ाई	:	2000 मिमी
प्रवेश द्वार की चौड़ाई	:	900 मिमी

क. रेलिंग फ़र्श की सतह से 800-1000 मिमी पर 600 मिमी से कम लंबी नहीं होगी, जिसे नियंत्रण पैनल से जोड़ा जायेगा।

ख. लिफ़्ट लॉबी के भीतर का माप 1800x1800 मिमी या अधिक होगा।

ग. लिफ़्ट का दरवाज़ा स्वतः कम से कम 5 सेकेंड में बंद हो जाना चाहिए और बंद होने की गति 0.25 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

घ. लिफ़्ट के भीतर श्रवण उपकरण उपलब्ध कराया गया है, जो संकेत करेगा कि मंज़िल पर पहुंचकर लिफ़्ट का दरवाज़ा खुल गया है या बंद हो गया है।

शौचालय

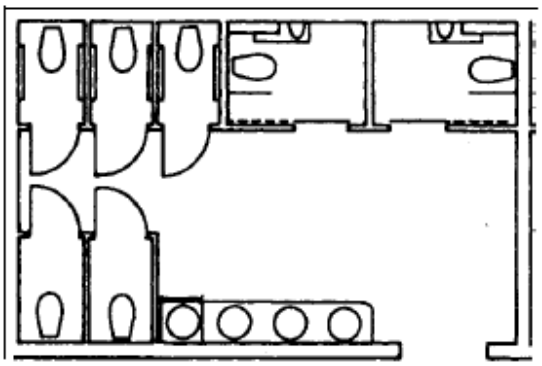

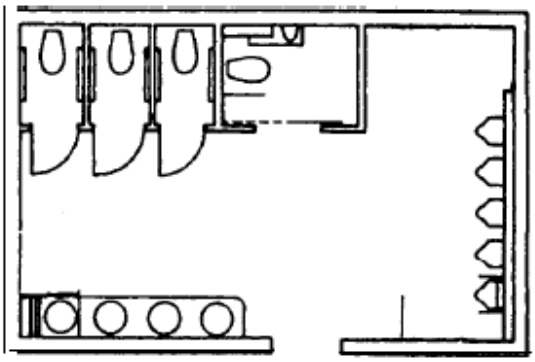

विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रवेश के करीब ही विशेष इंग्लिश सीट और करीब ही वॉश बेसिन उपलब्ध कराया जायेगा।

* न्यूनतम आकार 1500x1750 मिमी होगा
* दरवाज़ा 900 मिमी खुलेगा और वह बाहर की ओर खुलेगा या झूलेगा।
* शौचालय में रलिंग की क्षैतिज/उर्ध्वाधर व्यवस्था की जायेगी जो दीवार से 50 मिमी की दूरी पर होगी।
* सीट फ़र्श से 500 मिमी होगी।

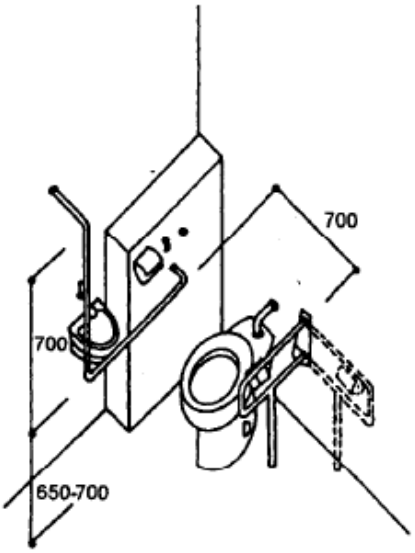

रेलिंग (भीतर की ओर)

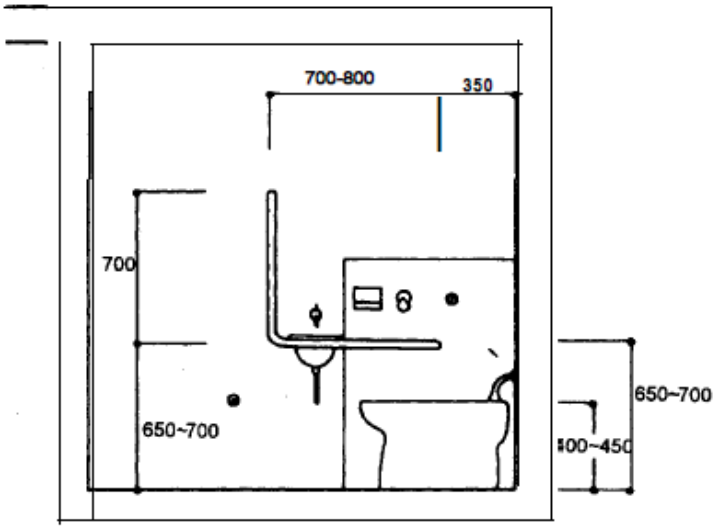

सीट की ऊंचाई

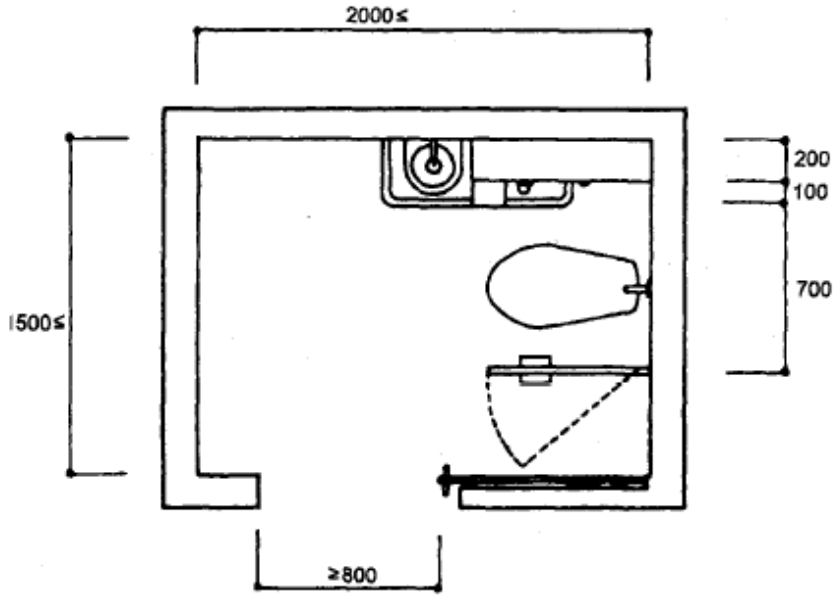

शौचालय योजना

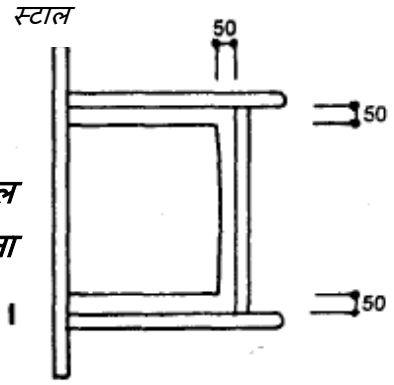

वॉश बाउल योजना

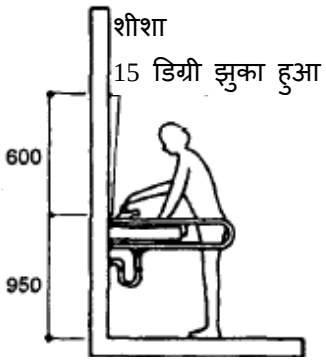

छड़ी उपयोगकर्ता हेतु

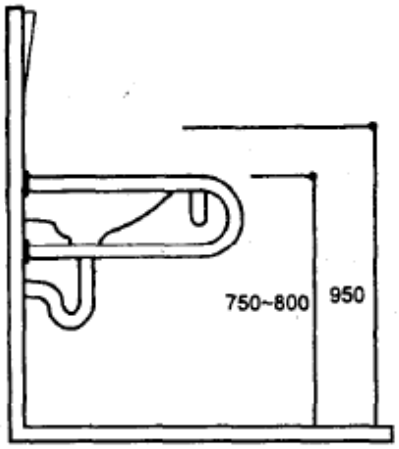

वॉश बाउल की ऊंचाई

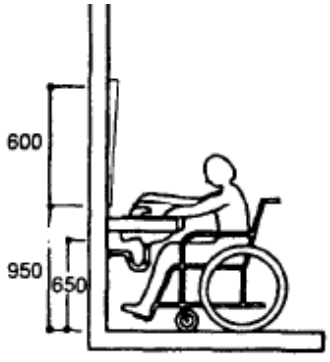

व्हीलचेयर उपयोगकर्ता हेतु

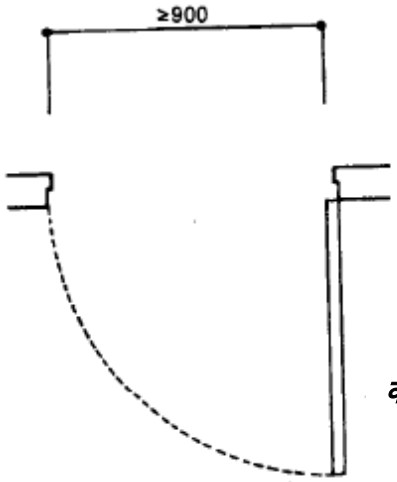

कब्ज़ेवाले दरवाज़े

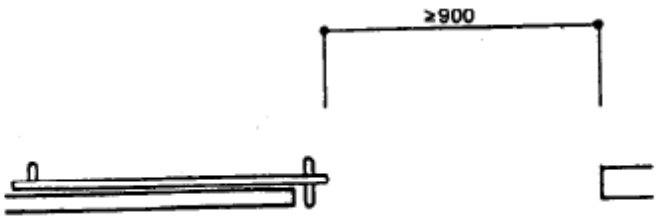

स्लाइडिंग दरवाज़े

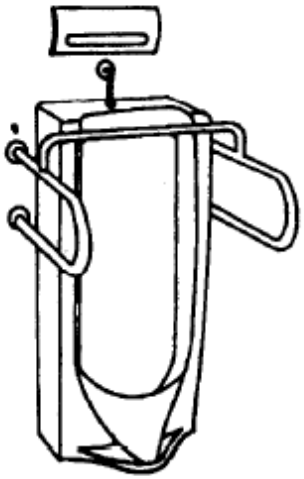

मूत्रालय के करीब रेलिंग

शौचालय का सही स्वरूप

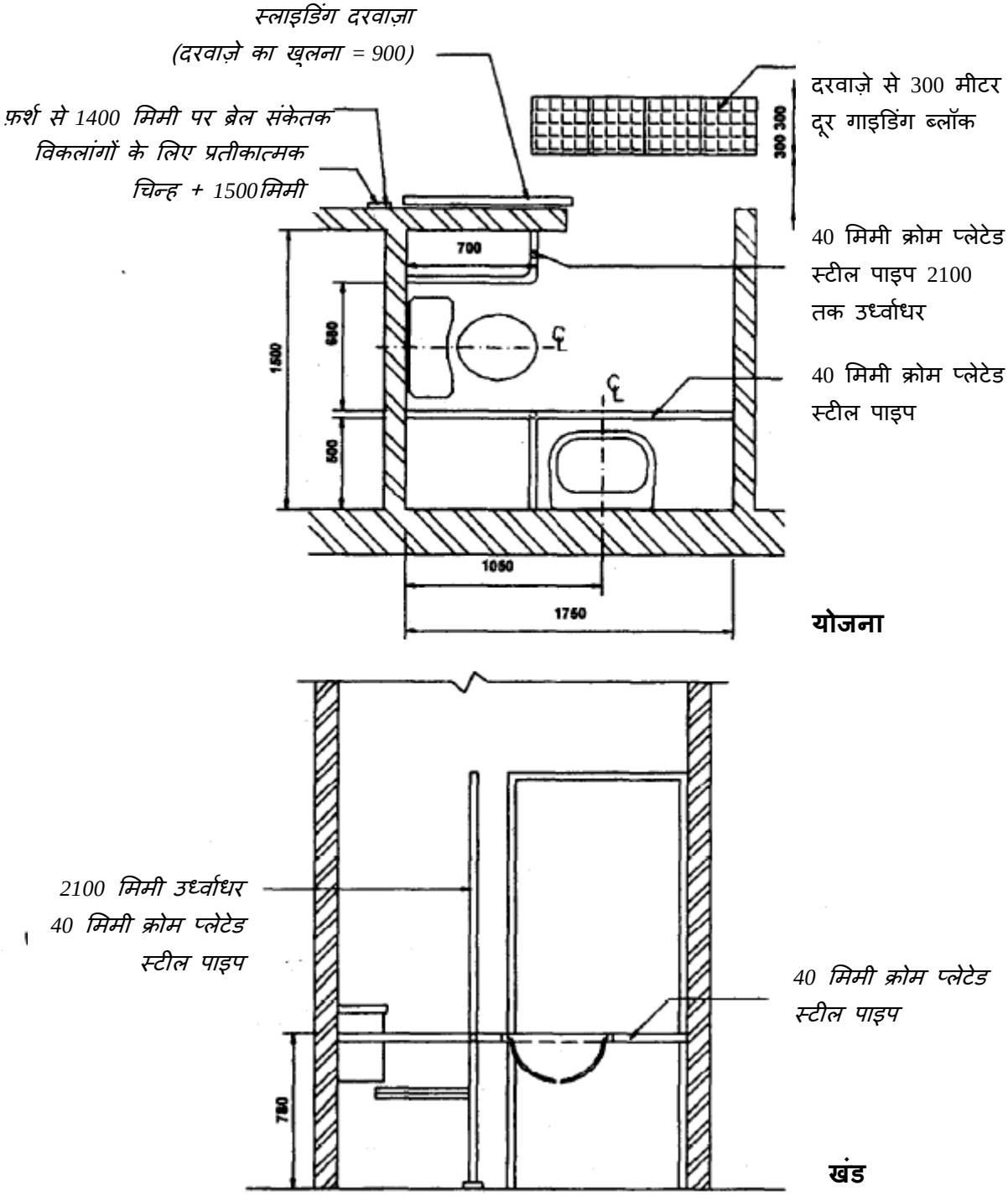

* शौचालय का फ़र्श फ़िसलन वाला और सतह में अंतर नहीं होना चाहिए।
* गाईडिंग ब्लॉक प्रवेश के करीब हों और भिन्न बनावट (डायमंड टाइलें, प्राइमा रेजिना टाइलें, ग्रेनाइट पत्थर) हो।
* हल्के वजन वाले पीवीसी शटर स्लाडिंग दरवाज़ों के तौर पर उपलब्ध करवाये जाने चाहिए।
* 40 मिमी सी पी स्टील पाइप, जिसमें कि क्षैतिज व उर्ध्वाधर रेलिंग का प्रावधान हो।

चेतावनियां

संकेतों का विशेष उद्देश्य होना चाहिए जगहों, चेतावनियों तथा रास्तों की स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना। व्हीलचेयर पर व्यक्ति 1200 मिमी ऊंचाई से कम ही होता है। व्यक्ति जो आंशिक तौर पर देख पाते हैं, उनके लिए रास्तों पर भिन्न रंगों की बनावट तथा ख़तरनाक रास्तों पर श्रवण संकेतों की आवश्यकता होती है। संकेत सभी के लिए उपयोगी, आंखों के स्तर पर देखे जाने वाले, ऊंगलियां करीब ले जाकर पठनीय तथा संकेतों पर अच्छी रोशनी पड़नी चाहिए, ताकि वे अंधेरे में भी पढ़े जा सकें।

* संकेत दिशा बताने के साथ-साथ सुविधाओं के नाम तथा साथ ही उन तक पहुंचने का संकेत भी दें।
* संकेतों का आकार, प्रकार, डिज़ाईन और शब्दों का चयन स्पष्ट तथा वे समझने में सरल हों।

दिशा की पहचान **सूचना**

दूर से दिखने वाले अक्षरों की ऊंचाई

दूरी (मी)	वर्णों की न्यूनतम ऊंचाई (मिमी)
2	6
3	12
6	20
8	25
12	40
15	50
25	80
35	100
40	130
50	150

भिन्न दूरियों पर सकेतों की ऊंचाई

दूरी (मी)	वर्णों की न्यूनतम ऊंचाई (मिमी)
0.7 7.18	60x60 110x110 न्यूनतम 200x200 अधिकतम 450x450

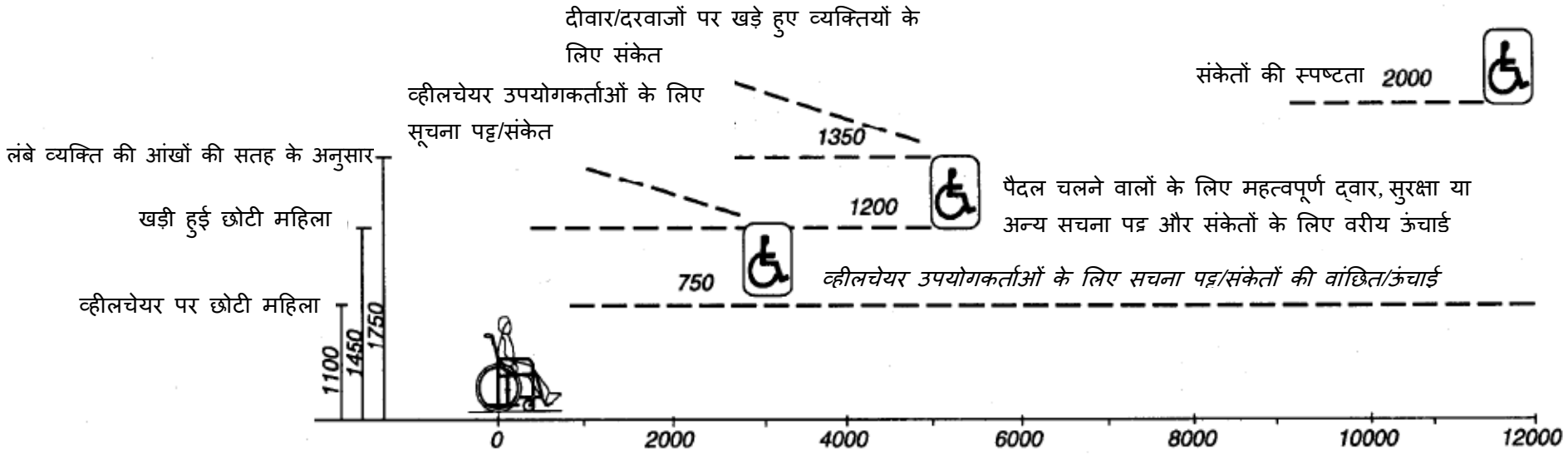

* संकेत भिन्न कंट्रास्ट रंगों में होने चाहिए, विशेषकर उकेरे गये शब्द होने चाहिए, जिन्हें नेत्रहीन व्यक्ति छूकर समझ सकें।
* सरल प्रतीक और सार्वभौमिक तौर पर मान्यता प्राप्त कंट्रास्ट वाले रंग जैसे हरा - सुरक्षा या आगे बढ़ो, पीला - बचो, सावधानी बरतो और लाल - ख़तरा है, का उपयोग करना चाहिए।

गाईडिंग/चेतावनी तल सामग्री

नेत्रहीन या बेहद कमज़ोर दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए गाईडिंग ब्लॉक्स

1. भीतरी ब्लॉक की रचना

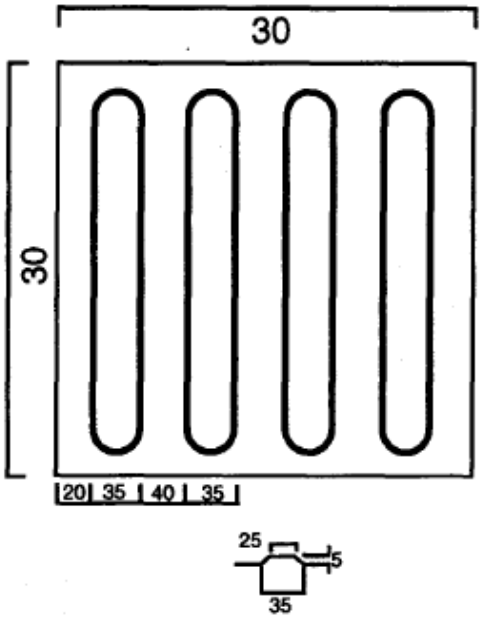

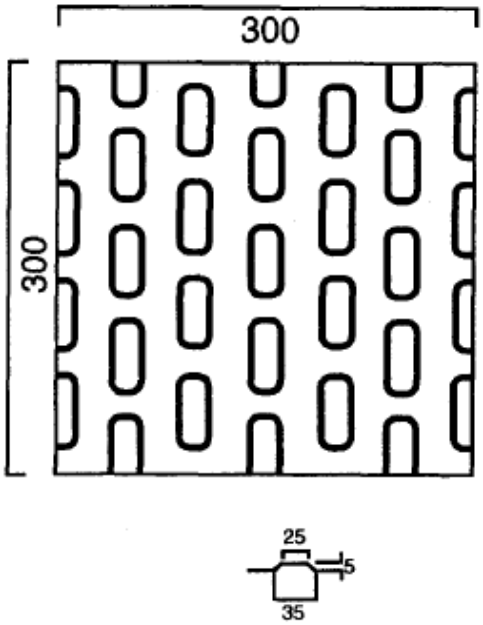

2. बिंदु ब्लॉक की रचना

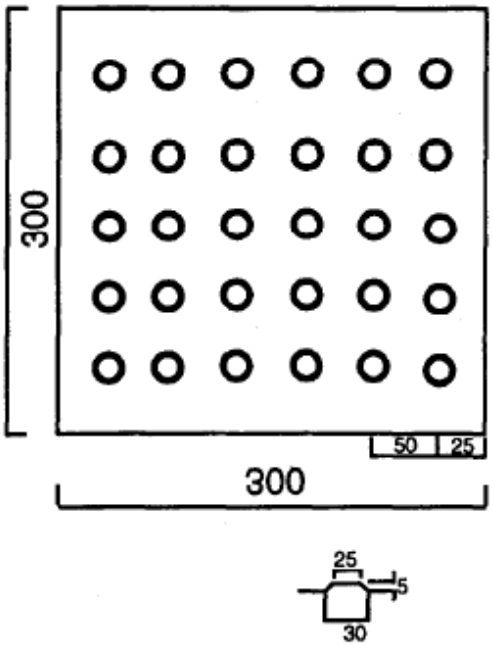

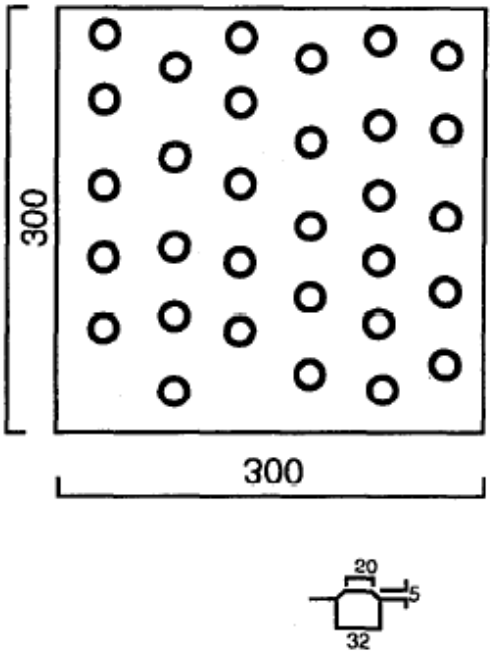

गाईडिंग ब्लॉक स्थापित करने के स्थान

1. यातायात आरंभ होने से तत्काल पहले।
2. प्रवेश/निकास और सीढ़ियों या बहु-स्तरीय क्रॉसिंग सुविधा के तत्काल सामने।
3. सार्वजनिक यातायात टर्मिनल या बोर्डिंग क्षेत्रों के प्रवेश/निकास पर।
4. ईमारत में प्रवेश करने और गाईडिंग ब्लॉक आरंभ होने से पहले।
5. सार्वजनिक सुविधाओं, जहां नेत्रहीन लोग अकसर जाते हों (जैसे सिटी हॉल, पुस्तकालय इत्यादि), निकटतम रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों (अंतरालों पर) लगाना चाहिए।
6. अन्य स्थान जहां गाईडिंग ब्लॉक स्थापित करना प्रभावी होगा, उदाहरण के लिए रैंप या सतहों पर जहां-जहां भी परिवर्तन है।

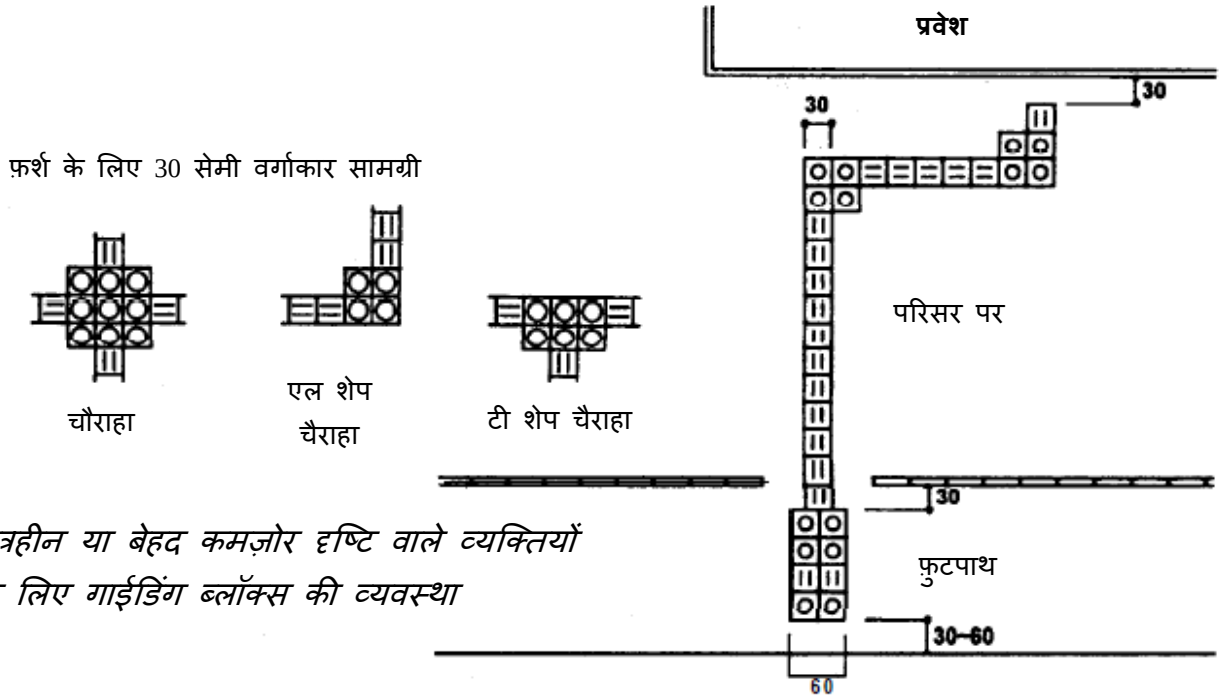

नेत्रहीन या बेहद कमज़ोर दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए गाईडिंग ब्लॉक्स की व्यवस्था

ईमारत के करीब पहुंचने के लिए पथ मार्गदर्शक और फ़ुटपाथ

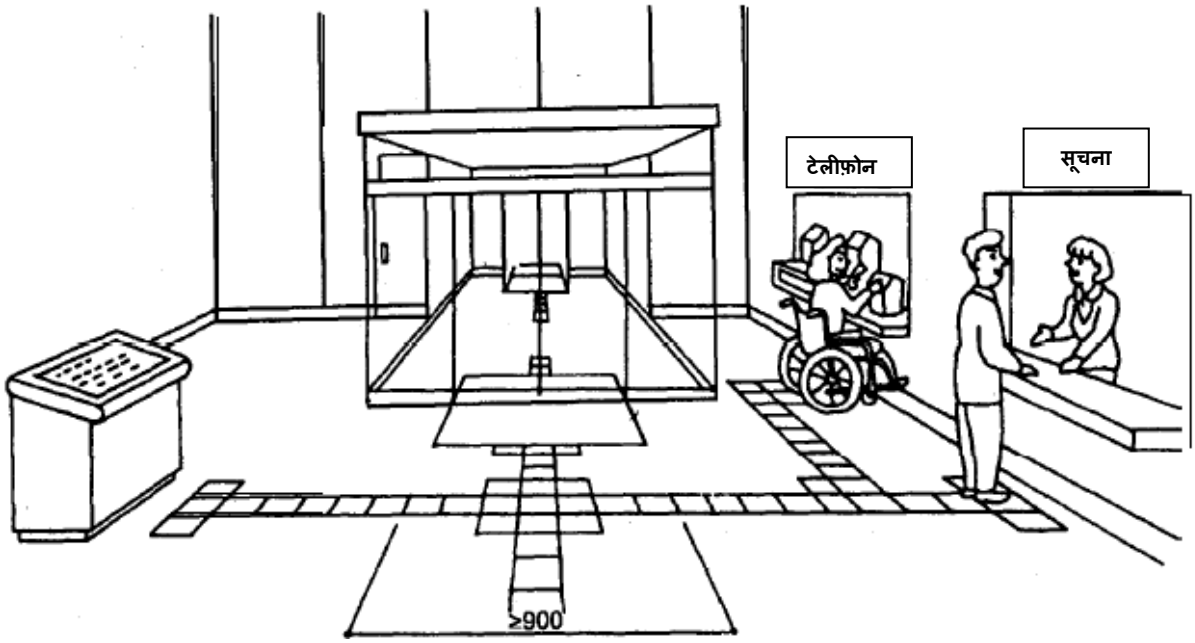

प्रवेश द्वार पर सूचना पट्ट और संकेत

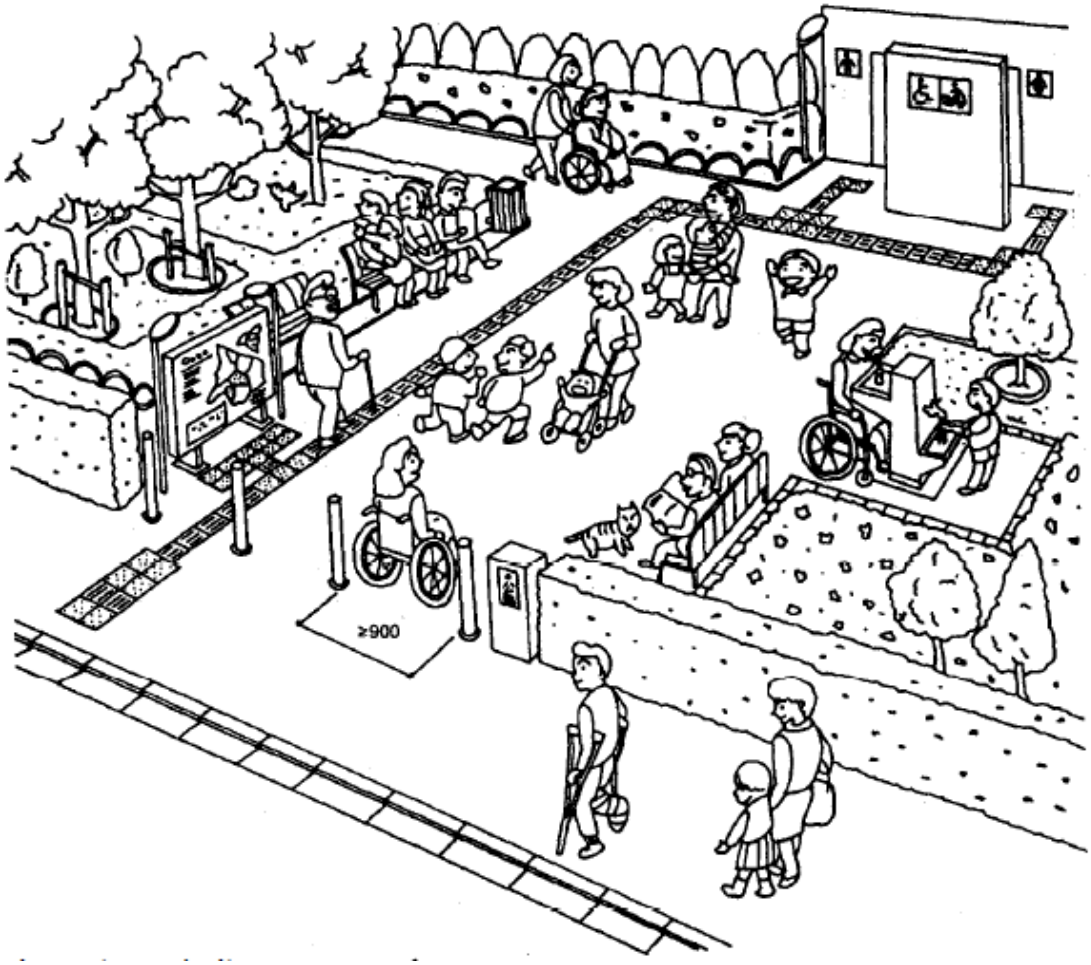

उद्यान प्रवेश/निकास

अन्य सुविधाएं

काउंटर

व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए काउंटर तक पहुंचने में सुविधा हेतु 700 मिमी ऊंचा और काउंटर के नीचे की गहराई 350 मिमी हो।

जल फव्वारे (पीने का पानी)

व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए पीने के पानी तक पहुंचने की सुविधा हेतु खुली जगह रखी जाये। जल फव्वारे के प्रकार के अनुसार फव्वारा 700 मिमी ऊंचा और फव्वारे के नीचे की गहराई 350 मिमी हो।

टेलीफ़ोन स्टैंड

टेलीफ़ोन स्टैंड 700 मिमी ऊंचा और स्टैंड के नीचे की गहराई 350 मिमी हो। टेलीफ़ोन रिसीवर 110 सेमी ऊंचाई पर या इससे कम ऊंचा हो।

लेटरबॉक्स

चिट्ठी डालने वाला खांचा 1200 मिमी ऊंचा या इससे कम हो।

विक्रय मशीन

सिक्का डालने वाला खांचा 1200 मिमी ऊंचा या इससे कम हो।

काउंटर

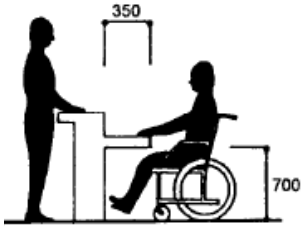

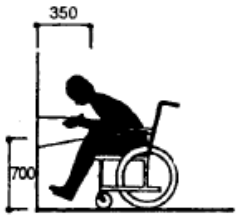

जल फव्वारा (पीने का पानी)

टेलीफ़ोन स्टैंड

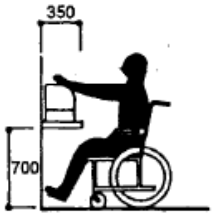

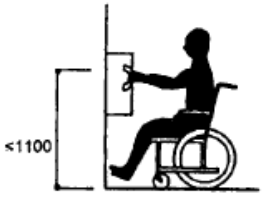

दीवार पर लगा टेलीफ़ोन

लेटरबॉक्स

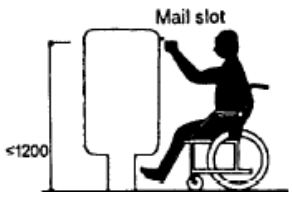

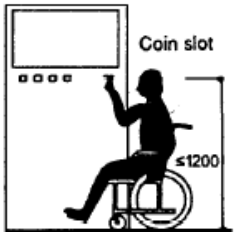

विक्रय मशीन

ईमारत के बाहर का डिज़ाईन

1. फ़ुटपाथ के किनारे
2. सड़क क्रॉसिंग
3. सार्वजनिक शौचालय
4. बस स्टॉप/टैक्सी स्टैंड
5. टेलीफ़ोन बूथ
6. चेतावनी संकेतक

नोट -

फ़ुटपाथ के किनारे

चेतावनी संकेतक

* विस्तृत जानकारी के लिए देखें साईट योजना
* विस्तृत जानकारी के लिए देखें ईमारत परिसर के भीतर के डिज़ाईन

सड़क पार करना

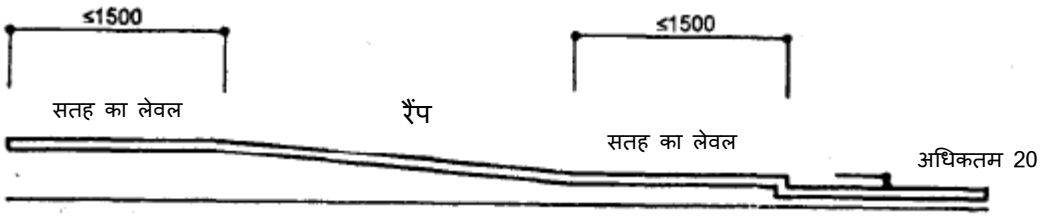

वर्गीकरण लेवल की भिन्नता के खंड

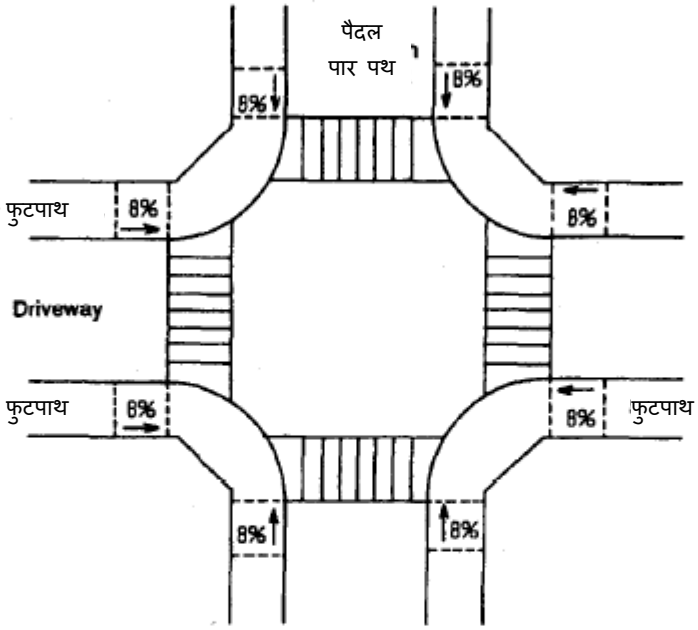

चैराहे पर फुटपाथ वर्गीकरण

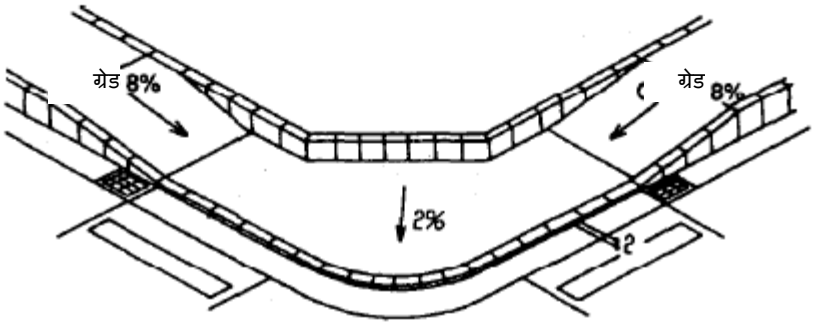

फुटपाथ की बाड़

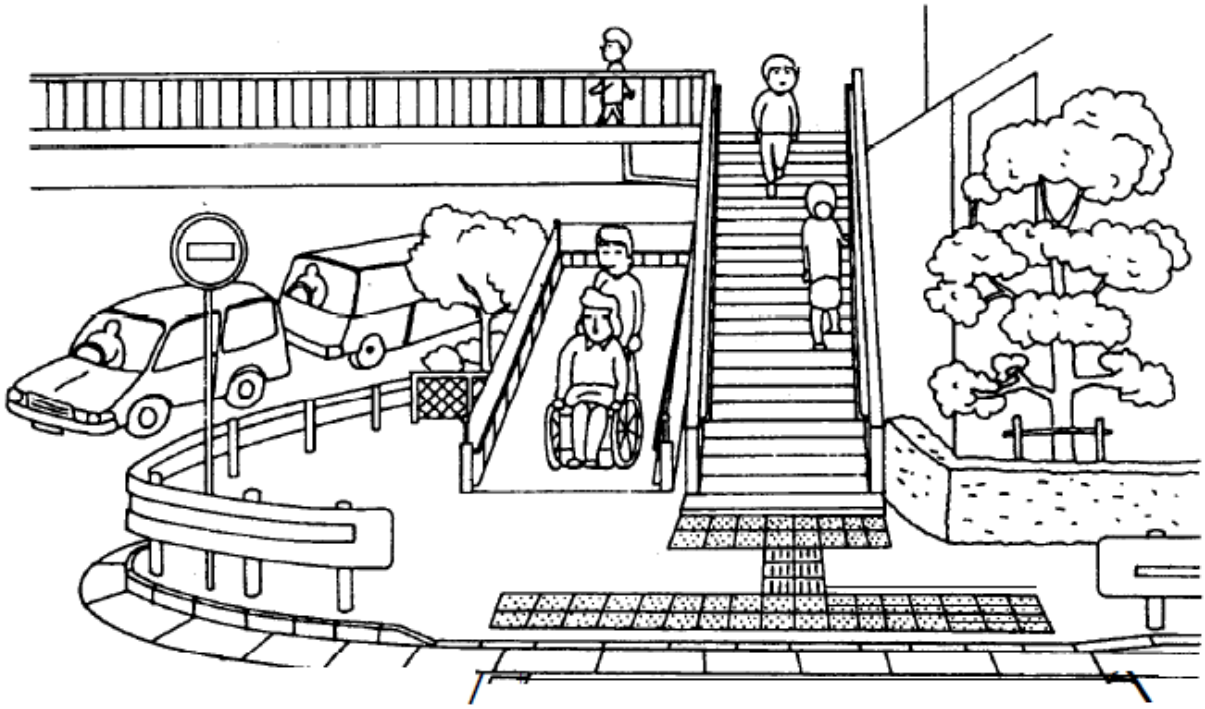

फुटब्रिज और रैंप

सार्वजनिक शौचालय

शौचालय बाउल एक स्टूल के प्रकार का होना चाहिए।

किसी भी एक बाउल में रेलिंग लगी होनी चाहिए।

दरवाज़ा नियमानुसार बाहर की ओर खुलना चाहिए

दरवाज़ा बंद करना सरल हो। बाहर एक ऐसा सूचक हो, जिससे ज्ञात हो कि शौचालय इस्तेमाल हो रहा है।

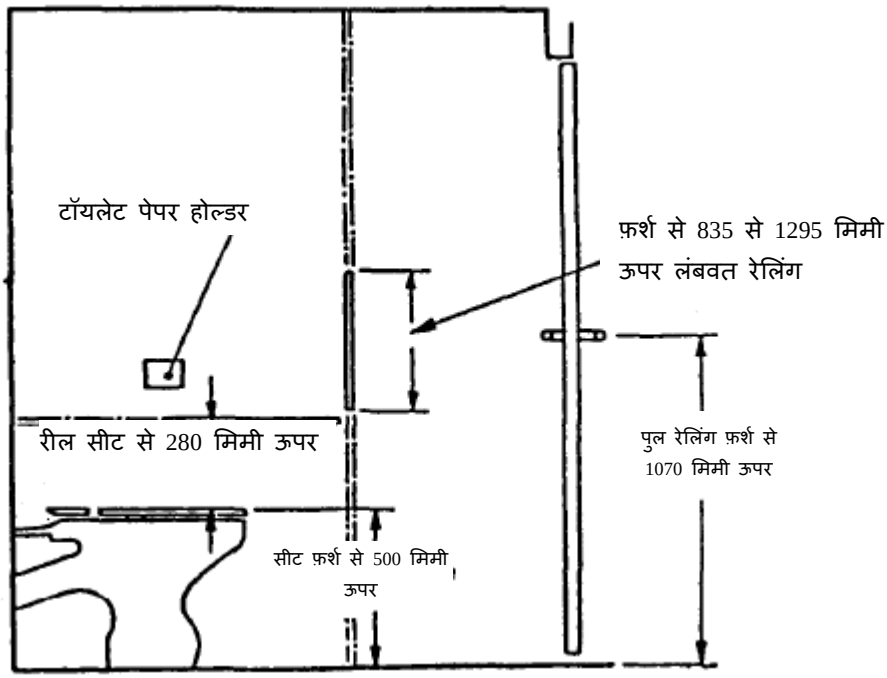

सीट की ऊंचाई

शौचालय का आकार

(1800x900मिमी)

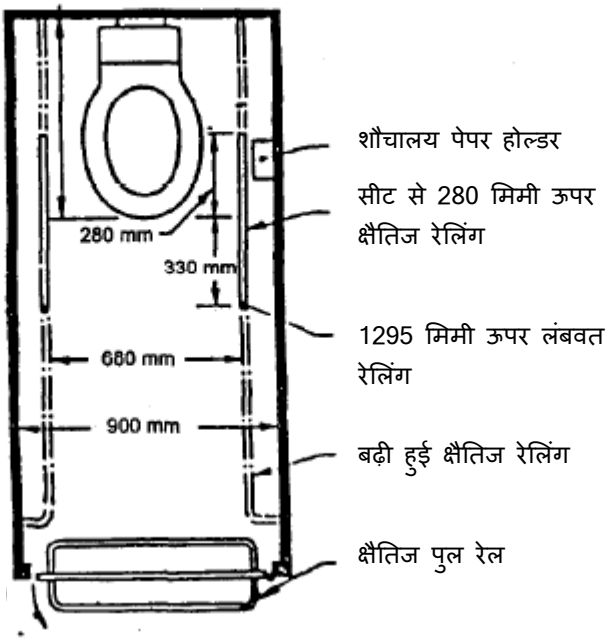

बस स्टॉप

* दृष्टि से विकलांग लोगों के लिए फुटपाथ पर बस स्टॉप पोल से 300 मिमी दूर मार्गदर्शक ब्लॉक की दो पंक्तियां प्रदान की जानी चाहिए।
* बस स्टॉप पोल अंधेरे में भी नज़र आना चाहिए।
* बस स्टॉप पर छत की व्यवस्था हो और बैंच भी लगे होने चाहिए।

दृष्टि से विकलांग लोगों के लिए बस स्टॉप पर लगने वाले मार्गदर्शक ब्लॉक का उदाहरण।	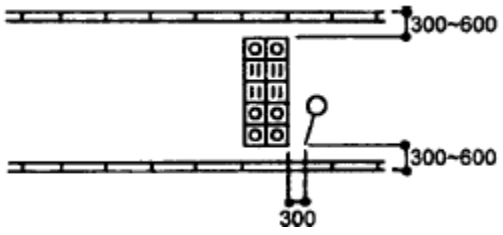

* बस के भीतर प्रत्येक स्टॉप तथा बस का रूट लिखा दिखाई देना चाहिए। सूचना की मौखिक तौर पर भी घोषणा होनी चाहिए।
* बस के बाहर, विशेषतः सामने बड़े आकार में बस का रूट और अंतिम स्टॉप भी उल्लिखित होना चाहिए। सूचना पर अच्छी रोशनी पड़नी चाहिए, ताकि अंधेरे में भी वह स्पष्ट नज़र आये।

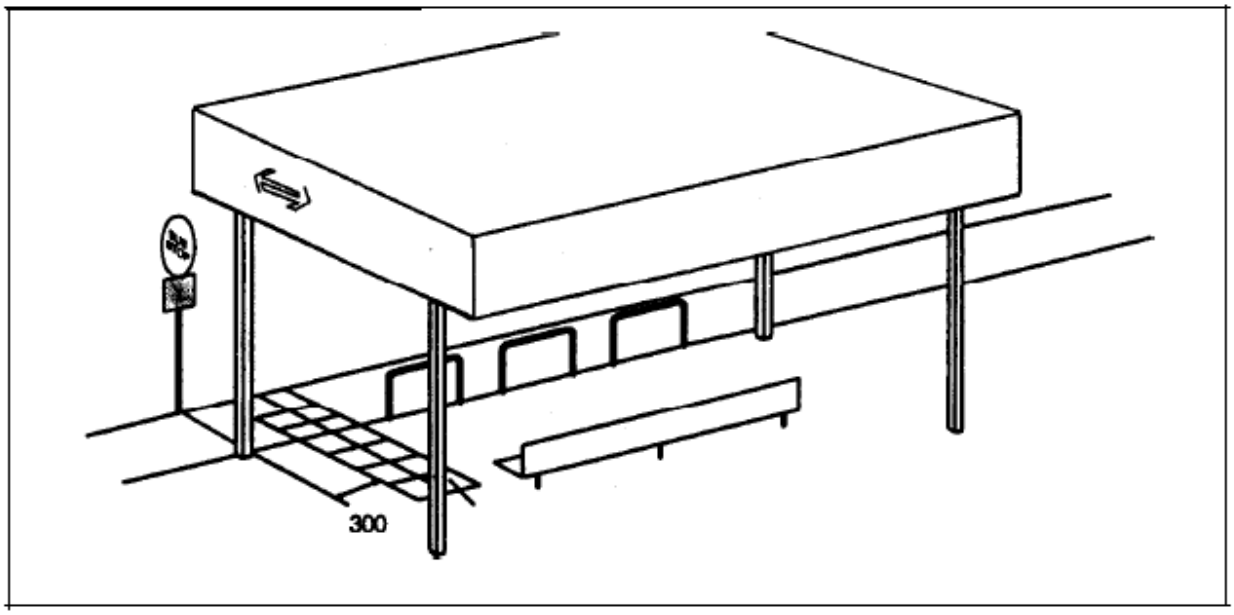

दृष्टि से विकलांग लोगों के लिए बस स्टॉप पर लगने वाले मार्गदर्शक ब्लॉक

टैक्सी स्टैंड

टैक्सी स्टैंड

* दृष्टि से विकलांग लोगों के लिए फुटपाथ के किनारे टैक्सी स्टैंड पोल से 300 मिमी दूर मार्गदर्शक ब्लॉक की दो पंक्तियां लगायी जानी चाहिए।
* टैक्सी स्टैंड पोल अंधेरे में भी नज़र आना चाहिए।
* व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए टैक्सी तक जाना सरल हो, टैक्सी स्टैंड से सड़क तक अचानक लेवल के बदलाव से बचा जाये।

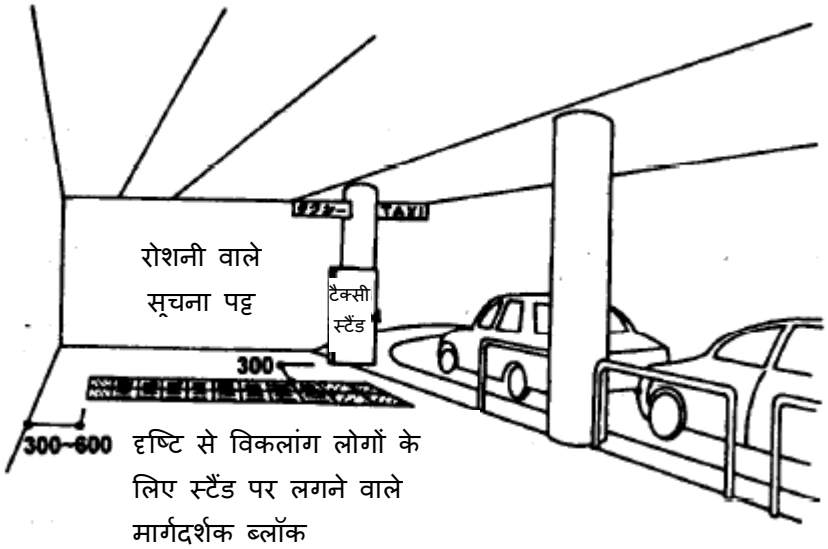

टैक्सी स्टैंड

टैक्सी का डिज़ाईन

* यह संस्तुत किया जाता है कि यात्री को व्हीलचेयर पर बिठाकर ही गाड़ी पर चढ़ाया या उससे उतारा जाये।

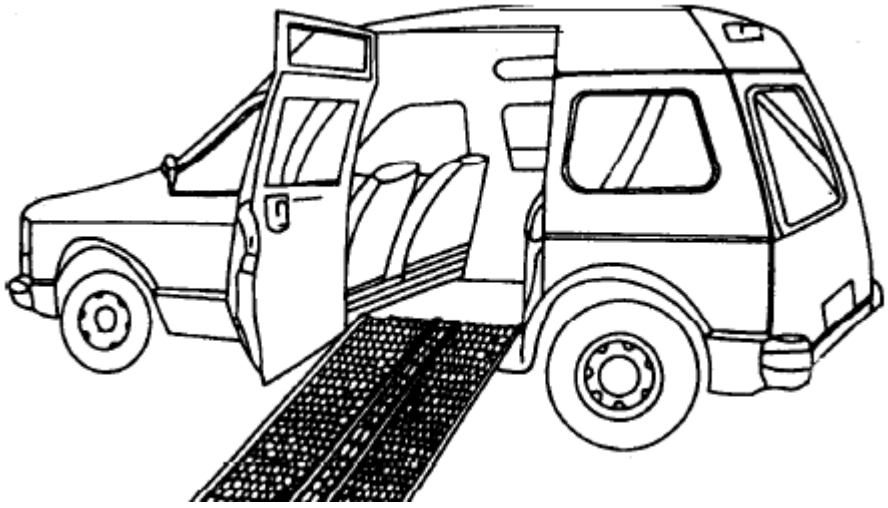

व्हीलचेयर में बैठे यात्री को लाने-ले जाने के लिए बनायी गयी टैक्सी

टेलीफ़ोन बूथ

* टेलीफ़ोन बूथ के आसपास व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए खुली जगह होनी चाहिए, जहां से वे आसानी से बूथ तक पहुंच सकें।
* टेलीफ़ोन का सबसे ऊंचा वाला स्थान बैठे हुए व्यक्ति की पहुंच में होना चाहिए।
* टेलीफ़ोन के नीचे घुटने तक की जगह होनी चाहिए।

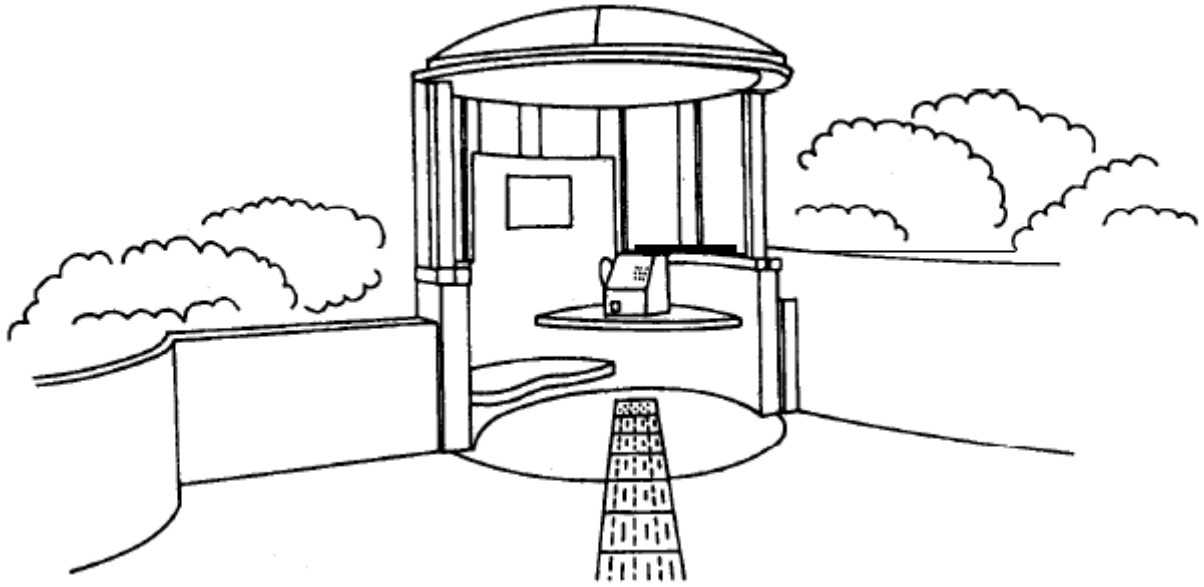

टेलीफ़ोन बूथ

आवासीय इमारतें

बाधा-रहित डिजाइनों के मानक सामान्य लोगों के अलावा विकलांगों के भी सहज हों, जैसे कि -

सड़क/गली
बाज़ार
सुगम यातायात
रसोई
स्नानघर
बेडरूम
लिविंग रूम
खिड़कियां

सड़क/गली

वृद्धों और विकलांगों के लिए ईमारत बनाने से पहले यह ज़रूरी है कि पहले सड़कों की स्थिति, यातायात, बाजार की सुविधा तथा घर और बाज़ार के बीच के रास्ते में बाधाएं न होना इत्यादि पर ध्यान देना चाहिए।

दोनों ही व्हीलचेयर उपयोगकर्ता और वृद्ध विकलांग व्यक्तियों की आमतौर पर एक जैसी ही आवश्यकताएं होती हैं। बजरी, कंकड़ इत्यादि और उबड़-खाबड़ रास्ते न हों और मेनहोल के ढक्कन, बिजली और टेलीफ़ोन के खंबे इत्यादि बाधा न पहुचाएं। सड़कों-गलियों पर यथोचित ऊंचाई पर ब्रेल तथा तस्वीरों में निर्देश संकेतक लगे हों, जिनसे बाज़ार, अपार्टमेंट ब्लॉक्स, बस स्टॉप, टैक्सी स्टैंड इत्यादि के बारे में जानकारी मिल सके।

बाज़ार

वृद्धों और विकलांगों के लिए बाधा रहित आवास बनाना ही काफ़ी नहीं हैं, उनके लिए बाधा रहित सड़कें-गलियां और मार्केट इत्यादि भी बनानी होंगी, जहां वे सरलता से आ-जा सकें।

शॉपिंग एरिया और अर्पामेंट्स के बीच बड़ी क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। यदि इसे बनाना बहुत ज़रूरी है तो, इसके लिए सबवे, रैंप या हाइवे के नीचे और ऊपर सीढ़ियां बनानी चाहिए, ताकि लोग सरलता से सड़क पार कर सकें। दुकानों तक पहुंचने में कोई बाधा न हो, सीढ़ियां, खुला इलाका, रैंप, गलियारा, चेतावनी संकेतक, स्लाइडिंग या ऑटोमेटिक दरवाज़े, मार्गदर्शक ब्लॉक, सुविधाजनक काउंटर, टेलीफ़ोन बूथ, लेटर बॉक्स, तथा शौचालय सुविधाएं इत्यादि होनी चाहिए।

परिवहन का उपयोग

यह भी कोई आवश्यक नहीं है कि इन विशेष कॉलोनियों में रहने वाले हरेक विकलांग या वृद्ध व्यक्ति के पास अपना वाहन हो, क्योंकि कई लोग विकलांगता के कारण वाहन चला नहीं पाते, तो कुछ आयु के कारण तो कुछ आर्थिक कारणों से। अर्थात दोनों को ही सार्वजनिक वाहनों की आवश्यकता है। यातायात के साधनों तक सुगमता से पहुंचा जा सके, इसके लिए कुछ बातें आवश्यक हैं -

* व्हीलचेयर उपयोगकर्ता और दृष्टि विकलांग व्यक्ति के लिए सुरक्षित सड़क पार करने हेतु ध्वनिक संकेत तथा चौड़ी सड़क पर सुरक्षा क्षेत्र की व्यवस्था उपलब्ध करवानी।
* फुटपाथ के पास रैंप की व्यवस्था।
* क्रॉसिंग से प्रारंभ तथा अंत में मार्गदर्शक ब्लॉक।
* सुगम बस स्टॉप/टैक्सी स्टैंड (देखें परिवहन, बस स्टॉप/टैक्सी स्टैंड की जानकारी)
* सब वे/फुटओवर ब्रिज की व्यवस्था। (देखें परिवहन, फुटओवर ब्रिज की जानकारी)
* सुलभ कान्कोर्स, रेलवे स्टेशन का टिकट बूथ इत्यादि (देखें परिवहन)

रसोई

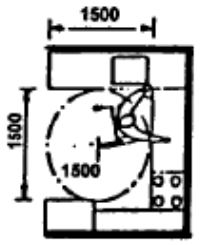

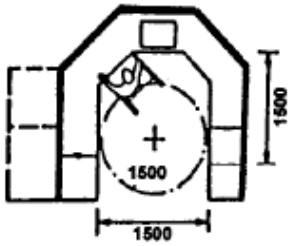

व्हीलचेयर मुड़ने के लिए जगह

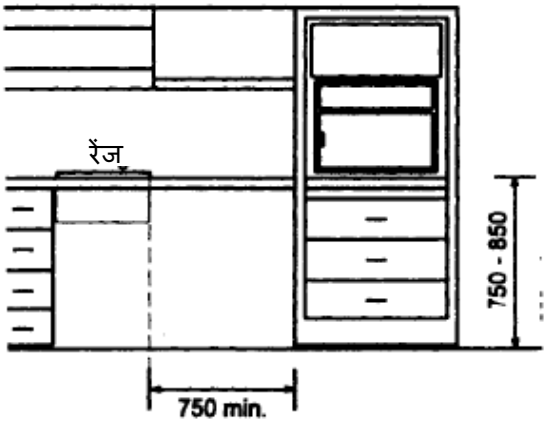

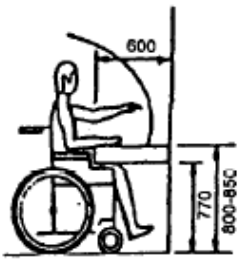

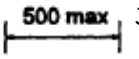

अधिकतम आगे जाना

आगे बढ़ना सुविधाजनक

शेल्फ़ की अधिकतम ऊंचाई

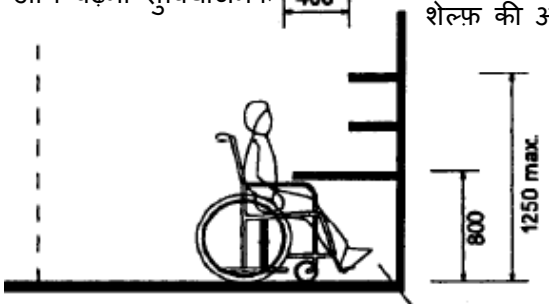

शेल्फ़ के नीचे व्हीलचेयर की बाजुओं के लिए पर्याप्त जगह

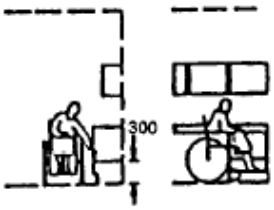

* फ़र्श में पर्याप्त जगह हो, जिसमें व्हीलचेयर शेल्फ़, सिंक तथा कुकिंग स्टोव तक आ-जा सके। काउंटर और विपरीत दीवार के बीच व्हीलचेयर के घूमने के लिए 1500 मिमी चौड़ी जगह होनी चाहिए।
* शेल्फ़, सिंक, कुकिंग स्टोव फ़र्श से 780 मिमी-800 मिमी होना चाहिए।
* सिंक के नीचे घुटने के लिए 700 मिमी ऊंची जगह होनी चाहिए।
* कब्ज़े वाले दरवाज़ों और फ़िक्स शेल्व्स पर अलमारियां नहीं लगानी चाहिए। भिन्न गहराई वाले दराज अधिक उपयोगी रहते हैं। कार्य के स्थान पर दोनों ओर लंबवत खींचने वाले दराज़ होने चाहिए।
* कार्य के स्थान पर शेल्फ़ की ऊंचाई 1200 मिमी होनी चाहिए।
* कार्य-स्थल की शेल्फ़ और ऊपर की शेल्फ़ के बीच का फासला 400 मिमी होना चाहिए। सबसे छोटी शेल्फ़ की ऊंचाई 300 मिमी होनी चाहिए।

लिविंग रूम तथा बेड रूम

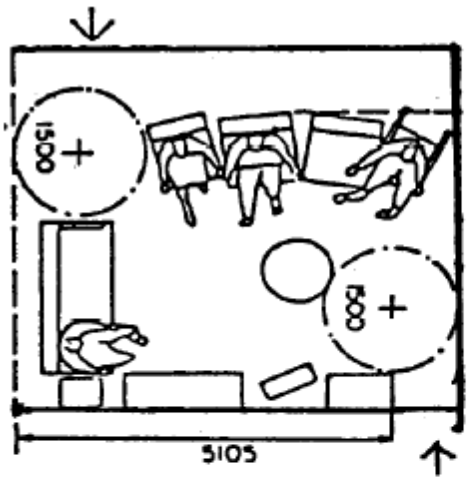

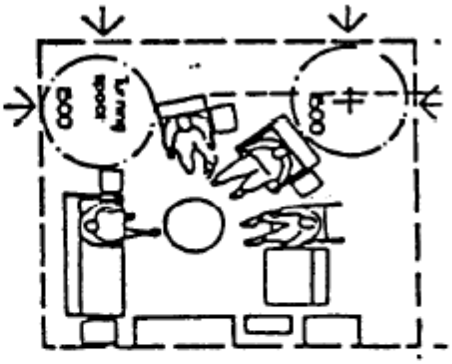

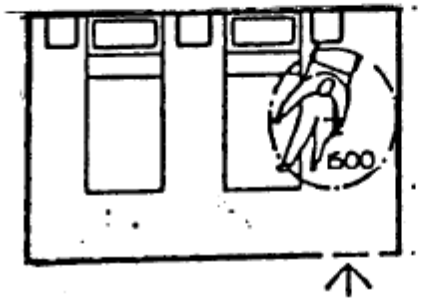

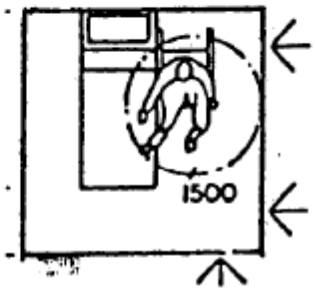

* घर के हर कमरे में कम से कम 1500 मिमी स्पेस हो, जिससे व्हीलचेयर आसानी से घूम सके।
* लिविंग-डायनिंग की अपेक्षा किचन-डायनिंग मेल बेहतर होगा।
* व्हीलचेयर को डायनिंग टेबल पर कम से कम 750 मिमी जगह की आवश्यकता होती है।

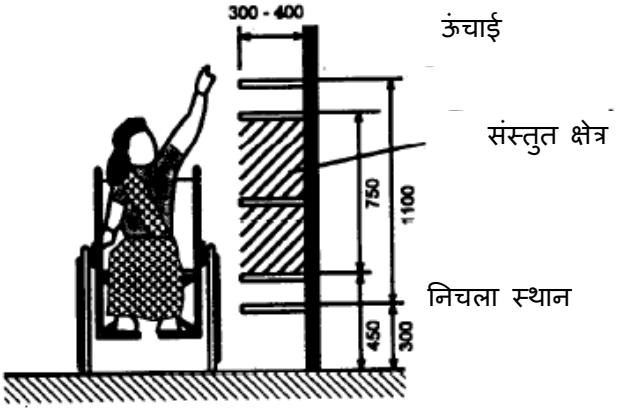

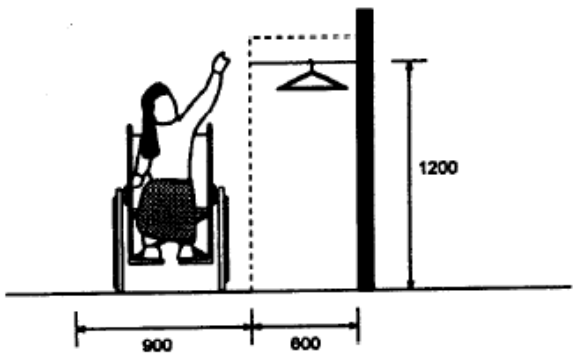

* सोने का कमरा और लिविंग रूम का मेल सही नहीं बैठता। व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए सोने के कमरे में अधिक जगह की आवश्यकता होती है।
* व्हीलचेयर उपयोगकर्ता का पलंग दीवार के किनारे पर नहीं होना चाहिए। कम से कम 900 मिमी जगह व्हीलचेयर उपयोगकर्ता के लिए आवश्यक है, क्योंकि चेयर से उतरकर स्थान बदलने के लिए सहायक की भी ज़रूरत होती है।
* पलंग की फ़र्श से ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि व्हीलचेयर उसके नीचे भी घूम सके।
* बेडरूम के सामने कोई भी सामान कम से कम 900 मिमी चौड़ाई पर होना चाहिए।
* कपड़े के हैंगर टांगने वाली रॉड की ऊंचाई 1050 मिमी-1200 मिमी होनी चाहिए। शेल्फ़ की अधिकतम और न्यूनतम ऊंचाई क्रमश: 1400 और 300 मिमी होनी चाहिए तथा संस्तुत क्षेत्र 450 से 1200 मिमी है।

स्नानघर

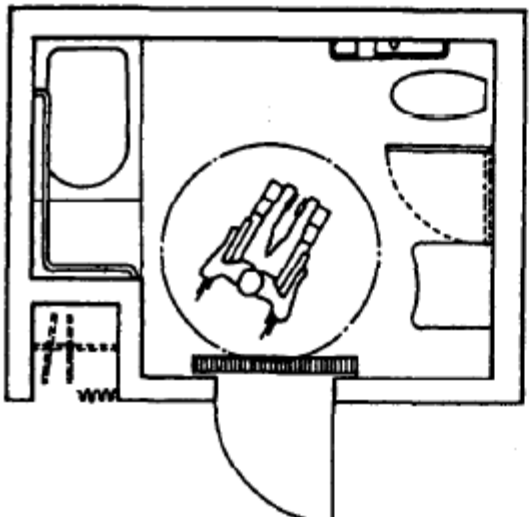

स्नानघर की योजना (निजी)

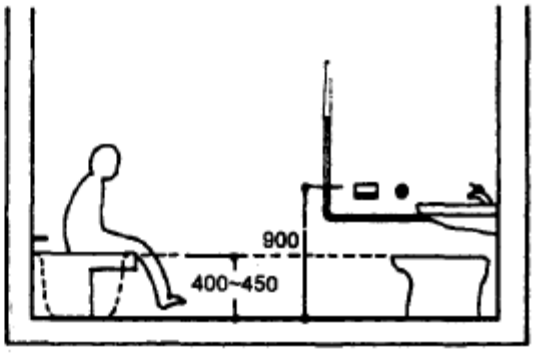

स्नानघर की ऊंचाई (निजी)

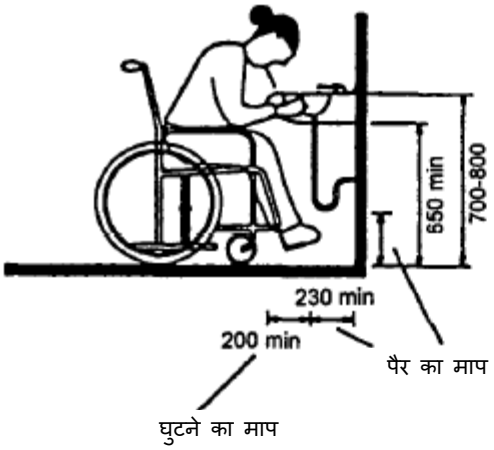

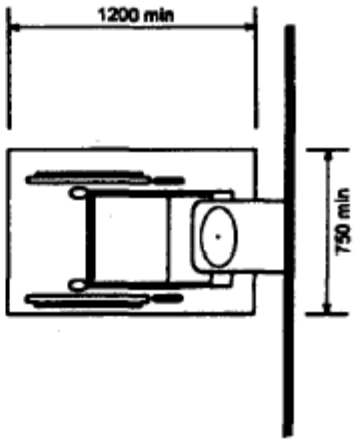

* वॉशबेसिन व्हीलचेयर उपयोगकर्ता की सुविधा के अनुसार ही यथोचित ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए।
* बेसिन इतने फासले पर लगा होना चाहिए कि व्हीलचेयर उपयोगकर्ता घुटनों और पैरों को खुली जगह मिले।
* व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं को बेसिन के सामने खुली जगह मिलनी चाहिए।
* शीशा ऐसी जगह स्थापित किया जाये कि व्हीलचेयर उपयोगकर्ता उसका प्रयोग सरलता से कर सकें।
* शावर इस तरह लगाया जाये कि व्हीलचेयर उपयोगकर्ता उसे सरलता से उपयोग कर सके।
* शावर समुचित ऊंचाई पर लगाया जाये, ताकि व्हीलचेयर उपयोगकर्ता शावर को अच्छी तरह से पकड़ सके।

* शावर के करीब ही ऐसे उपकरण लगे होने चाहिए, जिनका आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल किया जा सके।
* शावर और व्हीलचेयर उपयोगकर्ता के बीच की समुचित दूरी हो, ताकि वह शावर का सुगमतापूर्वक इस्तेमाल कर सके।
* दरवाज़ा और ताला, इस प्रकार के हों कि आपातकालीन स्थिति में बाहर से भी खोले जा सकें।
* शावर-स्थल के दरवाज़े स्लाइडिंग हों या बाहर की ओर खुलें।
* ये सिफारिशें कम-आय वाले निवासियों की सामुदायिक स्नान सुविधाओं के लिए प्रासंगिक हैं।

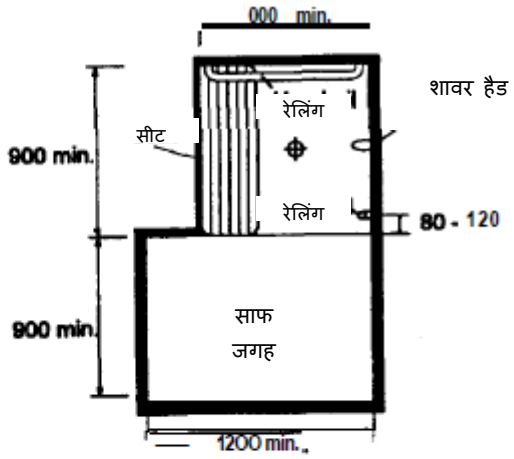

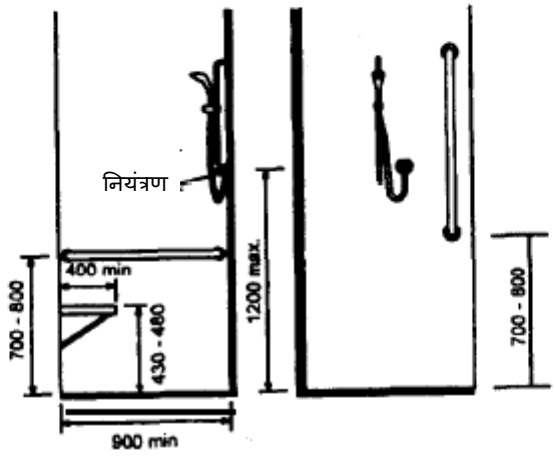

* वेस्टर्न कमोड या शौचालय कम्पार्टमेंट्स में व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए जिससे कि वे आसानी से प्रवेश कर सके और निकल सके।
* शौचालय के भीतर हाथ धोने की बाउल की स्थिति इस प्रकार (अर्थात दीवार पर टंगी) होनी चाहिए कि व्हीलचेयर उपयोगकर्ता इस तक आसानी से पहुँच सकें।
* शौचालय की सीट बाउल की ऊंचाई व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के अनुसार सही ऊंचाई पर होनी चाहिए।
* वेस्टर्न कम्पार्टमेंट्स में रेलिंग की सहायता व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं तथा अन्य विकलांग व्यक्तियों के लिए पर्याप्त स्थिति और ऊंचाई पर होनी चाहिए। ऊपर की ओर मुड़ने वाले बार को व्हीलचेयर के बाद आसानी से पहुँच के लिए अनुशंसित किए गए हैं।
* एक टॉइलेट पेपर डिस्पेन्सर को इस प्रकार संस्थापित किया जाना चाहिए कि शौचालय का उपयोग कर रहा कोई भी शारीरिक तौर पर निःशक्त व्यक्ति आसानी से उसे उपयोग कर सके।
* शौचालय के अन्य जुड़नार, जैसे कि सोप डिस्पेन्सर, इलैक्ट्रिक हैंड ड्रायर और दर्पण, को पर्याप्त तौर पर इतनी ऊंचाई में होना चाहिए कि व्हीलचेयर उपयोगकर्ता इनका आसानी से उपयोग कर सके।
* हाथ धोने की बेसिन भी पर्याप्त ऊंचाई में होनी चाहिए जिससे कि यह व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं तक आसानी से सुलभ हो।
* हाथ धोने की बेसिन में लीवर-टाइप के नल संस्थापित किए जाने चाहिए।
* फर्श की चिकनाई सामग्री फिसलन वाली नहीं होनी चाहिए।
* शौचालय के दरवाजे या तो स्लाईडिंग वाले अथवा बाहर की ओर खुलने वाले होने चाहिए।
* शौचालय के दरवाजों अथवा केबिन के ताले इस प्रकार होने चाहिए कि आपात की स्थिति में इन्हें बाहर से खोला जा सके।

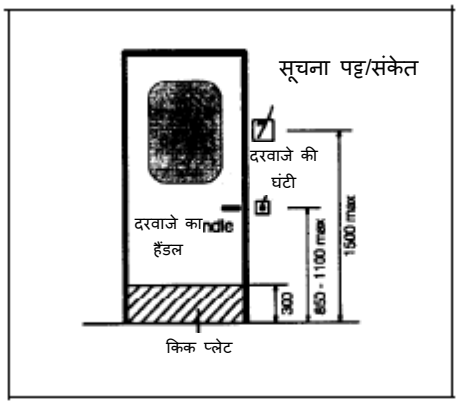

गेस्ट हाउस

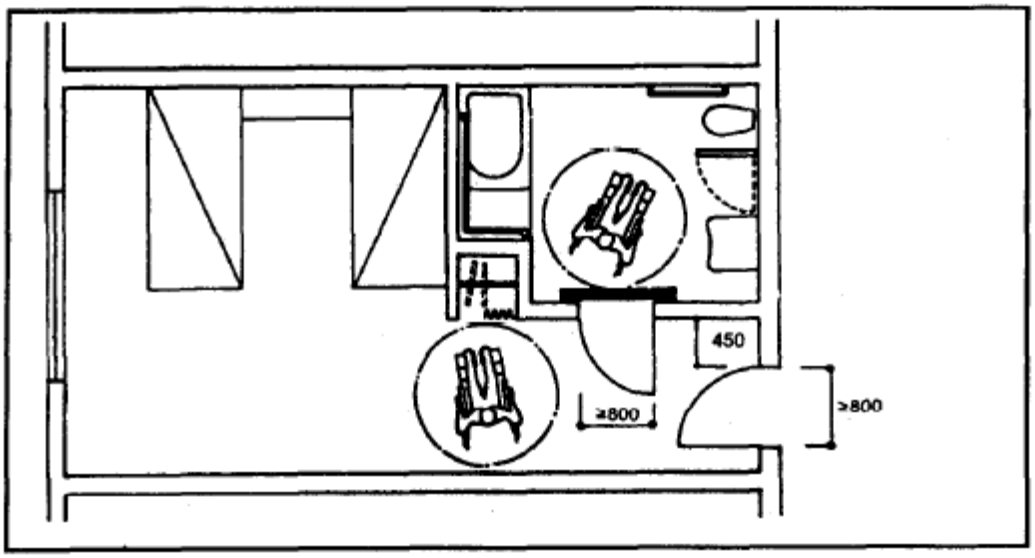

मेहमान कक्ष की योजना का खाका

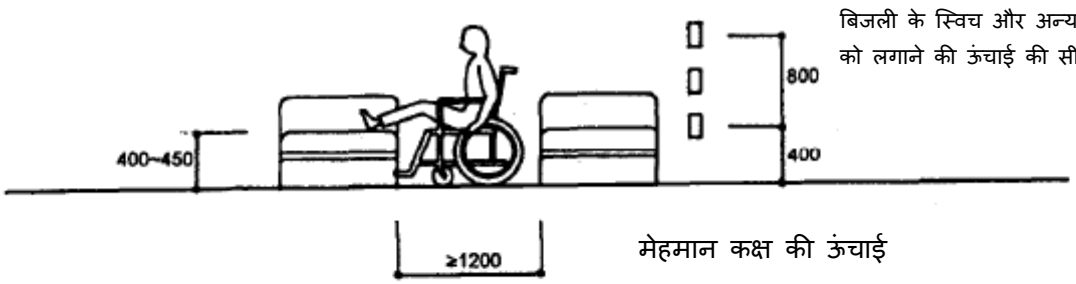

मेहमान कक्ष की ऊंचाई

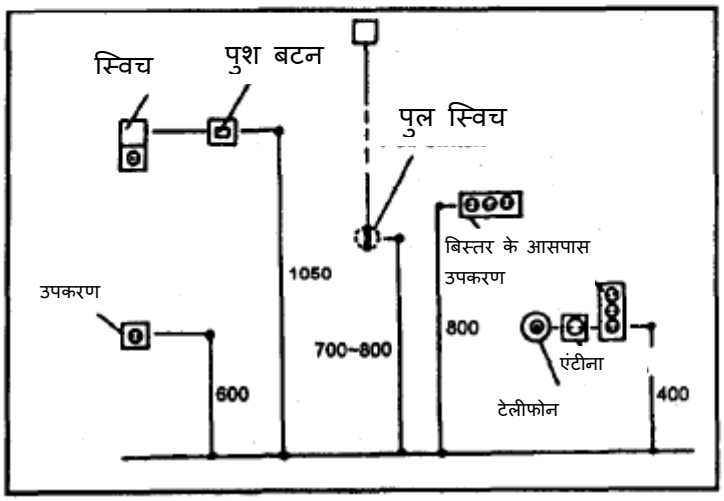

बिजली के स्विच तथा अन्य उपकरणों की ऊंचाई

व्हीलचेयर से टॉयलेट सीट पर बैठने के लिए खुली जगह आवश्यक है।

स्नानघर, बेडरूम की जानकारी के लिए देखें आवासीय भवनों में बेडरूम और स्नानघर

प्रेक्षागृह

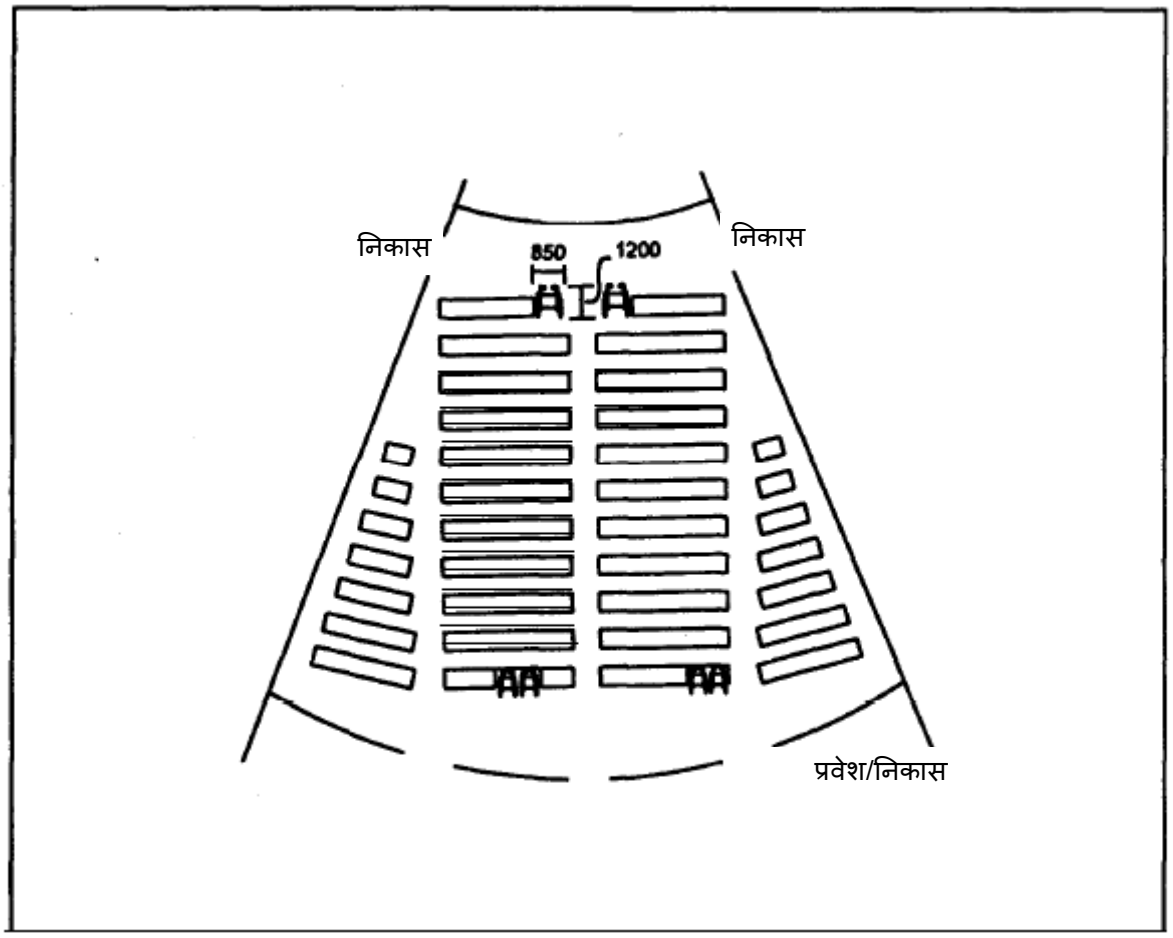

* प्रेक्षागृह, सभा-कक्ष, थियेटर तथा इसी तरह के अन्य स्थानों पर व्हीलचेयर के लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए।
* इन सभी जगहों पर विकलांग व्यक्तियों को उनकी इच्छानुसार बैठने की अनुमति दी जाये।

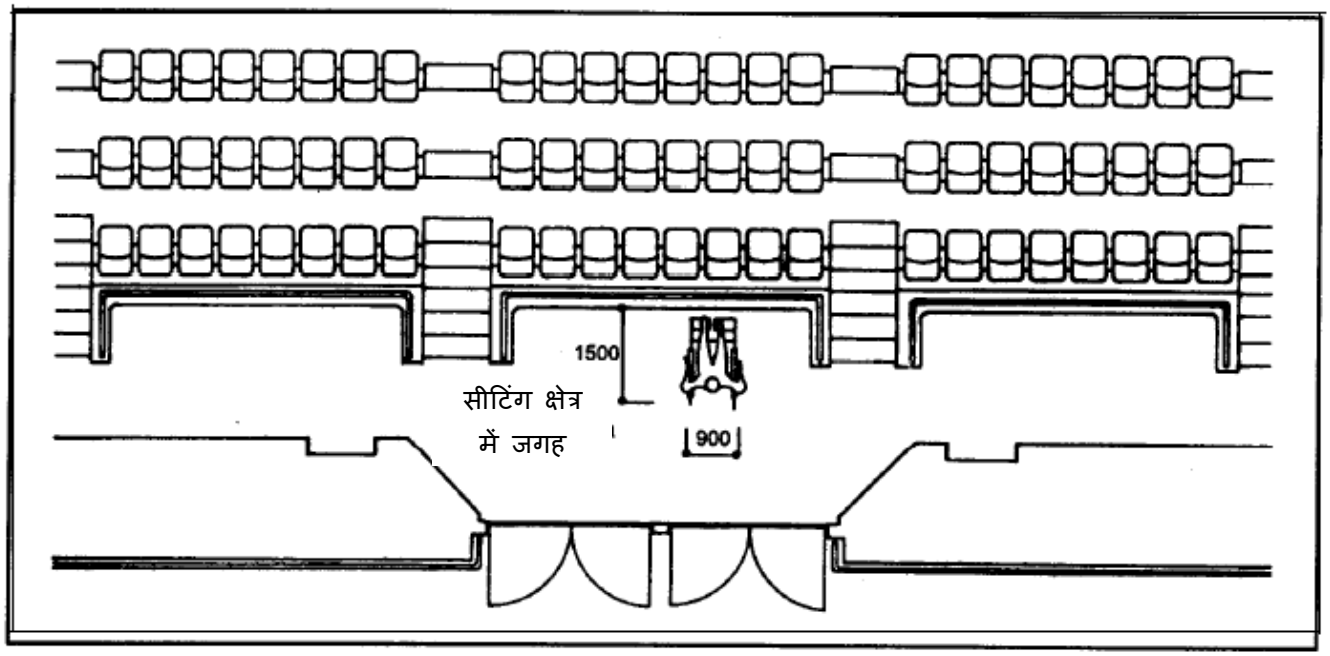

मेहमानों के बैठने की व्यवस्था की योजना का खाका

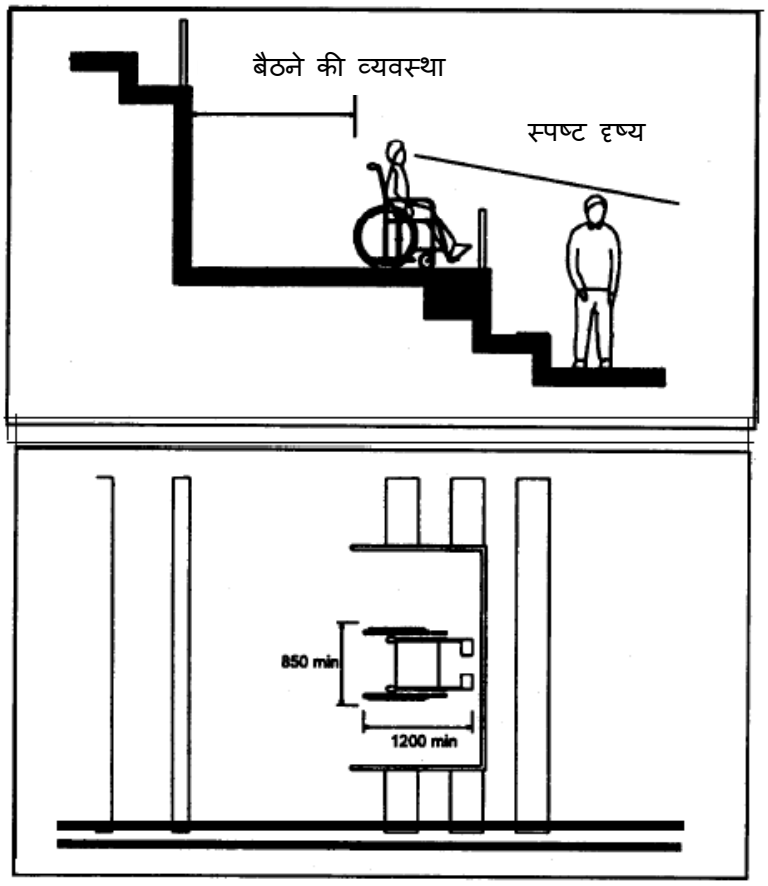

उद्यान

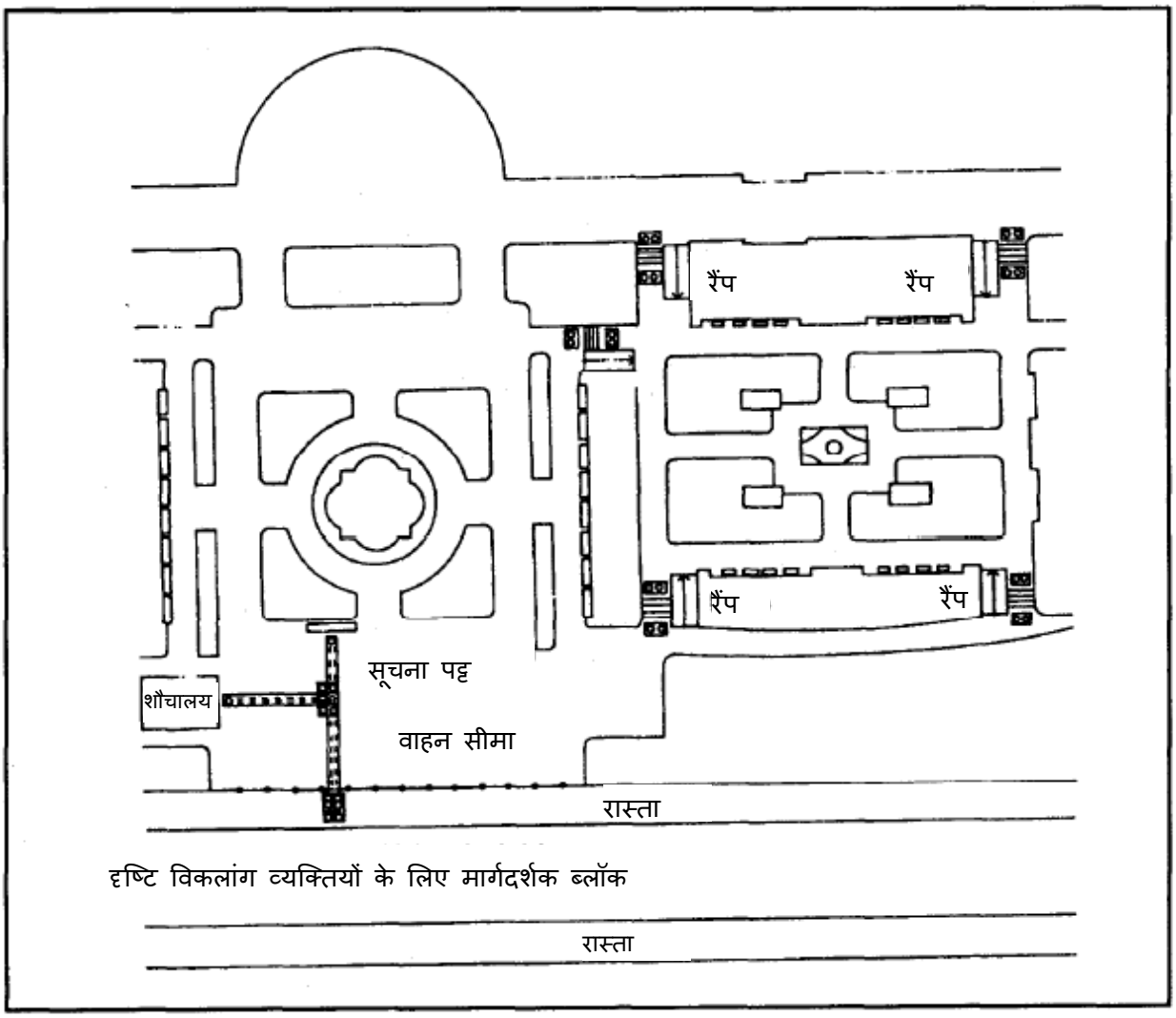

पार्क की सड़क

* पार्क और/या पार्क की सड़क के बीच सतह में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। यदि यह अनिवार्य हो तो रैंप या सीढ़ियों के साथ रैंप का निर्माण आवश्यक है।
* सतह में परिवर्तन से पहले और बाद में उतरने के लिए एक प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की जानी चाहिए।

  - रैंप के लिए देखें 'रैंप के लिए दिशा-निर्देश'।

  - सीढ़ियों के लिए देखें 'जीने/सीढ़ियों के लिए दिशा-निर्देश'।
* पक्की सतहों को बनाने के लिए फ़िसलने वाली सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
* जहां भी सतह में परिवर्तन हो, भिन्न सामग्री इस्तेमाल में लायी जाये, जैसे भिन्न कंट्रास्ट वाले रंग और मार्गदर्शक ब्लॉक्स प्रयोग में लाये जाने चाहिए।

* पहुंचने के रास्ते तथा फुटपाथ इत्यादि पर व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए खुला रास्ता हो (नियमित रूप से गुज़रने वाले रास्ते 1800 मिमी चौड़े, अन्यथा कम से कम 900 मिमी चौड़े होने चाहिए)।
* नालियां इत्यादि पार्क के क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए, यदि इसका निर्माण किया जाता है तो ये ढकी हों।
* नालियां संकरी हों, ताकि व्हीलचेयर के टायर इसमें न फंसें।
* दृष्टि-विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रदान की गयी सुविधाओं के बारे में विशेष सूचना पट्ट लगने चाहिए। पट्ट पर अक्षर बड़े आकार के हों, जो रोशन हों ताकि उन्हें आसानी से पढ़ा जा सके। सूचना ब्रेल लिपी में भी लिखी जानी चाहिए।
* बैंच, कचरे के डिब्बे, पीने वाले पानी के फव्वारे इत्यादि इस प्रकार लगाये जायें कि व्हीलचेयर उपयोगकर्ता उनमें उलझें नहीं।
* बैंच पार्क की पगडंडियों के किनारे पर लगाये जायें।
* दृष्टि-विकलांग लोगों के लिए मार्गनिर्देशक ब्लॉक उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

रेस्तरां

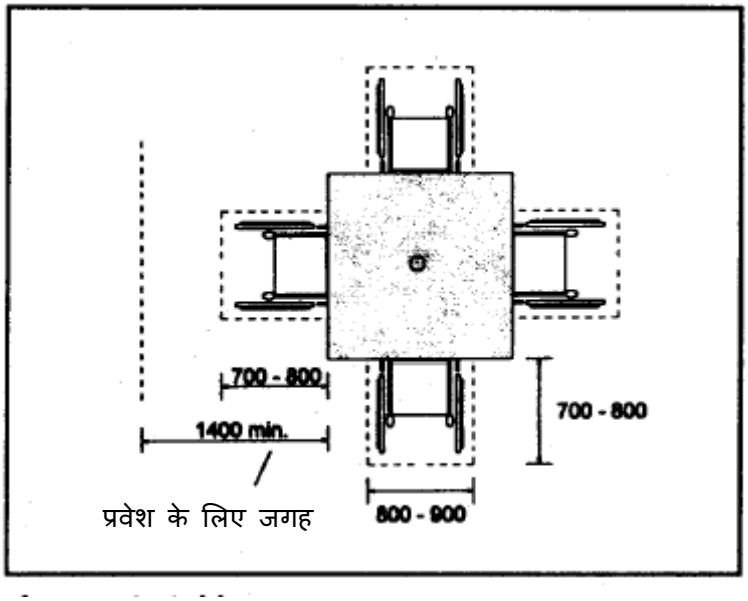

प्रवेश मार्ग

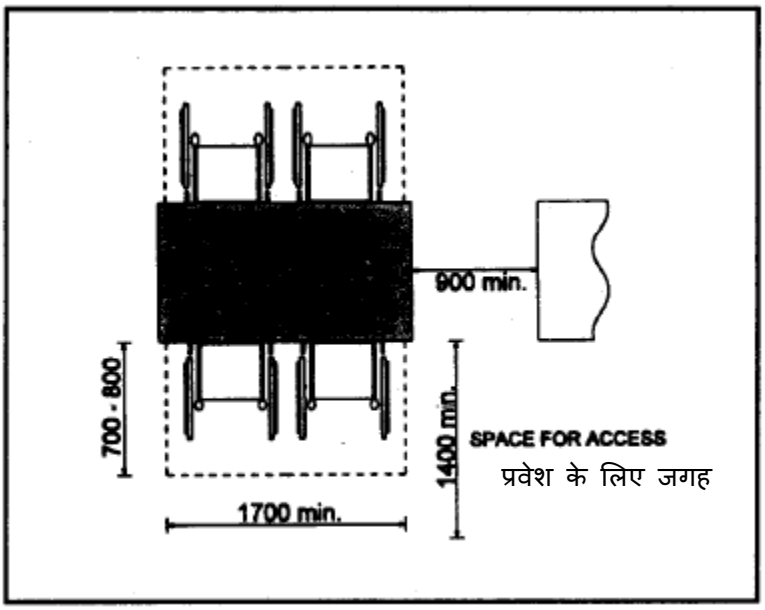

* मेज के पास व्हीलचेयर उपयोगकर्ता के लिए समुचित स्थान होना चाहिए।
* व्हीलचेयर उपयोगकर्ता को मेज तक जाने का समुचित रास्ता उपलब्ध होना चाहिए।

रेलवे स्टेशन

स्टेशन का प्रवेश मार्ग

* प्रवेश के रास्ते में सतह समतल होनी चाहिए। यदि यह अपरिहार्य है, तो रैंप या सीढ़ियों के साथ रैंप का निर्माण आवश्यक है।

  (रैंप के लिए देखें मार्गनिर्देशक-रैंप और जीने के लिए देखें मार्गनिर्देशक -जीना/सीढ़ियां)

पक्की सतह

* रास्ते फिसलने वाली सामग्री से निर्मित नहीं किये जाने चाहिए। सतह में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। यदि यह अनिवार्य है, तो रैंप या सीढ़ियों के साथ रैंप का निर्माण आवश्यक है। सतह में परिवर्तन से पहले और बाद में उतरने के लिए एक प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की जानी चाहिए।
* दृष्टि-विकलांग लोगों के लिए मार्गनिर्देशक ब्लॉक उपलब्ध कराये जाने चाहिए। (देखें मार्गनिर्देशक ब्लॉक-दृष्टि विकलांग)
* प्रवेश मार्ग का रास्ता यदि यातायात-सड़क से जुड़ा है तो पैदल चलने वालों के लिए रेलिंग लगायी जानी चाहिए।

प्लेटफॉर्म में प्रवेश/निकास

* स्टेशन में प्रवेश के रास्ते में सतह समतल होनी चाहिए। यदि यह अपरिहार्य है, तो रैंप या सीढ़ियों के साथ रैंप का निर्माण आवश्यक है। (रैंप के लिए देखें मार्गनिर्देशक -रैंप और जीने के लिए देखें मार्गनिर्देशक -जीना/सीढ़ियां)

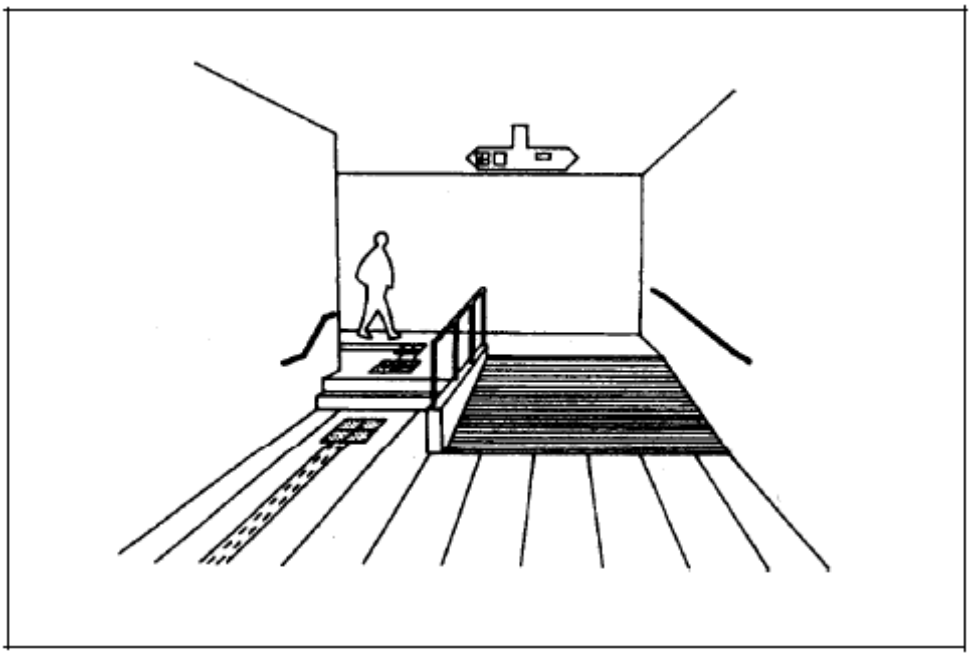

* प्रवेश/निकास मार्ग के निकट व्हीलचेयर उपयोगकर्ता को लाने-ले जाने वाले वाहनों के लिए पार्किंग की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।

(पार्किंग स्थल के अन्य विवरण के लिए देखें पार्किंग स्पेस)

आरक्षण या सूचना काउंटर

* व्हीलचेयर उपयोगकर्ता आरक्षण या सूचना काउंटर तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सकें।
* काउंटर की ऊंचाई 850 मिमी से अधिक न हो।

कॉन्कोर्स

* कॉन्कोर्स की चौड़ाई 1800 मिमी होनी चाहिए।
* कॉन्कोर्स में प्रवेश के रास्ते में सतह समतल होनी चाहिए। यदि यह अपरिहार्य है, तो कॉन्कोर्स के साथ रैंप का निर्माण आवश्यक है। (कॉन्कोर्स के लिए देखें मार्गनिर्देशक - कॉन्कोर्स)
* रास्ते फिसलने वाली सामग्री से निर्मित नहीं किये जाने चाहिए। सतह में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। यदि यह अनिवार्य है, रैंप या सीढ़ियों के साथ रैंप का निर्माण आवश्यक है। सतह में परिवर्तन से पहले और बाद में उतरने के लिए एक प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की जानी चाहिए।
* यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिशात्मक संदेश, तथा अन्य वस्तुएं दीवार से बाहर न निकलें। (देखें मार्ग-निर्देशक ब्लॉक - दृष्टि-विकलांग पृष्ठ 46)
* दृष्टि-विकलांग लोगों के लिए मार्ग निर्देशक ब्लॉक उपलब्ध कराए जाने चाहिए। (देखें मार्ग निर्देशक ब्लॉक - दृष्टि-विकलांग पृष्ठ 46)

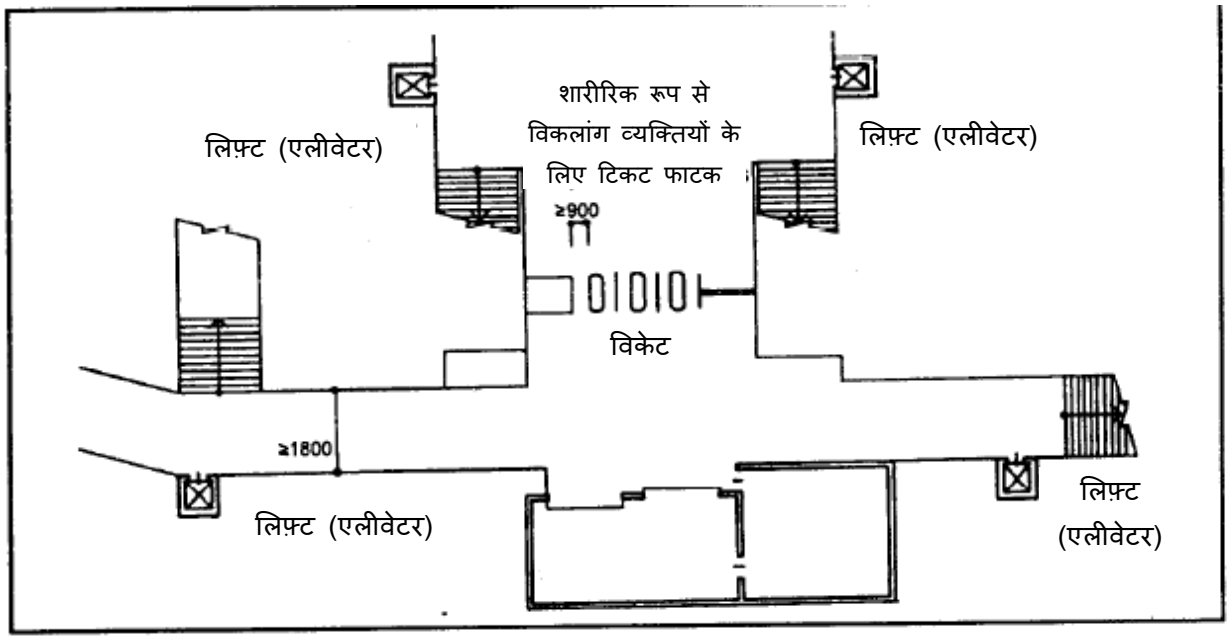

कॉन्कोर्स

सीढ़ियां

* देखें मार्ग निर्देशक - जीना/सीढ़ियां

लिफ़्ट

* विभिन्न तलों में प्रवेश के लिए विकलांग यात्रियों के लिए लिफ़्ट लगायी जानी ज़रूरी है।
* लिफ़्ट (एलीवेटर) के लिए, कॉल बटन के 300 मिमी दूरी पर दृष्टि-विकलांग लोगों के लिए दो मार्ग-निर्देशक तालिकाएं स्थापित की जायें।
* अन्य विवरण के लिए देखें 'लिफ़्ट'

शौचालय

* व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं और अन्य यात्रियों की सुविधा के लिए समुचित शौचालय और वॉश बेसिन लगे हों।

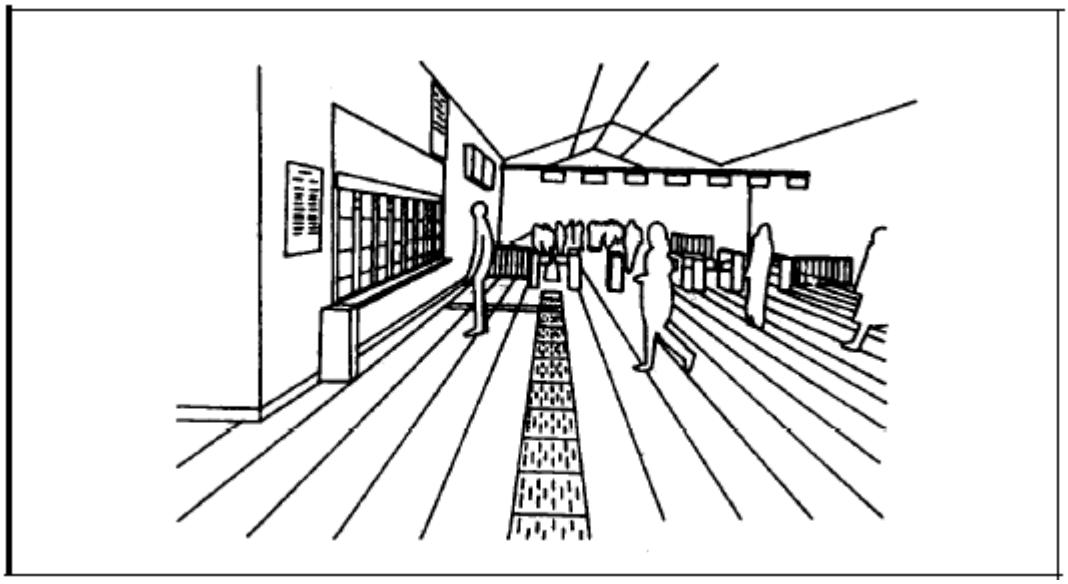

दृष्टि-विकलांग लोगों के लिए टिकट द्वार तक मार्ग-निर्देशक तालिका

टिकट खिड़की

* टिकट काउंटर तक व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के पहुंचने हेतु समुचित जगह होनी चाहिए।
* एक टिकट खिड़की पर दृष्टि-विकलांग लोगों की सुविधा हेतु मार्ग निर्देशक ब्लॉक लगे होने चाहिए।
* अतिरिक्त जानकारी के लिए देखें 'गाईडिंग ब्लॉक'।

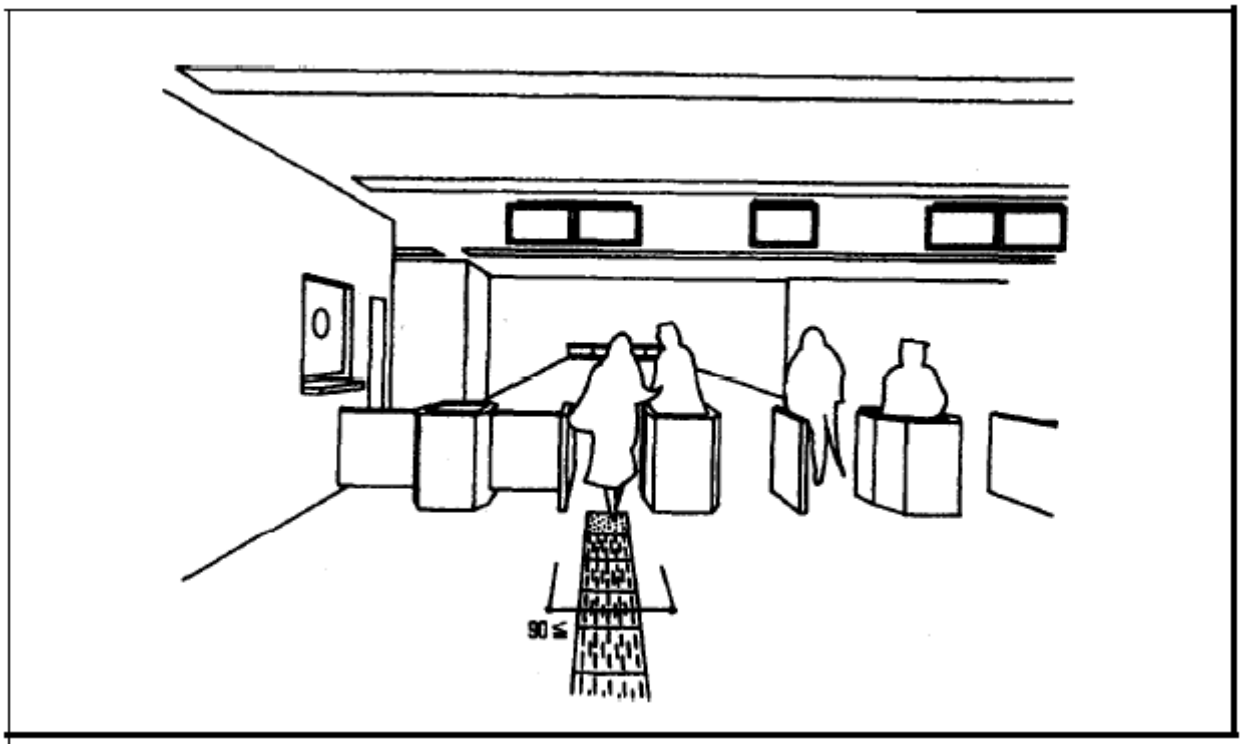

टिकट द्वार

टिकट विक्रय मशीन

* सिक्का डालने वाला खांचा व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक होना चाहिए।
* मशीन के नीचे घुटनों के लिए पर्याप्त जगह हो।
* टिकट वेंकडंग मशीन से 300 मिमी की दूरी पर दृष्टि-विकलांग व्यक्तियों के लिए मार्ग-दर्शक ब्लॉक लगाये जायें।
* किराया बटन, कैंसल बटन और अन्य सूचना भलिभांति भिन्न तरीके से ब्रेल में उल्लिखित हो।

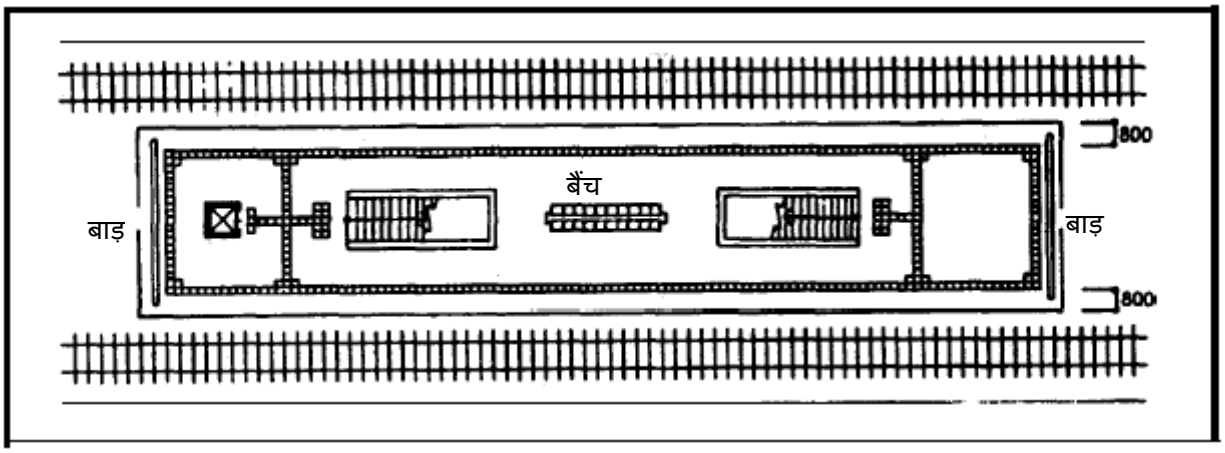

प्लेटफॉर्म की रूपरेखा

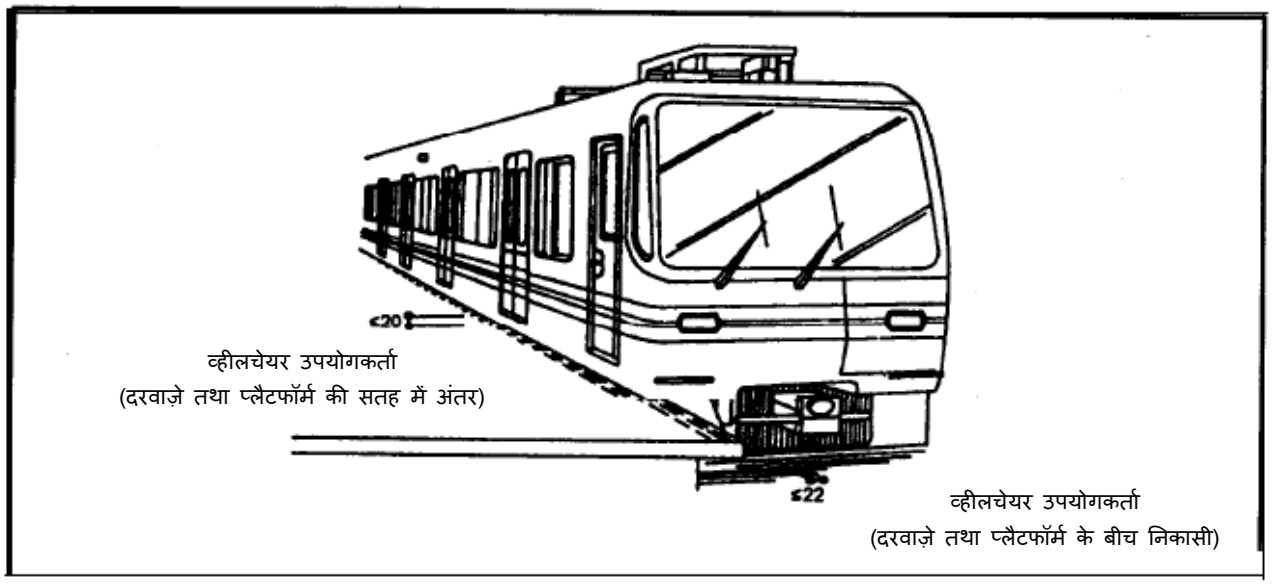

डिब्बे के दरवाज़े के बीच सतह तथा निकासी में अंतर

प्लेटफॉर्म

* प्लेटफॉर्म की एक पंक्ति में 800 मिमी या इससे अधिक दूरी पर दृष्टि-विकलांग व्यक्तियों के लिए बिंदुओं वाले मार्ग-दर्शक ब्लॉक होने चाहिए।
* प्लेटफॉर्म की पक्की सतह फिसलने वाली सामग्री से न बनायी जाये।
* सीढ़ियां, कचरे के डिब्बे, बूथ इत्यादि इस प्रकार लगाये जायें कि व्हीलचेयर उपयोगकर्ता और दृष्टि-विकलांग उनमें उलझें नहीं।
* प्लेटफॉर्म पर बैंच भी होने चाहिए, जिसके आसपास मार्ग-दर्शक ब्लॉक भी लगे हों।

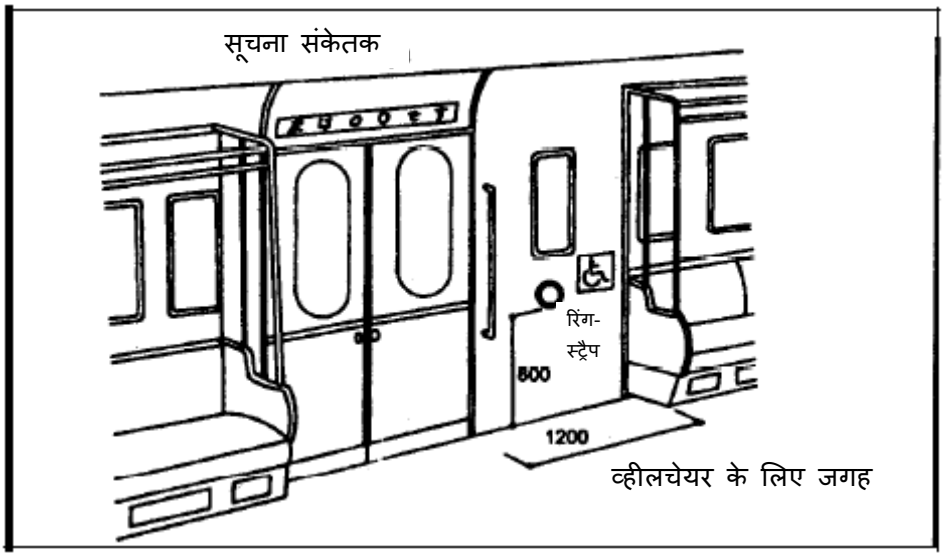

कोच में व्हीलचेयर के लिए जगह तथा सूचना संकेतक

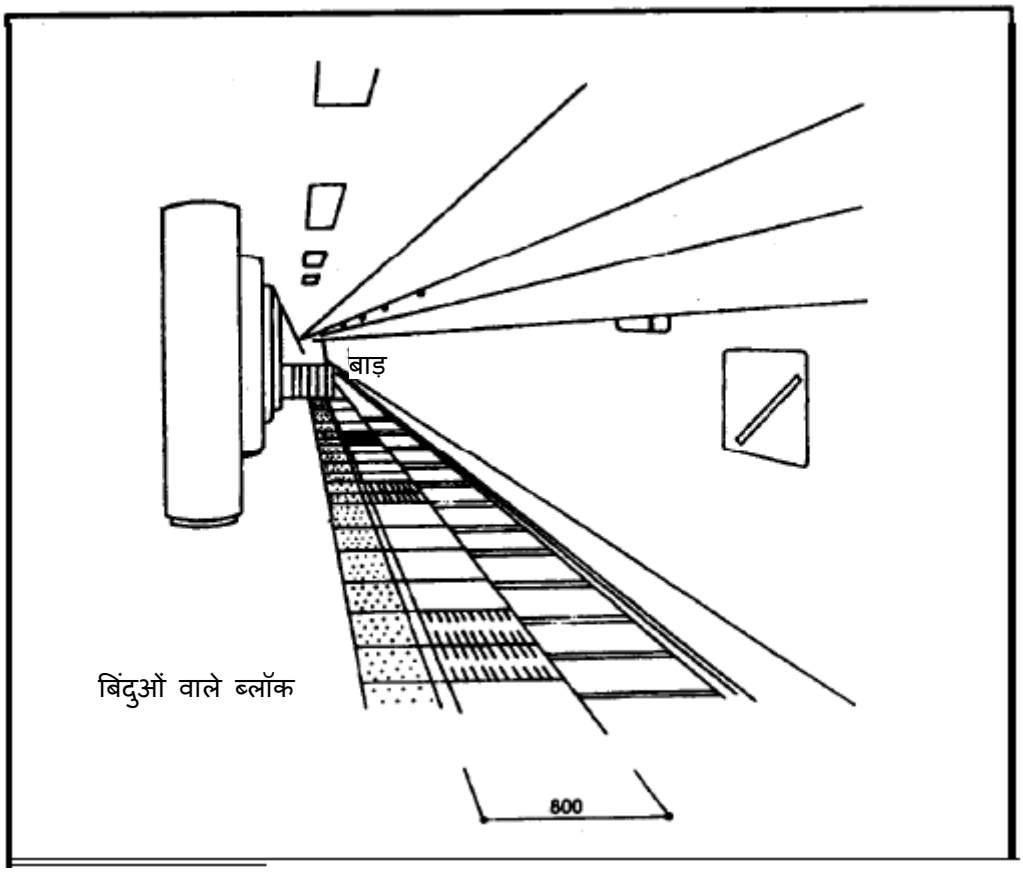

प्लेटफॉर्म

रेलवे तथा सबवे डिब्बे के दरवाज़े

* डिब्बे के दरवाज़े व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं हेतु पर्याप्त चौड़े होने चाहिए (कम से कम 900 मिमी)।
* डिब्बे के दरवाज़ों और प्लेटफॉर्म के बीच बहुत कम यानी पूर्णतः न्यूनतम फ़ासला हो।

गलियारा

* गलियारे व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं हेतु पर्याप्त चौड़े होने चाहिए।

व्हीलचेयर के लिए समुचित जगह

* दरवाजे के करीब ही व्हीलचेयर के लिए जगह होनी चाहिए।
* व्हीलचेयर के प्रवेश के लिए डिब्बे के बाहर तथा भीतर उसका सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त पहचान चिह्न भी लगा होना चाहिए।
* व्हीलचेयर उपयोगकर्ता के पकड़ने के लिए समुचित सुरक्षा/पकड़ के लिए रिंग-स्ट्रैप या अन्य साधन उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

सूचना

* सूचना पट्ट पर अक्षर बड़े, बेहतर कंट्रास्ट रंगों वाले और भरपूर रोशनी वाले होने चाहिए, जो आसानी से पढ़ने में आ सकें।

* रेलगाड़ी का समय, किराये का चार्ट तथा अन्य यात्रा सुचनाओं का लिखित विवरण तो हो ही, वे ब्रेल लिपी में भी लिखी हों।

* सुनने में अक्षम लोगों के लिए पर्याप्त आकार तथा ऊंचाई के इलेक्ट्रानिक संकेत बोर्ड भी हर प्लेटफॉर्म में विभिन्न स्थानों पर लगे होने चाहिए, जिस पर रेलवे की प्रत्येक घोषणा प्रदर्षित हो।

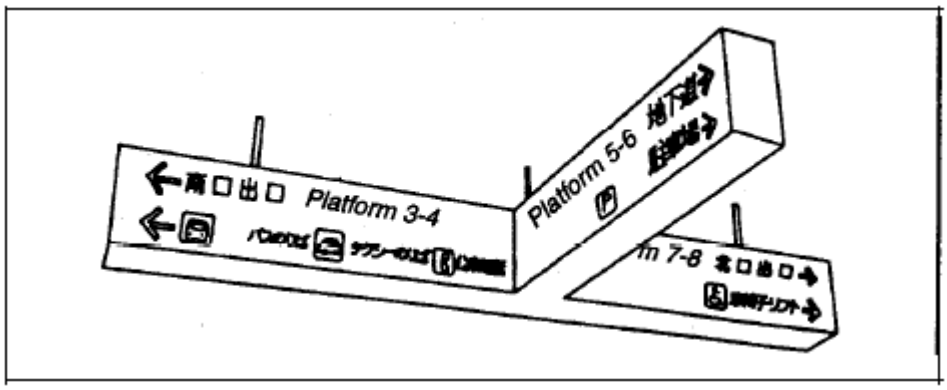

कॉन्कोर्स में सूचना पट्ट

सूचना संकेत तथा घोषणाएं

* रेलगाड़ी के मार्गों का नक्शा लगाया गया हो।

* प्रत्येक डिब्बे में स्टेशन का नाम और रूट प्रदर्षित तथा घोषित होना चाहिए।

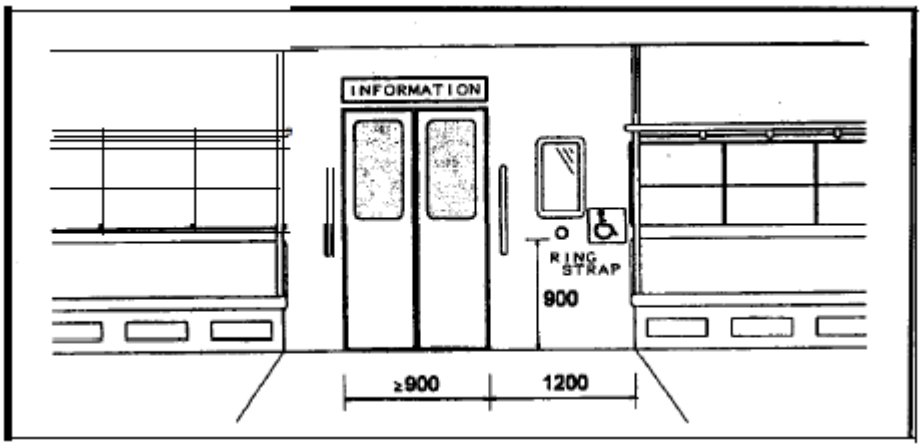

डिब्बे के भीतर व्हीलचेयर के लिए जगह

सीटें

* यात्रियों के लिए पर्याप्त सीटों के साथ ही वृद्धों और विकलांग लोगों के लिए दरवाजे के करीब ही बैठने की जगह आरक्षित होनी चाहिए।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु सुविधाओं के लिए उपनियम

उप-नियम

1. लघु शीर्षक, विस्तार तथा प्रारंभ

1.1 इन उप-नियमों को मिलाया जायेगा.....(नगर) उप-नियम नगरनिगम

1.2 ये उप-नियम पूरी नगरपालिका में विस्तार पायेंगे ..... (नगर)

1.3 ये अस्तित्व में आ जायेगा ..... महीनों में, सरकारी गजट के प्रकाशन के बाद

2. परिभाषाएं

2.1 पूर्ण-अक्षम विकलांगता - अंगों की हानि, चाहे कारण कोई भी रहा हो, व्यक्ति अपने व्यावहारिक कार्यों के लिए पूर्णतः व्हीलचेयर तक सीमित हो जाता है।

2.2 अर्द्ध-अक्षम विकलांगता - किसी क्षति के कारण व्यक्ति चलने के लिए बैसाखियों या वॉकर इत्यादि का प्रयोग करता है। गठिया रोगी, मंदबुद्धि, फेफड़े संबंधी रोगी, हृदय रोगी इत्यादि भी काफ़ी हद तक चलने-फिरने में अक्षम होते हैं।

2.3 श्रवण-विकलांगता - बधिर व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्रों में काफ़ी असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि बहरेपन के कारण वे चेतावनी संकेतों को समझ नहीं पाते।

2.4 दृष्टि-विकलांगता - पूर्ण नेत्रहीनता या ऐसी क्षति, जिसके कारण व्यक्ति की नज़रें बेहद क्षीण हो जाती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्रों में असुरक्षित और ख़तरा महसूस करता है, क्योंकि वह चेतावनी संकेतों को सुनने में असमर्थ होता है।

2.5 व्हीलचेयर - पहिए वाली कुर्सी जो विकलांग व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है। व्हीलचेयर का मानक आकार 1050 मिमी X 750 मिमी माना गया है।

3. कार्यक्षेत्र

ये उप-नियम सभी सरकारी भवनों, जिसका इस्तेमाल आम जनता करती है, में लागू होंगे। निजी तथा सार्वजनिक मकानों में ये लागू नहीं होंगे।

4. **स्थल-विकास**

सामग्री के विशेष विवरण के साथ ही सड़कों का लेवल, पार्किंग और विभिन्न मार्गों पर प्रवेश इत्यादि योजना में वर्णित किया जायेगा।

4.1 **उद्यानों/मार्गों में प्रवेश** - प्लॉट तथा पार्किंग से ईमारत में प्रवेश के लिए कम से कम 1800 मिमी चौड़ा होना चाहिए, लेवल बराबर होना चाहिए। उतार-चढ़ाव पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। फ़र्श की सामग्री का चुनाव दृष्टि-विकलांग लोगों को ध्यान में रखकर करना होगा, जो उन्हें आकर्षित करे, साथ ही वह सामग्री आसपास के माहौल के रंगों से एकदम विपरीत हो। इसके साथ ही मैटीरियल की गूंजती आवाज़ श्रवण-विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ होगी। इसके लिए देखें संकेतात्मक फ़र्श सामग्री (अनुलग्नक - 1)। किनारे फ़िसलन वाले न हों, और सामग्री ऐसी इस्तमाल की जाये, जिससे कि व्हीलचेयर द्वारा रास्ता पार करना सुगम हो। पटरी के किनारे का स्तर एक समान रखा जाये।

4.2 पार्किंगः- विकलांग लोगों के वाहनों के लिए निम्न प्रावधान होंगे -

क. प्रवेश मार्ग के करीब ही दो कारों की जगह उपलब्ध होगी। विकलांग लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था ईमारत में प्रवेश करने से 30 मी के भीतर की जायेगी।

ख. पार्किंग खंड की चौड़ाई कम से कम 3.6 मीटर होगी।

ग. यह स्पष्ट तौर पर सूचित होगा कि यह स्थल व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए आरक्षित है।

घ. गाईडिंग तल सामग्री या वह उपकरण उपलब्ध करवाये जायेंगे जिससे नेत्रहीन लोगों को श्रवण संकेत उपलब्ध हो सकें। या इसी तरह के अन्य उपकरणों की व्यवस्था की जायेगी, जो इसी उद्देश्य को सिद्ध करेंगे।

5. ईमारत की आवश्यकताएं

शारीरिक तौर पर विकलांग लोगों के लिए विशेष सुविधाएं -

1. बेस लेवल में प्रवेश
2. विकलांग लोगों से जोड़ने वाला गलियारा।
3. जीना
4. लिफ़्ट
5. शौचालय

5.1 बेस लेवल में प्रवेश - प्रत्येक ईमारत में कम से कम एक प्रवेश मार्ग विकलांग लोगों के लिए होना चाहिए, जहां समुचित चेतावनी संकेतक हों। इस क्षेत्र में प्रवेश रैंप तथा सीढ़ियों, दोनों के द्वारा प्रवेश किया जायेगा।

5.1.1 रैंप-प्रवेश - ईमारत से जुड़ी रैंप पर फ़िसलन वाली सामग्री इस्तेमाल नहीं की जायेगी। रैंप अधिकतम 1.12 ढलान के साथ कम से कम 1800 मिमी चौड़ी होगी। रैंप की लंबाई 9.0 मी से अधिक नहीं हागी व दोनों तरफ़ 800 मिमी और 900 मिमी रेलिंग होगी जो रैंप के ऊपर तथा नीचे 300 मिमी तक बढ़ायी गयी होगी। रेलिंग से सटी दीवार के बीच की दूरी 50 मिमी से अधिक नहीं होगी।

5.1.2 जीना - सीढ़ी के ऊपरी भाग 300 मिमी से कम नहीं होगा तथा अधिकतम ऊंचाई 150 मिमी होगी। रैंप की ही तरह दोनों ओर रेलिंग 800 मिमी ऊंची होगी।

5.1.3 निकास/प्रवेश द्वार - प्रवेश द्वार की चौड़ाई 900 मिमी होगी और वह समतल होगा, ताकि व्हीलचेयर के रास्ते में बाधा न आये। चौखट 12 मिमी से अधिक ऊंची नहीं की जायेगी।

5.1.4 प्रवेश द्वार - प्रवेश द्वार रैंप से जोड़ा जायेगा, जिसका न्यूनतम आयाम 1800X2000 मिमी होगा। स्लोप के अंत में प्रवेश द्वार पर नेत्रहीन लोगों के लिए फर्श पर 'गाईडिंग फ़्लोर मैटीरियल' (अनुलग्नक-1) के अनुसार विशेष इंतज़ाम किये जाने का प्रावधान है, इसका रंग और इस्तेमाल सामग्री आसपास के माहौल से एकदम भिन्न होगी। सतह फ़िसलनभरी नहीं होगी और व्हीलचेयर की बनावट के अनुसार तिरछी होगी।

5.2 विकलांग व्यक्तियों के लिए गलियारा प्रवेश/निकास से जोड़ना

गलियारा प्रवेश द्वार/निकास द्वार से जुड़ा होगा, जो सीधा बाहर उस क्षेत्र तक जायेगा जहां नेत्रहीन लोगों को पूरी ईमारत के बारे में या तो व्यक्तिगत तौर पर या संकेतों द्वारा जानकारी उपलब्ध करायी जा सकती है।

क. 'गाईडिंग फ़्लोर मैटीरियल' या वे उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं, जो आवाज़ के माध्यम से नेत्रहीनों को निर्देश देंगे।

ख. न्यूनतम चौड़ाई 1500 मिमी होगी।

ग. यदि सतहें भिन्न प्रकार की हैं तो, ढलान 1.12 उपलब्ध करायी जायेगी।

घ. ढलान तथा रैंप के रास्तों पर रेलिंग उपलब्ध होगी।

5.3 सीढ़ियां - प्रवेश मार्ग के नज़दीक बनी सीढ़ियों पर विकलांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए निम्न प्रावधान रखे गये हैं -

क. सीढ़ियों की चौड़ाई कम से कम 1350 मिमी होगी।

ख. सीढ़ियों के ऊपरी भाग का आकार 300 मिमी से कम नहीं होगा और अधिकतम 150 मिमी होगा।

ग. राइज़र की अधिकतम संख्या 12 होगी।

घ. सीढ़ियों की दोनों ओर रेलिंग होगी और हर चरण पर ऊपर तथा नीचे 300 मिमी विस्तार होगा।

5.4 **लिफ़्ट** - उपनियमों के अनुसार जहां आवश्यक हो, व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए एक लिफ़्ट अवश्य लगायी जायेगी। साथ ही भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार 13 लोगों की क्षमता वाली लिफ़्ट का आयाम इस प्रकार होता है -

भीतर की गहराई : 1100 मिमी

भीतर की चौड़ाई : 2000 मिमी

प्रवेश द्वार की चौड़ाई : 900 मिमी

क. रेलिंग फ़र्श की सतह से 800-1000 मिमी पर 600 मिमी से कम लंबी नहीं होगी, जिसे नियंत्रण पैनल से जोड़ा जायेगा।

ख. लिफ़्ट लॉबी के भीतर का माप 1800X1800 मिमी या अधिक होगा।

ग. लिफ़्ट का दरवाज़ा स्वतः कम से कम 5 सेकेंड में बंद हो जाना चाहिए और बंद होने की गति 0.25 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

घ. लिफ़्ट के भीतर श्रवण उपकरण उपलब्ध कराया गया है, जो संकेत करेगा कि मंज़िल पर पहुंचकर लिफ़्ट का दरवाज़ा खुल गया है या बंद हो गया है।

5.5 शौचालय - विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रवेश के करीब ही विशेष इंग्लिश सीट और करीब ही वॉश बेसिन उपलब्ध कराया जायेगा।

क. न्यूनतम आकार 1500X1750 मिमी होगा

ख. दरवाज़ा 900 मिमी खुलेगा और वह बाहर की ओर झूलेगा।

ग. शौचालय में रेलिंग की क्षैतिज/उर्ध्वाधर व्यवस्था की जायेगी जो दीवार से 50 मिमी की दूरी पर होगी।

घ. सीट फ़र्श से 500 मिमी पर होगी।

5.6 पीने का पानी - विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष शौचालयों के निकट पीने के पानी का भी सुविधाजनक प्रबंध होगा।

5.7 बच्चों के लिए डिज़ाइनिंग - बच्चों के उपयोग के लिए, यह आवश्यक होगा कि उनके अनुरूप रेलिंग और अन्य फ़िटिंग्स इत्यादि प्रयोग में लायी जायें।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

गाईडिंग/चेतावनी तल सामग्री

गाईडिंग या चेतावनी तल सामग्री यानी दृष्टि-विकलांग व्यक्तियों के लिए फ़र्श की सामग्री को इस तरह उपयोग में लाया जाना कि वह संकेतों का भी काम करे, अर्थात उसका रंग, डिज़ाईन और **बनावट या संरचना तल** के आसपास के माहौल की सामग्री से भिन्न हो। भिन्न संरचना वाली सतह पर छड़ी से चलने वाले व्यक्ति को संवेदी चेतावनी द्वारा श्रवण संकेत मिलते हैं। गाईडिंग या चेतावनी तल सामग्री व्यक्ति को ख़तरनाक जगहों पर दिशात्मक संदेश देती है। फ़र्श-सामग्री निम्न स्थानों पर प्रदान की जायेगी -

क. ईमारत तथा पार्किंग परिसर में पहुंचने के मार्ग पर।

ख. लॉबी में उतरने तथा सूचना पट्ट, रिसेप्शन, लिफ़्ट, जीने और शौचालय जाने की ओर।

ग. आरंभ में उतरने के तत्काल बाद/अंत तक पैदल मार्ग पर जहां वाहनों की आवाजाही है।

घ. उस स्थान पर जहां अगला तल अचानक बदल रहा है अथवा रैंप के आरम्भ/अंत में।

ङ. प्रवेश/निकास और नीचे उतरने के तत्काल सामने।

समुचित चेतावनी संकेतक

विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की समुचित पहचान के लिए उपयुक्त स्थानों पर चेतावनी संकेत भी यथोचित चिन्हित किये जायें। दृष्टि-विकलांग व्यक्ति अपनी अन्य इंद्रीयों को प्रयोग करते हैं, जैसे सुनकर या छूकर अपनी दृष्टि की कमी को पूरा करते हैं। दृष्टि-विकलांग व्यक्तियों के लिए श्रवण संकेत उपयोगी सिद्ध होते हैं।

संकेतक (20 मिमी ऊंचाई से कम नहीं) इस प्रकार स्थापित किये जायें कि वे आसानी से समझ में आ सकें। दृष्टि-विकलांग व्यक्तियों के लिए दीवार पर समुचित ऊंचाई पर ब्रेल में सूचना की व्यवस्था हो तथा वे उसके करीब जाकर छूकर समझ सकें। बाधा रहित चलने हेतु यह सुनिश्चित करना होगा कि राह में कोई भी नुकीले या उलझने वाले संकेतक न हों। व्यस्त सार्वजनिक क्षेत्रो में जन सूचना प्रणाली भी उपलब्ध करायी जा सकती है।

प्रतीक/सूचनाओं के लिए कंट्रास्ट वाले रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए और उनमें खूब रोशनी होनी चाहिए, इससे सीमित दृष्टि वाले लोग प्राथमिक रंगों के बीच अंतर करने में सक्षम हो सकते हैं। लिफ़्ट, शौचालय, सीढ़ियों, पार्किंग क्षेत्रों इत्यादि में विकलांगों के लिए प्रदान किया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त व्हीलचेयर-संकेत स्थापित किया जाये।

संदर्भग्रंथ सूची

1. ईमारत में 'विकलांग व्यक्तियों का प्रवेश' के लिए व्यवहार संहिता - ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन बीएस 5810: 1979।
2. 'विकलांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए घरों का डिज़ाईन' के लिए व्यवहार संहिता बीएस 5619: 1978।
3. 'विकलांग व्यक्तियों के लिए डिज़ाइनिंग' - सेल्विन गोल्डस्मिथ, एआरआईबीए -लंदन: दूसरा संस्करण 1967 में संशोधित तथा विस्तारित।
4. 'विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक सुविधा-डिज़ाइनिंग' - एस. गोल्डस्मिथ, पीजेआर निकॉएस, बी. रॅस्टैंस, जे. एंजल, एल. एंजल।
5. विकलांगों के लिए योजना, व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के नार्विच सर्वेक्षण की अंतरिम रिपोर्ट: एस. गोल्डस्मिथ।
6. 'विकलांग व्यक्तियों के लिए लंदन': एफ़ ब्रूस, लॉकहार्ट, वॉर्ड लॉक, लंदन।
7. सार्वजनिक भवनों में विकलांग व्यक्तियों का प्रवेश, लोक निर्माण तथा कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, एचएमएसओ लंदन।
8. बाधा रहित वातावरण, माइकल जे. बेदनर, विर्जीनिया विश्वविद्यालय।
9. विकलांगों के लिए वास्तु-बाधाएं, अमेरिका में कानून का एक सर्वेक्षण, आर डैंटोना, बी टेस्लर, पुनर्वास सामग्री एनएससीसीए, शिकागो।
10. विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक भवन तथा उनके द्वारा सुविधाओं के प्रयोग के लिए अमेरिकन मानक विनिर्देश। अमेरिकन मानक संस्था, न्यूयॉर्क, 1961
11. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के उपयोग के लिए भवनों के डिज़ाईन, टीजे न्यूगेंट, न्यू बिल्डिंग अनुसंधान, अमेरिका।
12. अमेरिकन वास्तु संस्थान, वास्तुशिल्पीय ग्राफ़िक मानक, रामसे/स्लीपर।
13. साईट योजना के लिए समय बचत मानक: जोसेफ़ डी कियारा ली ई कोपेलहेम।
14. आवास विकास के लिए समय बचत मानक: जोसेफ़ डी कियारा
15. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए डिज़ाईन नियम के लिए आचार संहिता के ऑस्ट्रेलियाई मानक - 1428। ऑस्ट्रेलिया मानक संस्थान द्वारा 1977 में प्रकाशित।

16. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु भवन तथा सुविधाओं के लिए भारतीय मानक सिफ़ारिशें - आईएस: 4963-1968,1988।

17. शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए पुनर्वास केंद्र - एमएल बुटन (वास्तु स्नातक थीसिस, एसपीए, नई दिल्ली)

18. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केंद्र, लखनऊ। मोना स्वरूप (वास्तु स्नातक शोधप्रबन्ध, एसपीए, नई दिल्ली)

19. विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की आवश्यकता।

20. सुगम्यता की अभिकल्पना, रॉबर्ट जेम्स, सोरसेन।

21. सुरक्षित तथा सुगम्य नगर का निर्माण, बाधा में सुधार के लिए योकोहोमा नगर दिशा-निर्देश। शहरी वातावरण में निर्बाध अभिगम्यता (योकोहोमा, जापान)।

22. विकलांग व्यक्तियों के लिए समुचित वातावरण को प्रोत्साहन: संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार।

23. शारीरिक तौर पर विकलांग लोगों के लिए मानदंड तथा विस्तार मानक: शहरी विकास बोर्ड, सिंगापुर

24. विकलांग तथा वृद्ध लोगों के लिए लंबी इमारतें तथा शहरी आवास परिषद् का डिज़ाईन।

25. विकलांग लोगों के लिए यातायात के साधन। संपूर्ण पहुंच की शासन पद्धति --- यातायात पाक्षिक, अप्रैल 1982, फ़ील्डिंग जे. गॉर्डन

26. विकलांगता - चुनौतियां बनाम ज़िम्मेदारियां अलि बेकर व अंजली शर्मा

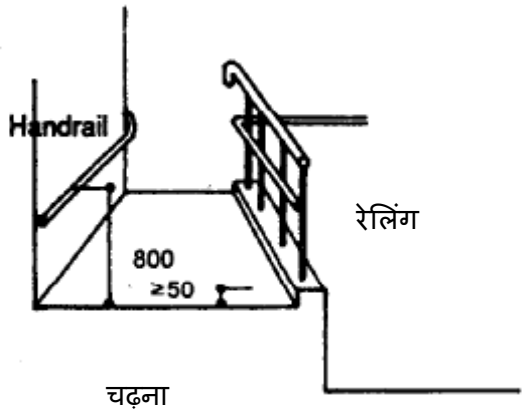

रैंप के खंड

* व्हीलचेयर से रैंप पर चढ़ते हुए ऊपरी अंग पर भार पड़ेगा, उसे आगे धकेलना होगा।
* रैंप से उतरने पर, विशेषकर सीधी ढाल पर, व्हीलचेयर नियंत्रण से बाहर हो सकती है, उपयोगकर्ता द्वारा उसकी गति को हाथ से नियंत्रित करना चाहिए।
* खड़ी ढलान से बचना चाहिए।
  - क. यह सुनिश्चित करें कि रैंप की ऊंचाई प्रत्येक 20 मिमी की यात्रा पर मध्यम 10 मिमी ऊंचाई हो।
  - ख. व्हीलचेयर नियंत्रण से बाहर न हो। उसमें ठहराव आये। ऐसी व्यवस्था के लिए रैंप के ऊपर तथा नीचे 15 मिमी लंबाई में सीधी सतह दी जाती है।

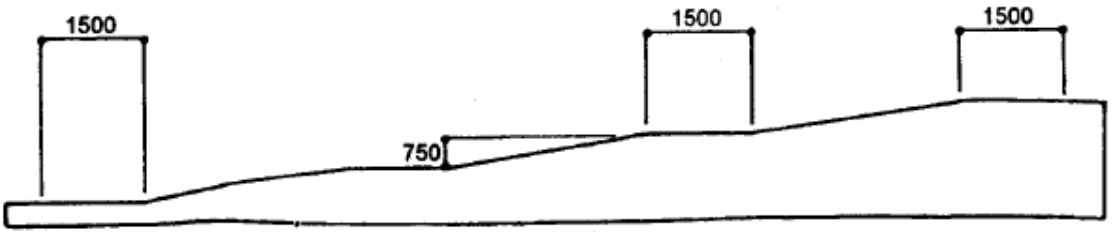

नीचे का समतल भाग लैंडिंग लैंडिंग ऊपर का समतल भाग

रैंप के विभिन्न खंड

सीढ़ियां - सीढ़ियों के ऊपरी भाग का आकार 300 मिमी से कम नहीं होगा और अधिकतम 150 मिमी होगा। सीढ़ियों और रैंप की दोनों ओर 900 मिमी ऊंची रेलिंग लगायी जायेगी।